लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1—10)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 10, गुरुवार, 30 मार्च, 1967/9 चैत्र, 1889 (शक)

No. 10, Thursday, March 30, 1967/Chaitra 9, 1889 (Saka)

विषय SUBJECT

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			पृष्ठ/PAGES
39.	योजना आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Planning Commission ..	597—601
40.	अमरीकी शान्ति दल के स्वयं-सेवक	American Peace Corps Volunteers ..	602—607
141.	चौथी योजना में उर्वरकों का उत्पादन	Fertilizers Production in the Fourth Plan ..	607—610
142.	बरौनी और नामरूप उर्वरक कारखाने	Barauni and Namrup Fertilizer Plants ..	610—611
143.	रुद्रासागर में तेल के कुएं में आग लगने की घटना	Fire in Rudrasagar Oil Well ..	611—613
144.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य को गैस की सप्लाई	Supply of Gas by the O.N.G.C. to the Gujarat State ..	613—615
145.	नगरीय क्षेत्रों का विकास	Improvement of Urban Areas ..	615—616

अ० सू० प्र० संख्या
S. N. Q. No.

3.	एन०सी०सी० में छंटनी	Retrenchment in N.C.C. ..	616—619

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

146.	जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Cost of Living Index and D. A. to Central Government Employees ..	620

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

147. भारत सरकार के मुद्रणालय, अलीगढ़ के कर्मचारी	Employees of Govt. of India Press, Aligarh	..	620—621
148. विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामले	Foreign Exchange Violation Cases	..	621—622
149. 'छोटी माता' रोग निवारक टीके	Chicken Pox Vaccination	..	622
150. आय, मजूरी तथा मूल्यों के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक का कर्णधार दल (स्टियरिंग ग्रुप)	Reserve Bank of India Steering Group on Incomes, Wages and Prices	..	622—623
151. अप्रशिक्षित चिकित्सक	Unqualified Medical Practitioners	..	623
152. भूमि सुधार	Land Reforms	..	623—624
153. अफ्रीकी-भारतीय औद्योगिक विकास निगम	Africindo Industrial Development Corporation	..	624
154. पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	Punjab State Electricity Board	..	624—625
155. राज्यों में मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	Mortality Statistics in States	..	625
156. राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by States to raise D. A. of their employees	..	625—626
157. भारत का विदेशी ऋणों का दायित्व	India's External Debt Obligation	..	626
158. दिल्ली में ठन्डक के कारण मृत्यु	Deaths due to cold in Delhi	..	626—627
160. स्वर्ण नियंत्रण आदेश में संशोधन	Amending of Gold Control Order	..	627
161. उर्वरक उद्योग में अमरीकी पूंजी का विनियोजन	U. S. Investment in Fertilizer Industry	..	627
162. राज्यों की वित्तीय स्थिति	Financial Position of States	..	628
163. बिहार में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई	Drinking Water Supply in Drought affected Areas in Bihar	..	628

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		

164. राजनैतिक परिवर्तनों का शेयर मार्केट पर प्रभाव	Effect of Political Changes on Share Market	.. 628—629
165. बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Oil Refinery	629
166. विवाह की आयु	Marriageable Age	.. 629
167. हल्दिया तेल शोधक कारखाना	Haldia Refinery	630
168. गर्भपात को वैध बनाना	Legalisation of Abortion	.. 630
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
175. लूप का निर्माण	Manufacture of Loop	.. 630—632
176. कोसी नदी की नहरों की परियोजना	Kosi Canals Project	.. 633
177. लूप का प्रयोग	Use of Loop	.. 633—634
178. आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज, दिल्ली	Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi	.. 634
179. देश में बाढ़ नियंत्रण कार्य	Flood Control in the country	.. 634
180. चात्र नहर परियोजना	Chatra Canal Project	.. 635
181. पालना (राजस्थान) में तापीय बिजलीघर	Thermal Power Plant at Palana (Rajasthan)	.. 635
182. श्री चिरंजीत लाल गोयनका के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Shri Chiranjit Lal Goenka	.. 635
183. परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programme	.. 636
184. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था	Accommodation for Central Govt. Employees	.. 636—638
185. दिल्ली में राजनीतिक पीड़ित लोगों के लिए भूमि का नियतन	Allotment of Plots to Political Sufferers in Delhi	.. 638
186. फरक्का बांध	Farakka Barrage	.. 638—639
187. तस्करों का गिरोह जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों का भी हाथ है	Smuggling Racket Involving Central Excise Officials	.. 639

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

188.	कानपुर में तपेदिक के रोगी	T. B. Cases in Kanpur ..	639—640
189.	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U. K.	640
190.	बिहार में मोतीहारी के निकट बूढ़ी गंडक नदी पर बांध	Dam on Budhi Gandak near Motihari in Bihar ..	640
191.	बिस्मथ साल्ट तथा स्ट्रेप्टो-माइसीन की कमी	Scarcity of Bismuth Salts and Streptomycin ..	641
192.	बल्गारिया से ऋण	Credit from Bulgaria ..	642
193.	भारत सहायता सार्थ-संघ	Aid India Consortium ..	642
194.	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (दिल्ली) पर सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold at Nizamudin Railway Station (Delhi) ..	642—643
195.	जबलपुर में पकड़ा गया सोना	Gold Seized at Jabalpur ..	643
196.	मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स	M/s J. P. and Sons ..	643—644
197.	मैसर्स ओरियन्टल ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Trading Corporation ..	644
198.	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन-मान	Pay Scales of Central and State Government Employees ..	644
199.	गृह-निर्माण ऋण	House Building Loans ..	644—645
200.	परिवार नियोजन	Family Planning ..	645—646
201.	विशाखापत्तनम से गन्दी बस्ती हटाने की योजना	Slum Clearance Scheme for Visakhapatnam ..	646
202.	विशाखापत्तनम तट का समुद्र की लहरों से कटाव	Erosion of Visakhapatnam Beach ..	646—647
203.	बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना	Watches Seized in Bombay ..	647
204.	बम्बई में पकड़ी गई भारतीय तथा विदेशी मुद्रा	Indian and Foreign currency seized in Bombay ..	647—648
205.	उड़ीसा में उप-आदिम जाति खंड	Sub-Tribal Blocks in Orissa ..	648
206.	चौथी योजना में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector undertaking in Orissa in Fourth Plan ..	648

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			

207. उड़ीसा में ग्रामोद्योग परि-योजनाएं	Rural Industries Projects in Orissa	..	648—649
208. फ्रांस से सहायता	Aid from France	..	649
209. किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, दिल्ली	Rent Control Tribunal, Delhi	..	649—650
210. किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, दिल्ली	Rent Control Tribunal, Delhi	..	650
211. अट्टापडी आदिम जातियों की उन्नति	Development of Attappadi Tribals	..	650—651
212. दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Central Government employees in Delhi	..	651—652
213. साहू जैन समवायों का ग्रुप	Sahu-Jain Group of Companies	..	652
214. स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन	Violation of Gold Control Rules	..	652—653
215. चौथी योजना की परियोजनाओं के लिए पश्चिम जर्मनी से सहायता	Aid from West Germany for Projects in Fourth Plan	..	653
217. वास्तुविद (आर्किटेक्टस) राष्ट्रमंडल संस्था का सम्मेलन	Conference of Commonwealth Association of Architects	..	654
218. स्वीडिश कागज के सम्बन्ध में करार	Agreement for Swedish Paper	..	654
219. प्रधान मंत्री का निवास-स्थान	Prime Minister's House	..	655
220. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	..	655
221. बूढ़ी गंडक नदी पर बांध	Burhi Gandak Bund	..	655—656
222. टैरेलीन रेशा	Terylene Fibre	..	656
223. छिपाया हुआ धन	Unaccounted Money	..	656—657
224. कृष्णा-गोदावरी जल विवाद	Krishna Godavari Water Dispute		657
225. देश में फ्लू का प्रकोप	Flue Epidemic in the country	..	657—658
226. सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातित सामान तथा मुद्रा का पकड़ा जाना	Imported Goods and currency seized by customs Authorities	..	658

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
227. सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling	..	658—659
228. जीवन बीमा निगम के पालिसी-धारियों के साथ धोका	Cheating of L. I. C. Policy Holders	..	659
229. मद्रास में पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas in Madras	..	659—660
230. पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas	..	660
231. इद्दिक्की पन-बिजली परियोजना	Idikki Hydro-Electric Project	..	661
232. गोहाटी तेल शोधन कारखाना	Gauhati Refinery	..	661—662
233. उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों का कल्याण	Welfare of Agriculturists belonging to S. C. and S. T. in Orissa	..	662
234. उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बस्तियां	Colonies for S. C. and S. T. in Orissa	..	662—663
235. राणा प्रताप सागर से बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity from Rana Pratap Sagar	..	663
236. सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया माल	Goods seized by Customs Officials	..	663
237. राज्यों के परिवार नियोजन अधिकारियों का सम्मेलन	State Family Planning Officers' Meet	..	663—664
238. जड़ी-बूटी उत्पादन केन्द्र	Herb Plantation Centre	..	665
239. गोहाटी तेल शोधक कारखाना	Gauhati Refinery	..	665
240. गुजरात में पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex in Gujarat	..	665—666
241. भारत और नेपाल के बीच चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी का आदान-प्रदान	Exchange of Medical knowledge between India and Nepal	..	666
242. भारतीय रुपयों की विनिमय दर	Rate of Exchange of Indian Rupee	..	666—667
243. कुछ संस्थाओं को अनुदान	Grants to certain Institutes	..	667

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
244. आंध्र प्रदेश में श्री सैलम पन-बिजली परियोजना	Srisailam Hydro Electric Project in Andhra Pradesh	.. 667—668
245. तुंगभद्रा उच्च तल योजना	Tungabhadra High Level Scheme	.. 668—669
246. परिवार नियोजन के लिए प्रचार	Publicity for Family Planning	.. 669
248. मितव्ययिता के उपाय के रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में कमी	Reduction in Central Government staff as an economy Measure	.. 669
249. चौथी योजना के लिए उत्तर प्रदेश की सहायता	Aid to U. P. for Fourth Plan	.. 670
250. न्यू एलाकालॉयड्स वर्क्स, नीमच	New Alkaloids Factory; Neemuch	.. 670
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query)	.. 670
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	.. 671—673 709—710
(1) पांडिचेरी में मंत्रिमंडल के पद-त्याग से उत्पन्न स्थिति	(i) Situation arising out of the resignation of the Cabinet in Pondicherry	.. 671—673
श्री शिवपूजन शास्त्री	Shri Shivpujan Shastri	.. 671
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..671,672,673
(2) कलकत्ता की स्थिति	(ii) Situation in Calcutta	..673,709-710
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	.. 709
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 709—710
स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में कलकत्ता में स्थिति	Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices Situation in Calcutta	.. 709—710
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 673—677
सभा-पटल पर पत्रों के रखे जाने के बारे में	Re. Laying of Papers on Table	.. 677—678
देश में अनाज की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Food Situation in the country	.. 678—708
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	.. 679—680
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	.. 680—681

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	.. 681—683
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	.. 683—684
श्री एस० के० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	.. 684—685
श्री रामकृष्ण सिन्हा	Shri R. K. Sinha	.. 685—686
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	.. 686—687
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikantamma	.. 687—688
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	.. 688—689
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	.. 697—698
श्री चिट्टी बाबू	Shri C. Chittybabu	702, 703—704
श्री लकप्पा	Shri K. Lakkappa	.. 690—691 704—705
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	..695,696,697
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	.. 706—708

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 30 मार्च, 1967/9 चैत्र, 1889 (शक)

Thursday, March 30, 1967/Chaitra 9, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रश्न पूछे जायेंगे।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : कलकत्ता की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए मैंने एक ध्यानाकर्षक सूचना तथा एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है। पहले हम प्रश्नों को ले रहे हैं और बाद में अन्य कार्यों के बारे में विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Reorganisation of Planning Commission

*139. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Kishan :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received some suggestions regarding reorganisation of the Planning Commission ;

(b) whether it is also a fact that the country has not made the desired progress by way of planned development ; and

(c) the further steps being considered to make the Planning Commission effective ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (c). The Administrative Reforms Commission has appointed a Study Team on the machinery for planning. The Team has not yet submitted its report. Steps to reorganise the Planning Commission will be taken in the light of Government's decisions on the recommendations of the Administrative Reforms Commission.

(b) The Draft Outline of the Fourth Plan contains the Planning Commission's assessment of the progress made and the difficulties encountered in the development of the country during the Three Plans.

Shri Prakash Vir Shastri : The Administrative Reforms Commission has been appointed recently, but the Planning Commission has been working since last fifteen years and three plans have been completed. I want to know whether the Planning Commission has itself ever felt the necessity of studying the reasons as to why desired results are not being achieved by Planning and if it has been felt whether any study has been made and if so the conclusions arrived at by the Planning Commission itself as a result of the study ?

Shri Asoka Mehta : All the suggestions in the regard made by the officials working in the Planning Commission are being submitted to the Study Group for their consideration. The Hon. Members might be aware that two senior officers of the Planning Commission have been included in the Study Group and the Secretary of the Study Group Prof. Pranjpayee has been studying the working of the Planning Commission independently since last two years.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was quite different. My question was whether keeping in view its failures the Planning Commission had not conducted any survey, before the appointment of the Administrative Reforms Commission in order to assess its achievements and failures and if any survey had been conducted, what were the results thereof ?

Shri Asoka Mehta : These are two separate questions. So far as the question of implementation of the plans is concerned, reports have been presented in Parliament many a times. So far as the question of the reorganisation of the Planning Commission is concerned, as I have already stated, all suggestions, relating to it are at present before the Commission.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know whether keeping in view the requirements of the country and present shortcoming, the Planning Commission has reconsidered the question of the structure of the Fourth Five Year Plan ?

Shri Asoka Mehta : A reference had been made to it in the President's Address and later on the Prime Minister has also stated in Rajya Sabha that :

"राष्ट्रपति ने योजना आयोग के आकार प्रकार तथा कार्य-संचालन के बारे में कहा है कि नई कठिनाइयों को देखते हुए जो हमारे सामने आई हैं तथा बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए हम सब सत्रों पर पुनर्गठन का विचार कर रहे हैं—योजना आयोग ने भूतकाल में अच्छा काम किया है परन्तु समय की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सारे काम का लगातार पुनरीक्षण किया जाता रहना चाहिए। अब तक तो ऐसा था कि जो काम आयोग में होता था, बहुत कुछ वही काम मंत्रालय में भी होता था × × × × इन मामलों पर मुख्य मंत्रियों से भी विचार-विमर्श करने का हमारा विचार है।"

Shri Prakash Vir Shastri : On a point of order. So far as the question of President's Address is concerned it was heard by all the Hon. Members. So far as the statement of the Prime Minister in Rajya Sabha is concerned, it has been published in the newspaper many times. At present a specific question is being asked from the Hon. Minister and that question

is whether the size of the Fourth Five Year Plan will be as it is or it is proposed to shorten it, keeping in view the shortcomings. So to quote the President's Address or the Prime Minister's statement in Rajya Sabha in reply to this question is to divert the trend of the question.

Shri Asoka Mehta : It has been stated that the outline of the Plan is ready. While preparing the outline of the Plan agreement had been reached with 16 states out of 17 states. But as new Governments have been formed now at some places, we have to discuss the matter with them. At the same time we are giving serious thought to the availability of resources and are in touch with the Chief Minister as well as the Centre in this regard. After the entire material is available, it will be before you as to how the plan outline should be reviewed.

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether while reorganising the commission special attention will be given to the question of removing those difficulties which had been before us for the last fifteen years and whether arrangements would be made for the better implementation of the Plan and better cooperation of the State Governments and Central Ministries.

Shri Asoka Mehta : There are certain difficulties just as drought over which we have no control. The Planning Commission cannot do anything so far as such difficulties are concerned, but we are discussing with the State Governments the question of the Plan machinery required for the implementation of Plan.

श्री कन्डप्पन : हमारे देश में योजना आयोग को जो दर्जा दिया गया है, जिसे सही तौर पर मंत्रिमंडल से भी ऊपर कहा गया है, वह बहुत विचित्र है। किन्तु इसके पीछे न तो कोई संवैधानिक और न ही कोई वैधानिक मंजूरी है। राज्यों तथा केन्द्र के बदले हुए सम्बन्ध को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार योजना आयोग को सांविधिक रूप देने को तैयार है ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि मैंने पहले कहा यह मामला विचाराधीन है। मैंने प्रधान मंत्री के वक्तव्य का जो उल्लेख किया था, उसका एक ही कारण था कि उन्होंने कहा है कि वह इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों से भी विचार-विमर्श करना चाहती हैं।

श्री कन्डप्पन : मेरा एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा है कि मामला विचाराधीन है। क्या यह मामला प्रशासन सुधार आयोग के विचाराधीन है अथवा सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अशोक मेहता : मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है। जब प्रतिवेदन हमारे पास आयेगा, चाहे उसमें जो सामग्री हो तब सरकार उस पर विचार करेगी तथा अपने निष्कर्ष निकालेगी। ऐसा करते समय मुख्य मंत्रियों के साथ भी विचार-विमर्श किया जायेगा।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या माननीय मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि योजना आयोग के सदस्यों को योजना की क्रियान्विति का भी उत्तरदायी बनाया जाये, क्योंकि योजना के बनाने तथा उसकी क्रियान्विति में बहुत भारी अन्तर है ?

श्री अशोक मेहता : यह सम्भव नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister has just now stated that the question of the reorganisation of Planning Commission is being considered by the Study Group. I want to know whether Government had made up its mind regarding the size of the Planning Commission, because it is not known by what time the Study Group's Report will be submitted. It has been suggested that the Planning Commission should be a small committee of experts and its size should not be as big as it is today. I want to know whether Government would go on waiting for the Study Group's Report or it will take a decision itself in this regard ?

Shri Asoka Mehta : I have already made it clear to the House that Government is waiting for the Committee's Report and that all suggestions given by people in this regard are before the Study Group. At the same time Government is also considering this question. A decision wlll be taken after giving thought to all these facts.

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has stated that the matter is under study by the Study Group. I want to know whether any study has ever been made about the industrial or agricultural short fall during the Five Year Plans implemented so far and if so, the action taken on the findings of such study ?

Shri Asoka Mehta : It has been studied many a times and all the facts have been placed before the House. The last report before you was regarding Plan outline. It has been given in detail in that report as to what were the defects in the last three Five Year Plan and what were the reasons therefor and how they would be removed.

श्री उमानाथ : कुछ समय पहले समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा था कि विश्व बैंक तथा भारत सहायता सार्थ-संघ ने भारत सरकार को सलाह दी है कि योजना आयोग को घटा कर एक मंत्रणा समिति का रूप दिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है, और यदि नहीं, तो क्या किसी समय इन विदेशी अभिकरणों ने बातचीत के दौरान योजना आयोग के पुनर्गठन का कोई सुझाव दिया है ?

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये दोनों सुझाव निराधार हैं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि योजना आयोग न केवल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में असफल रहा है, बल्कि इसके कारण आर्थिक संकट पैदा हुआ है । अतः इसे बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री अशोक मेहता : माननीय सदस्य ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, सरकार उनसे सहमत नहीं है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : योजना आयोग उर्वरक तथा खाद्य की समस्याओं को हल करने में असफल रहा है तथा गरीब जनता की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये पूर्णतः असफल रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस विभाग में क्या परिवर्तन करना चाहती है ताकि यह गरीव जनता की समस्यायों का हल अधिक प्रभावी ढंग से कर सके ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक यह कहने का सम्बन्ध है कि योजना आयोग खाद्य तथा उर्वरक की समस्याओं को हल करने में असफल रहा है इससे मैं सहमत नहीं हूं।

खाद्य तथा उर्वरक के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यवाइयां की गई हैं, तथा जो विभिन्न कठिनाइयां पेश आई हैं, वे सभा को ज्ञात हैं। यदि इन मामलों पर पृथक चर्चा की जाये तो मैं चर्चा करने को तैयार हूं। फिर माननीय सदस्य ने गरीब जनता को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। मैं मानता हूं कि हम उतना नहीं कर सके, जितना कि हम करना चाहते थे। वास्तविक कठिनाई यह है कि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं तथा हमें उनको कल्याण कार्यों की अपेक्षा उत्पादन कार्यों पर अधिक केन्द्रित करना है।

Bakshi Gulam Mohammad : I want to know what the Hon. Minister has in mind about the reorganisation of the Planning Commission, after fifteen years of experience and after seeing the reports of the Study Group and Committees etc. so that this common complaint raised from all quarters could be removed ? I want to know his personal opinion.

Shri Asoka Mahta : It does not matter much what I have in my mind, because what is in the mind of Government is brought before the House. What is in my mind is brought before the Government.

Bakshi Gulam Mohammad : Government is Government and it realises that the responsibility of Planning rest with the concerned Minister and therefore, it matters much as to how he advises Government. So it is a matter of importance what advice he is going to tender to Government. So I want to know what advice he is going to tender to the Government ?

श्री अशोक मेहता : महोदय, इस सभा में यह कभी नहीं पूछा गया कि एक मंत्री सरकार को क्या सलाह देता है। सूचना देने को तभी कहा जाता है, जब सरकार कोई निर्णय लेती है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय पर सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है तथा स्वयं भी जानकारी एकत्र कर रही है जिसमें योजना आयोग की राय भी शामिल है। सरकार इन सब बातों का पुनरीक्षण करेगी तथा जब कोई निर्णय लिया जायेगा, मैं सभा को जानकारी दूंगा......... **(अन्तर्बाधायें)**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बैठ जायें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रत्येक माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है। परन्तु हम पहले ही इस प्रश्न पर 15 मिनिट ले चुके हैं। यदि इस प्रश्न पर आधे घन्टे का समय और भी लगता है, तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा, परन्तु हमें और प्रश्नों को भी लेना है। मैं जानता हूं कि योजना आयोग का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस बारे में आधे घन्टे की चर्चा उठाई जा सकती है, परन्तु इस प्रश्न पर और अधिक समय लगाना ठीक नहीं हैं, क्योंकि दूसरे प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवक

+

*140. **श्री वासुदेवन नायर : श्री अ० क० गोपालन :**
डा० रानेन सेन : श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों से अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों को हटाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। किसी राज्य सरकार ने अमरीकी शान्ति दल के स्वयंसेवकों को वापस बुलाने की मांग नहीं की है। ये स्वयं-सेवक राज्यों में उनके अनुरोध पर भेजे जाते हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच नहीं है कि महाराष्ट्र तथा केरल सहित बहुत से राज्यों ने ये शिकायतें की हैं कि शान्ति दल के कुछ लोग तोड़फोड़ की कार्यवाही करते हैं और क्या योजना आयोग जो पहले इन अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठनों की देखरेख का जिम्मेदार था इन शिकायतों को दूर नहीं कर सका तथा वह इन शिकायतों को दबाता रहा और शान्ति दल से मिला हुआ था और यदि हां, तो क्या यही कारण है जिससे गत वर्ष यह विषय योजना आयोग से लेकर वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे सही नहीं हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई विषय केवल सुविधा एवं उपयोगिता के कारण दिया जाता है। यह भी ऐसे ही किया गया है। इन स्वयंसेवकों के विरुद्ध तोड़फोड़ की बहुत शिकायतें नहीं मिली हैं। जहां तक मैं पता लगा सका हूँ केवल पिलानी में एक स्वयंसेवक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी—और कहीं कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है—और वह व्यक्ति अब यहां नहीं है। अब तक जो 1600 स्वयंसेवक यहां आये हैं उनमें से केवल 4 व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें बुरे व्यवहार, शिष्टाचार की कमी तथा इसी प्रकार की शिकायतें हैं। एक मामले में तोड़-फोड़ की कार्यवाही का अर्थ यह था कि उसने दूसरों से वाद-विवाद करते समय पाकिस्तान के पक्ष में राय व्यक्त की थी। उन्हें भेज दिया गया है, अब वे यहां नहीं हैं।

श्री वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि केवल चार शिकायतें थीं। और वे भी अशिष्ट व्यवहार तथा इसी प्रकार की बातों के बारे में थीं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की जानकारी में यह आया है कि एक श्री लोगन सालदाह नामक व्यक्ति सितम्बर, 1964 में आया था और बहुत ही उत्तेजनात्मक स्थान जैसे डिलोजी तथा मसूरी में बस गया और उसने तिब्बती शरणार्थियों के कल्याण कार्य में अपने आपको दक्ष करने की इच्छा

प्रकट की तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने गुप्तचर विभाग से कुछ रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को वापस बुलाना चाहा था ? क्या सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि जोसी रुसल नामक एक 25 वर्षीय सुन्दर युवती, जो महोदय आपके राज्य में काम कर रही थी······

श्री हेम बरुआ : महोदय, आपके राज्य में तथा सुन्दर युवती में क्या सम्बन्ध है ?

श्री वासुदेवन नायर : वह वहां गृह विज्ञान कालेज में काम कर रही थी तथा कालेज का प्रधानाचार्य उससे छुटकारा पाना चाहता था । परन्तु वह विशेष महिला जो प्रधानाचार्य की शिकायत के बाद अमरीका वापस गई थी, 31 स्वयंसेवकों के दल के साथ बाद में वापस आ गई और सरकार से पूर्व अनुमति लिये बिना नागार्जुन सागर परियोजना में काम करने चली गई । मैं समझता हूँ कि जब वे परियोजना क्षेत्रों में जाते हैं, तो सरकार से पहले अनुमति प्राप्त करते हैं । परन्तु सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही वह युवती जिसकी गतिविधियों पर सन्देह था नागार्जुन परियोजना में काम करना चाहती थी । क्या हम समझ लें कि इस सरकार ने इन लोगों को छूट दे रखी है कि वे जहां चाहें जायें और जो काम करना चाहें करें ? इस देश में हो क्या रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : श्री लोगन सालदाह का मामला अवश्य सरकार की जानकारी में आया था । वह वर्ष 1964 में आया था तथा उसकी गतिविधियों को ठीक नहीं समझा गया, इसलिये उसे वापस भेज दिया गया । सुन्दर युवती अथवा उसे आप जो भी कहना चाहें के मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय वित्त मंत्री का यह कहना कि उन्हें सुन्दर लड़की के मामले की जानकारी नहीं है, संसद् को सूचना न देना है । वित्त मंत्री होने के नाते और चूंकि शान्ति दल उनके अधीन है, इसलिये उन्हें सुन्दर लड़कियों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मेरी एक आपत्ति है । यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो उनकी गतिविधियों के बारे में होनी चाहिए । उन्हें सुन्दर लड़के अथवा सुन्दर लड़की क्या कहा जाये ? यह एक आक्षेप है ।

डा० रानेन सेन : इस बात को देखते हुए कि बहुत से शान्ति दल के स्वयंसेवक तोड़-फोड़ की कार्यवाही करते रहे हैं, जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी बताया, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को ज्ञात है कि ये शांति दल स्वयंसेवक, स्वयंसेवक सेवा सम्मेलन के अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय को, जो कि अमरीकी शांति सेवा स्वयंसेवक, सी० आई० ए० की एक सम्बद्ध निकाय है, और जो इस समय दिल्ली में काम कर रही है, 4,500 डालर दान के रूप में दे रहे हैं तथा हमारे योजना मंत्री श्री अशोक मेहता भी उस सम्मेलन में शामिल हैं और यदि हां, तो मैं जानना

चाहता हूँ कि यह सरकार तथा हमारे मंत्री ऐसे संगठनों में शामिल क्यों हो रहे हैं, जिनके बहुत से स्वयंसेवकों पर आज भारत में सन्देह किया जा रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य का प्रश्न दो गलत धारणाओं पर आधारित है । पहली यह कि उन्होंने कहा है कि तोड़फोड़ की कार्यवाइयों के बहुत से मामले हैं ।

डा० रानेन सेन : उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है । मैंने तो केवल यह कहा है कि केवल एक स्वयंसेवक को ऐसा पाया गया था । क्या वह इसका अर्थ "बहुत" समझते हैं ? तब तो मुझे माननीय सदस्य से यह समझना होगा कि 'एक' की परिभाषा क्या है और 'बहुत' की परिभाषा क्या है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है । फिर उन्होंने जिस संगठन का उल्लेख किया है, उसका शांति दल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अ० क० गोपालन : मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्वयंसेवक दल को क्या विशेष सुविधायें दी जाती हैं तथा इस पर कितना धन व्यय किया जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई : ब्रिटानिया तथा कनाडा को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले स्वयंसेवक के आने तथा जाने के किराये की लागत तथा उनके भारत में रहने का खर्च सम्बद्ध देशों द्वारा दिया जाता है । भारतीय अधिकारी उनके रहने के लिये केवल सादे तथा आवश्यक साज-सामान युक्त मकानों का प्रबन्ध करते हैं तथा उन्हें एक साइकिल दी जाती है और उनकी मुफ्त डाक्टरी चिकित्सा की जाती है । वे अपने उपयोग के लिए भारत में जो नई वस्तुएँ मंगाते हैं, उन पर आयकर तथा सीमा शुल्क से 2,250 रुपये तक की छूट दी जाती है ।

श्री उमानाथ : हाल ही में तनजानियां के राष्ट्रपति नेयरेरे तथा कम्बोडिया की सरकार ने शांति दल के सब स्वयंसेवकों को वापिस बुलाने की मांग की है और उन पर आरोप लगाया है कि वे देश के आन्तरिक मामलों तथा गुप्त रहस्यों में हस्तक्षेप करते हैं । दूसरे अमरीका के बहुत से समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि यह विशेष शांति दल सी०आई०ए० की गति-विधियों को बढ़ावा देने के लिए, उसका एक साधन है । तीसरे वित्त मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि दुर्व्यवहार के मामले हुए हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : 1600 में से केवल 4 ।

श्री उमानाथ : दुर्व्यवहार के मामले हुए हैं और जैसाकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है एक से अधिक मामले हुए हैं । चौथे केरल सरकार ने यह घोषित किया है कि दुर्व्यवहार के कारण कुक्कुटपालन केन्द्रों में काम करने वाले स्वयंसेवकों की कार्यावधि को नहीं बढ़ाया जायेगा । इन सब बातों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार शांति दल के स्वयंसेवकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य का प्रश्न ऐसा प्रतीत होता है, दुर्भावना पर आधारित है । हमें तथ्यों को देखना चाहिए । तथ्य यह है कि देश ने या राज्य सरकारों ने इन स्वयंसेवकों की वापसी की मांग नहीं की है ।

मैंने पहले भी कहा है कि यदि कोई राज्य सरकार स्वयंसेवकों को नहीं चाहती, तो वहां उन्हें नहीं भेजा जायेगा । यदि कोई राज्य स्वयंसेवक नहीं चाहता तो उन पर स्वयंसेवक थोपने का प्रश्न नहीं है । उन्होंने स्वयंसेवकों की मांग की थी और इसलिए उन्हें ये दिये गये थे । परन्तु अब यदि कोई सरकार उन्हें नहीं चाहती तो उसे वे नहीं दिये जायेंगे । किसी पर स्वयं-सेवक थोपने का कोई प्रश्न नहीं है । इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है । यदि किसी अन्य देश का कोई दूसरा अनुभव हुआ है, तो वह कोई आधार नहीं है, जिससे हम यह कहें कि हमारा भी यही अनुभव है ।

श्री उमानाथ : अमरीकी समाचार-पत्रों में यह लिखा है ।

श्री मोरारजी देसाई : अमरीकी समाचार-पत्र कई प्रकार की बातें कहते हैं । अमरीका एक प्रजातंत्र देश है, परन्तु वह उस प्रकार का प्रजातंत्र नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं ।

श्री उमानाथ : सब समाचार-पत्रों ने कहा है ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सच नहीं है । यह कहना बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना है । जो सच नहीं है ।

श्री उमानाथ : "दि न्यूयार्क टाइम्स" समाचार-पत्र ने यह कहा है ।

श्री श्रीपद अमृत डांगे : मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर आ चुका है । परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को सूचित किया है कि उन्हें शांति दल की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तथा वे उनकी सहायता के बिना ही मुर्गी के बच्चे पाल सकते हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे केरल सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार को अमरीकी शांति दल के स्वयंसेवकों को किसी कारण से रखना पड़ता है तथा क्या हमारे यहां काम करने के लिये पर्याप्त संख्या में समाज सेवक नहीं हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि ऐसे लोग हैं, जो हमारी सहायता कर सकते हैं और स्वेच्छा से यहां आते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कारण है कि हमें उन्हें नहीं रखना चाहिये, यदि वे हमारे लिये लाभदायक हों । हम किसी कारणवश किसी को रखने को बाध्य नहीं हैं । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता । यह तो हमारी स्वेच्छा का प्रश्न है । प्रश्न पर्याप्त मात्रा में स्वयं-

सेवक न होने का नहीं है, प्रश्न तो यह है कि हमें और अधिक स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ कुष्ट निवारण के लिये हमें बाहर के लोगों को रखने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी नर्सें तो उन्हें देखना भी नहीं चाहतीं।

Shri Sheo Narayan : I want to know the action taken by Government against the volunteer against whom a complaint was lodged.

Shri Morarji Desai : Had the Hon. Member been attentive, he would have known it. I have said that he has been sent back.

Shri Shashi Ranjan : The Hon. Minister has stated that these foreign volunteers have been given certain economic facilities and they have also been given the facility to visit sensitive areas. I want to know whether the same facilities have also been given to Indian voluntary organisations working in the country. I am asking this question because some voluntary social service organisations have not been given the facility to work in Nagaland or other sensitive areas. I want to know whether the volunteers of this country will also be given that economic facilities and the facilities to enter sensitive areas ?

Shri Morarji Desai : Such case coming before us will be given due consideration.

श्री ज्योतिर्मय बसु : देश में शांति दल की गतिविधियों के बारे में गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच विभाग ने सरकार को क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह केवल हमारी रिपोर्टें नहीं हैं, बल्कि राज्य सरकारों की भी यही रिपोर्टें हैं कि वे अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केन्द्रीय जांच विभाग के बारे में कह रहा हूं न कि राज्य सरकारों के बारे में।

श्री मोरारजी देसाई : केन्द्रीय जांच विभाग को और भी बहुत से काम करने होते हैं और यह काम उनके काम का केवल एक अंग है।

श्री उमानाथ : क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है ?

श्री कन्डप्पन : उत्तर बहुत टालमटोल वाला है।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister has stated that we have got to get people from foreign countries to look after the leprosy patients, because here our people hesitate in looking after them. Is it not a fact that the people of Gandhi Sewa Sangh are more interested in serving the leprosy patients than any other and they are rendering more meritorious service than the foreigners and have our Government not been able even after twenty years of independence to have volunteers from here who are ready to dedicate themselves to social service, out of a population of 50 crores ?

Shri Morarji Desai : It is not for the Government to prepare volunteers. Volunteers are those, who offer themselves at their own accord to social service.

Shri Bibhuti Mishra : On a point of order, Sir, Gandhi Sewa Sangh is an organisation, which is rendering very meritorious service to leprosy patients and why Government has not called upon that organisation to serve them and why people from outside are being called ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Hon. Minister be pleased to state the numbers of the volunteers today, what was their number during the last two years and whether he thinks it proper that arrangements should be made to keep a strict watch over their activities ?

Shri Morarji Desai : Whatever they are doing is known to all and all know them. There is no need for keeping a strict watch over them. We are keeping a strict watch, wherever it is necessary. The present strength of the volunteers is 1271 and it is hoped that their number will be 501 next year.

Shri Kanwar Lal Gupta : What was their number during the last two years ?

Shri Morarji Desai : They were 1600 when came, now they are 1271.

Shri Tulsidas Jadhav : Sir, the villagers with whom the American Volunteers are working and assisting them in their poultry farms etc. have given them a very good report and have recommended in their favour. I want to know whether it is known to Government ?

Shri Morarji Desai : I have said that they are doing good work. We have received such reports from the State Governments and other people.

चौथी योजना में उर्वरकों का उत्पादन

* 141. **श्री च० चु० देसाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य हाल ही में काफी घटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किन कारणों से किया गया है ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री च० चु० देसाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लक्ष्य में कमी का कारण उर्वरक उद्योग में लाईसेंस का प्रयोग न करना और भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा गलत नीति तथा गलत विचारधारा अपनाये जाना था। दूसरे, उर्वरक उत्पादन के लिये कितने औद्योगिक लाईसेंस दिये गये, उनका क्या बना तथा उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया ?

श्री अशोक मेहता : मैं पहले ही बता चुका हूं कि लक्ष्य में कोई कमी नहीं हुई है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में लाईसेंस दिये हैं। वे जब पूरे हो जायेंगे तो उनसे 2.8 या 2.9 टन नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन होगा।

श्री च० चु० देसाई : फारस की खाड़ी से या दूसरे देशों से जिनको कि विश्व बैंक के राष्ट्रपति ने जोर दिया है, अमोनिया को आयात करने की सरकार की क्या नीति है ?

श्री अशोक मेहता : सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन देश में उपलब्ध नेफ्था से ही करना होगा।

श्री च० चु० देसाई : अमोनिया के आयात का क्या हुआ ?

श्री अशोक मेहता : प्रश्न यह था कि हमारी नीति क्या है। क्या हम अमोनिया के आयात की अनुमति देंगे ? इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि यह देशीय नेफ्था पर निर्भर है। मेरा उत्तर स्पष्ट है।

श्री च० चु० देसाई : आपके उत्तर में अमोनिया का कोई जिक्र नहीं था।

श्री अशोक मेहता : अमोनिया नेफ्था से बनाया जाता है। मैंने यह कहा है कि हम इसमें देश में प्राप्त कच्चा माल प्रयोग करेंगे।

श्री च० चु० देसाई : क्या आप अमोनिया के आयात की अनुमति देंगे ?

श्री अशोक मेहता : मैंने पहले ही कहा है कि इस विषय में हमारी नीति देश में प्राप्त कच्चा माल प्रयोग करने की है।

Shri Onkar Lal Berwa : The Hon. Minister has told just now that many licences have been issued. May I know whether those factories have actually started working? There have been many instances in Rajasthan where the factories have not yet started working inspite of issuing licences to them. Have you received information like that? Have you conducted any investigation in this matter that the licencees have actually started working or not?

Shri Ashok Mehta : We have full information. So far as I think, you are talking of quota. D. C. M. factory is going to be started. So far as Jalari is concerned, it has been cancelled.

Shri Onkar Lal Berwa : How many times their licences have been renewed? What was the reason for renewing their licences and what was the reason for not starting the work?

Shrimati Tarkeshwari Sinha : There is no reply.

श्री वेंकटासुब्बय्या : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि तीसरी योजना की जांच से पता लगा है कि निजी क्षेत्र रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में पूर्णतया असफल रहा है। क्या सरकार अधिक उर्वरक कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में खोल रही है या निजी क्षेत्र को अधिक उर्वरक उत्पादन करने का काम उनके परिणामों को ध्यान में रखते हुये सौंप रही है।

श्री अशोक मेहता : सरकार की नीति जिसको बहुत बार दोहराया जा चुका है, स्पष्ट है। हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यक्रम को आगे प्रोत्साहन दे रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं को जिनको लाइसेंस दे दिया गया है, जब पूरी हो जायेंगी तो इनसे लगभग 1·6 करोड़ टन नाइट्रोजन प्राप्त होने की आशा है। पिछले कुछ महीनों में निजी क्षेत्र में भी स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : समाचार-पत्रों से यह विदित हुआ है कि चौथी योजना का पुनर्निधारण हो रहा है। और योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य डा० राव ने कहा है कि योजना

का महत्वपूर्ण भाग तैयार किया जा रहा है। क्या लक्ष्य को घटाने की सम्भावना है यदि हां तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री अशोक मेहता : हमारा उत्पादन लक्ष्य 2.4 करोड़ टन है। न केवल इस लक्ष्य को पूरा किया जायेगा बल्कि लाईसेंस दिये गये कारखानों का लक्ष्य यदि पूरा हो गया तो योजना के अन्त में उत्पादन क्षमता 2.9 करोड़ टन हो जायेगी। प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी और क्या निजी क्षेत्रीय कारखाने, जिनको लाईसेंस दे दिया गया है अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करेंगे ?

इन मामलों का लगातार पुनर्विलोकन किया जा रहा है यदि किसी समय सदन को किसी विशेष दिन की स्थिति की जानकारी की आवश्यकता हुई तो स्थिति से सूचित कर दिया जायेगा।

श्री स्वैल : क्या यह तथ्य है कि पिछले साल सरकार ने कुछ विदेशी कम्पनियों को उर्वरक उत्पादन में धन लगाने में कुछ छूट दी थी परन्तु इन विदेशी कम्पनियों ने इस छूट पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। यदि यह सच है तो सरकार ने 1971 तक खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की थी, उसके विषय में सरकार का क्या विचार है ?

श्री अशोक मेहता : मैंने अभी ही कहा है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जिन परियोजनाओं को पिछले एक साल में लाईसेंस दिये गये हैं, जब वह पूरी हो जायेंगी तो वह इसके अतिरिक्त 9 से 10 लाख टन तक अधिक उत्पादन करेंगी। इसके अतिरिक्त और बहुत-सी योजनाएँ विचाराधीन हैं। हमें आशा है कि यदि सब लोग या कम से कम उनमें से बहुत से लोग गम्भीर रूप से काम करने के लिए आगे आते हैं तो हमारी लाईसेंस की क्षमता शीघ्र ही लगभग 4 करोड़ टन हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : पिछले साल सरकार ने कहा था कि एक उर्वरक दल अमरीका तथा और अन्य देशों का भ्रमण करेगा। इस भ्रमण का क्या परिणाम निकला ?

श्री अशोक मेहता : एक पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मण्डल ने बहुत से देशों का भ्रमण किया था और तब से इस विषय में बहुत-सी गम्भीर पूछताछ की जा रही है। कुछ धन लगाने वालों ने अपने लाइसेंस ले लिए हैं और दूसरे इस विषय में हमारे से बातचीत और लिखित कार्यवाही कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Those who had been invited to establish the factories here, but did not do that and those who have been issued licences for starting the factories, but have not done so, may I know what action are you taking in this regard ?

Shri Ashok Mehta : In this regard, first letter of intend has been issued. After that the Industrial licence is issued. They should work according to the conditions otherwise their licence would be cancelled. If you want information that can be given.

श्री जी० विश्वनाथन : उर्वरकों का राज्य में आवंटन करते हुए क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों का कार्य तथा उनसे प्राप्त होने वाले प्रति एकड़ की सम्भावना पर भी विचार किया है।

श्री अशोक मेहता : उर्वरकों के आवंटन का काम खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है।

बरौनी और नामरूप उर्वरक कारखाने

+

*142. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** **श्री खगपति प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उवर्रक निगम का विचार 1970-71 तक बरौनी और नामरूप में दो नई परियोजनाएँ (कारखाने) आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक कारखाने में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होने की आशा है; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत किसनी होगी ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघूरामैया): (क) भारतीय उर्वरक निगम दो कारखाने स्थापित करेगी, एक बरौनी और दूसरा नामरूप (विस्तार) में। यदि निकट भविष्य में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो गई तो इन कारखानों के 1970-71 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रत्येक कारखाने की यूरिया उत्पादन क्षमता 3,30,000 मीटरी टन होगी, जो 1,51,800 मीटरी टन प्रतिवर्ष नाइट्रोजन के बराबर है।

(ग) बरौनी — लगभग 38 करोड़ रुपये
नामरूप — लगभग 30 करोड़ रुपये
विस्तार

Shri Yamuna Prasad Mandal : It has been reported in some papers that the site selected for the fertilizer plant in Barauni is not proper. How far it is correct that there have been difficulties in the selecting of the Site ?

श्री रघुरामैया : इस सम्बन्ध में यह जानकारी मिली है कि 300 एकड़ का क्षेत्र कारखाने के लिए उपलब्ध है। इस मामले में कोई कठिनाई आई हो तो इसका मुझे पता नहीं।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Would the actual production be started in 1971 ?

श्री रघुरामैया : वास्तव में, विदेशी मुद्रा की स्वीकृति के तीन साल बाद ही इस कारखाने ने काम आरम्भ किया।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों के नाम बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं। वे यहां नहीं हैं। मैं अब अगला प्रश्न पूछता हूँ।

Fire in Rudrasagar Oil Well

+
*143. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri D. C. Sharma :**
Shri K. N. Tiwary : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Dr. Karni Singh :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fire broke out in an oil well at Rudrasagar in January, 1967 ; and

(b) if so, the cause of the fire and the extent of total damage caused thereby ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्थापित की गई एक जांच समिति इन मामलों की छानबीन कर रही है और आशा है कि इस मास के अन्त तक उक्त समिति रिपोर्ट देगी। तब तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जा सकता।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government is aware of the extent of damage caused by fire ?

श्री रघुरामैया : वास्तव में हमारे पास इसका लगभग अनुमान है। एक रिग को क्षति पहुंची थी। अवमूल्यन से पहले इसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपये थी। तेल का भी कुछ नुकसान हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : Similary, a fire broke out in a Ranchi factory and the Government had to suffer a great loss. I want to know whether Government intent to adopt some preventive measures to check against it ? Have the Government expected any sabotage behind this fire ?

श्री रघुरामैया : जहां तक मेरी जानकारी है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्राधिकार में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इस प्रकार की यह पहली घटना है।

कुछ तकनीकी कारणों से तेल का विस्फोट हुआ। यह बहुत ही अस्वाभाविक घटना है। इसको नियंत्रित करने में कुछ समय लगा। हमें आशा है कि ऐसी दुर्घटना फिर नहीं घटेगी।

Shri K. N. Tiwari : Who are the officers in the commission proposed to be appointed in connection with that fire and when would be the report expected to be submitted ?

श्री रघुरामैया : ओ० एन० जी० सी० के तीन पदाधिकारी उसमें हैं और उसके एक डायरेक्टर इसके अध्यक्ष हैं। मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हुई है कि जब मैं सदन में आ रहा था तो मुझे बताया गया था कि इसकी रिपोर्ट मिल गई है।

डा० कर्णी सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद तेल के कुओं के बनाने में जो कुछ कमी रह गई है इसका पता लग जायेगा। हमने विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशी विशेषज्ञ हमारे देश में उपलब्ध विशेषज्ञों से किस प्रकार अधिक कुशल हैं।

श्री रघुरामैया : एक रूसी सलाहकार ओ० एन० जी० सी० से सम्बद्ध है। उसकी सेवाएँ वांछनीय समझी गयी थीं। अतः उसकी नियुक्ति की गई थी। वह अपने विषय में विशेषज्ञ है। वैसे हमारे भी विशेषज्ञ हैं।

डा० कर्णी सिंह : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का क्या हुआ ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन और समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा वह आज सुबह ही प्राप्त हुई है।

डा० कर्णी सिंह : क्या आप उसे सभा-पटल पर रखेंगे ?

श्री अशोक मेहता : हम उसका पहले अध्ययन करेंगे और फिर निर्णय करेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : Have the Government received any information to the effect that eight days before the fire broke out there arose a conflict between Russian experts and engineers which was the cause of this fire ?

श्री रघुरामैया : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने आग के कारण बता दिये हैं।

श्री हेम बरुआ : यह आग बहुत बड़े आकार की थी और इसकी लपटें 36 मील से भी अधिक की दूरी से देखी जा सकती थीं। क्या यह सच नहीं है कि (क) उस रिग में, जो अब आग से बिलकुल नष्ट हो गया है, दराड़ों के चिह्न देखे गये थे और उसकी मरम्मत के लिये कुछ नहीं किया गया और (ख) जब सूराख किया गया और तेल नीचे बह निकला तो उस सूराख को बन्द करने के लिये कुछ भी नहीं किया गया। यह आग वहां पर तैनात अधिकारियों की लापरवाही से लगी है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ? क्या सरकार ने कोई प्रारम्भिक जांच करवाई है और यदि हां, तो क्या उसमें इन तथ्यों को प्रकट किया गया है ?

श्री रघुरामैया : मैंने पहले ही बता दिया है कि यह आग किन परिस्थितियों में लगी थी और उसका आधार प्रारम्भिक जांच ही था। एक पूरा प्रतिवेदन आ गया है और उसमें सारे ब्योरे दिये होंगे।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री कहते हैं कि एक पूरा प्रतिवेदन आ गया हैं। उस प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों को हमें कब बताया जायेगा ? क्या वे तथ्य सभा में बताये जायेंगे या हमको भेजे जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन अभी प्राप्त हुआ है। सरकार इसकी जांच करेगी।

श्री लीलाधर कटकी : माननीय मंत्री ने बताया कि हमारे तेल क्षेत्रों में इस प्रकार की आग आम तौर पर नहीं लगती और इसको बुझाने के लिये हमें विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ीं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस प्रकार की आग से बचाव के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं ?

श्री रघुरामैया : पहली बात तो यह कि इस देश में एक रूसी मंत्रणाकार है। अलबत्ता हमने कुछ और तकनीकी विशेषज्ञ बुलाये क्योंकि यहां के विशेषज्ञों के लिये यह एक कठिन मामला था। जहां तक उपाय करने का सम्बन्ध है मुझे विश्वास है आयोग ने इसकी जांच की होगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात राज्य को गैस की सप्लाई

*144. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 30 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में गैस की सप्लाई के लिये उद्योगों द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दिये जाने वाले मूल्य से सम्बन्धित विवाद की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है ;

(ख) क्या मध्यस्थ ने अपना प्रतिवेदन तथा निर्णय दे दिया है ;

(ग) यदि हां तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की सम्भावना है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण-मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) क्योंकि मध्यस्थ अब भारत सरकार के एक मन्त्री हैं, झगड़े का निपटारा कैसे करना चाहिये, इस प्रश्न पर गुजरात राज्य से बातचीत हो रही है।

Shri Yashpal Singh : May I know the time by which the Hon. Minister will submit his report, the time by which a headway will be made in the matter and since when this matter has been pending ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : This matter has been pending since 26th February, 1964. So far as their report is concerned, I have already stated that the proceedings are nearly complete and whether they have to submit the report or not, we are conferring over this question with the Chief Minister of Gujarat and after I have concluded the talks I shall be able to state specifically.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government will intervene of its own in the matter in view of the fact that they have not submitted the 1964 Report and similarly they may not submit the report for another three years?

Shri Asoka Mehta : So far as the formulation of the report is concerned, I have already stated that the proceedings are almost complete, but in the meantime the arbitrator took over as a Minister in the Central Government and therefore we have enquired of the Chief Minister of Gujarat whether the arbitration proceedings have to be continued or he wants to settle this matter in some other way because the arbitration is between Government of India and Gujarat.

श्री आर० के० अमीन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम के मामले में गैस के मूल्य निर्धारित करने के सिद्धान्तों को पहले ही तय कर लिया गया था, गुजरात के मामले में ऐसा पंच नियुक्त करना क्यों आवश्यक था ? गैस के मूल्य निर्धारित करने में गुजरात के साथ भेद-भाव क्यों बर्ता गया ?

श्री अशोक मेहता : इस मामले पर उस समय अवश्य विचार किया गया होगा; मैंने तथ्यों को नहीं देखा है । परन्तु यह सच है कि दोनों पक्ष इस मामले पर मध्यस्थ निर्णय के लिये मान गये थे ।

श्री आर० के० अमीन : क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इस पर झगड़ा उठाया था ।

Shri Ram Sewak Yadav : Why this matter is being unnecessarily prolonged when the report as stated by the Hon. Minister is ready?

Shri Asoka Mehta : I stated that the proceedings are nearly complete.

Shri S. M. Banerjee : What do you mean by nearly?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रतिशत कैसे बता सकते हैं ?

श्री अशोक मेहता : यह विवाद केन्द्र और गुजरात दोनों सरकारों के बीच है । एक पंच था जो कि दोनों से स्वतंत्र था । अब वह पंच भारत सरकार का मंत्री है । इसलिये हम गुजरात सरकार से पूछ रहे हैं कि इस मामले में उनकी क्या राय है । आखिर वह मुख्य सम्बन्धित पक्ष है । हम एक पक्ष हैं । हम पता लगायेंगे कि क्या किया जाना है ।

श्री मनुभाई पटेल : ताजा खबरों के अनुसार पंच अपना प्रतिवेदन देने के लिये तैयार नहीं है और उसने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को आपस में फैसला करना चाहिये । क्या यह सच है ?

श्री अशोक मेहता : पंच ने केवल यह प्रश्न उठाया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि अब वह भारत सरकार के सदस्य हैं, तो क्या दोनों पक्ष चाहते हैं कि वह अपना निर्णय दें या वे स्वयं इसका फैसला करेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : सरकार मामले को निपटाने में बहुत समय लगा रही है । अब तक कितनी गैस नष्ट हो गई है और सरकार को कितनी हानि हुई है ?

श्री अशोक मेहता : मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता कि सरकार समय नष्ट कर रही है। यह ऐसा मामला है जिसमें दोनों पक्षों को पूरा प्रतिनिधान करने के लिये समय दिया जाता है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह यह है कि एक पक्ष जो कुछ कहे वह दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराया जाये और दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने के लिये पूरा अवसर दिया जाये। इसमें काफी समय लग गया है और इसके लिये न तो पंच ही और न ही कोई और जिम्मेदार है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : प्रश्न की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात के निजी उद्योगों द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को दिये जाने वाले मूल्य के बारे में विवाद है। गुजरात सरकार बीच में क्यों कर आती है ? क्या गैस को पहले गुजरात को बेची जाती है और गुजरात सरकार उसको फिर उद्योगों को बेचती है ?

श्री अशोक मेहता : पक्ष में राज्य बिजली बोर्ड भी शामिल है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या माननीय मंत्री को पता है कि मूल्य का फैसला करने में इस असाधारण विलम्ब के कारण गैस उपयोग करने वाले उद्योगों के विकास में बाधा पड़ रही है और गुजरात राज्य का बिजली बोर्ड भी गैस का उपयोग नहीं कर सक रहा है ?

श्री अशोक मेहता : यथाशीघ्र इस मामले को निपटाया जायेगा।

नगरीय क्षेत्रों का विकास

*145 **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वित्तीय वर्ष में देश में नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिये कितना धन नियत किया गया है; और

(ख) यह धन किन-किन मदों के अन्तर्गत नियत किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). नगरीय क्षेत्रों का विकास मुख्यतः स्थानीय निकायों का उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए अगले वित्तीय वर्ष में स्थानीय निकायों के द्वारा निर्धारित धन के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना नहीं है।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, my question has not been answered. My question is "how much money has been earmarked", there is no question about any local body. Is there any provision for it in the Five Year Plan ? That was my question whereas the reply is different.

श्री इकबाल सिंह : नगरीय क्षेत्रों के विकास में परिवहन, सफाई, आवास सहित अनेक बातें शामिल होती हैं, यह अधिकांशतः स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।

Shri George Fernandes : Has any special provision been made by the Central Government for the next five years for the improvement of Bombay city, where one person out of every 100 persons of the country lives ?

Shri Iqbal Singh : It is a general question. We were to give aid to the State Government, who will give help to them for it.

Shri George Fernandes : Can the Hon. Minister clarify that Prime Minister Indira Nehru-Gandhi had conveyed through the President of Bombay Pradesh Congress during the election that......

Shri Kanwar Lal Gupta : On a point of order, can a Member call the name of another Member wrongly ? May I request you to let us know her correct name ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बताना चाहता । यह काम मेरा नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या प्रतिज्ञान के समय अधिकृत नाम नहीं बोला जाता है?

अध्यक्ष महोदय : स्वाभाविक है । प्रतिज्ञान के समय पूरा नाम लिया जाता है । सही नाम पता लगाने के लिये हम प्रश्न-काल का प्रयोग कर रहे हैं ।

Shri George Fernandes : I was present when oath and affirmation were subscribed and the Prime Minister had subscribed oath as Shrimati Indira Nehru-Gandhi. In directory of Member of Lok Sabha also her name has been given as Shrimati Indira Nehru-Gandhi.

Is the Hon. Minister aware that Prime Minister Indira Nehru-Gandhi had conveyed to the people of Bombay during the elections through the President of Bombay Pradesh Congress Committee that a special provision was being made in the next Five Year Plan for the development of Bombay ?

Shri Iqbal Singh : I do not know what she had said.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Retrenchment in N. C. C.

S. N. Q. 3. + **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Sarjoo Pandey :** **Shri Ram Singh :** **Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that whole-time Under Officer Instructors and Sergeant Major Instructors recruited in different parts of the country in N. C. C. at the time of Chinese aggression are being removed from service ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether they have submitted any representation to Government ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) They were recruited on a temporary basis in lieu of service personnel who were not available at that time. Since the army is now in a position to provide the necessary personnel their services are no longer required. They are being replaced as and when service personnel become available for instructional duties in the N. C. C.

(c) Yes, Sir.

(d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The total number of cadet Instructors involved is 673 and Government have considered the matter with sympathy and have taken the following steps to assist them in getting alternative employment :—

1. The Government of India have given relaxation of age limit in favour of Cadet Instructors in the NCC for purposes of employment in civil posts under the Central Government as follows :—

(i) For purposes of appointment to posts, recruitment to which is made through the Employment Exchange, they will be given 'PRIORITY III',

(ii) They will be allowed to deduct from their actual age the period of service rendered by them in the NCC and if the resultant age does not exceed the prescribed upper age limit of a particular post by more than three years, they will be deemed to be satisfying the condition for appointment to that post in respect of the maximum age.

2. All State Governments have been requested to extend concessions similar to (1) above to Cadet Instructors for employment in posts under State Governments.

3. Cadet Instructors have been permitted to appear as private candidates for post-graduate examinations.

4. Encouragement and coaching has been provided to eligible Cadet Instructors for the grant of Short Service Regular Commission in the Army.

5. Applications from Cadet Instructors for appointments in the Border Security Force under the Central Government have been forwarded for consideration by the Ministry of Home Affairs.

6. For recruitment as Deputy Superintendents of Police in the Central Armed Forces, one of the qualifications prescribed is as follows :—

(i) Must have held the rank of at least an Under Officer in the Senior Division N. C. C.

OR

(ii) Hold N. C. C. Certificate 'C'

7. It has been agreed at a conference of Commandants General of Home Guards of all States that Cadet Instructors would be a suitable source of recruitment of instructors for the Home Guards.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Are Government satisfied that the services of the people retrenched were no more required ; if so, have any arrangements been made to provide them alternative jobs ?

Shri B. R. Bhagat : This information is contained in the statement.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of people retrenched so far and the total number of persons proposed to be retrenched by you ? Do Government pay special attention to it that such programmes are undertaken on a continuing basis and not just undertaken during emergency period ?

Shri B. R. Bhagat : There has been no retrenchment so far. The persons so employed on a temporary basis number 673 and as and when fully trained army personnel are available after obtaining junior or senior commission, they will be relieved. All possible facilities to them in finding alternative jobs have been explained and every assistance will be given to them.

Shri Narayan Swarup Sharma : The Hon. Minister in the Ministry of Defence just now stated that the services of persons so retrenched were no more required. We all know and the Government should also know that some part of territory is still under the occupation of China. Are we given to understand from the statement of the Hon. Minister that there is no need to liberate our territory from the Chinese occupation ?

Shri B. R. Bhagat : This question cannot be linked with it. It is a question of some instructors required for training purposes. At that time so many persons were not available in the army and moreover, Chinese aggression was also there and as such the army was being expanded, that section of the army could not be engaged on this job of imparting training. Therefore, some persons were appointed on a purely temporary basis and they were told accordingly. Since persons from the army are available now and can perform the job of imparting training very well, the necessity of these people is no more felt.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर से मालूम देता है कि चूंकि सेना में अब आसानी से नियमित व्यक्ति मिल रहे हैं, नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों की सेवायें समाप्त किये जाने की संभावना है । क्या यह सच है कि नेशनल कैडेट कोर के कैडेटों के अतिरिक्त 6000 अधिकारी भी फालतू घोषित कर दिये गये हैं और उनकी छंटनी कर दी गई है । यदि हां, तो क्या उन्हें वापस ले लिया गया है अथवा उन्हें दूसरा रोजगार दे दिया गया है ।

श्री ब० रा० भगत : यह अन्य क्षेत्रों में संभावित छंटनी के बारे में है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान्, श्री चह्वाण द्वारा इस सभा में एक आश्वासन दिया गया था...

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है, तो आप दे दें ।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि नीति स्वरूप नियमित सेना में जिन लोगों की जरूरत नहीं समझी जाती, उन्हें नेशनल कैडेट कोर अथवा प्रादेशिक सेना में भेज दिया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक अफसर अथवा प्रशिक्षक पर सरकार को काफी धन खर्च करना पड़ता है और यह देखते हुए कि हमें अपनी सेना बढ़ानी है, चाहे नेशनल कैडेट कोर अथवा नियमित सेना हो, और उनकी छंटनी से उनपर खर्च किये धन के अपव्यय और उनके अनुभव की हानि को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति को बदला जायेगा और लोगों की छंटनी नहीं की जायेगी ताकि सेना संख्या उतनी ही बनी रहे ?

श्री ब० रा० भगत : अब यह निश्चित हो गया है कि सेना न केवल अपना काम कर सकती लेकिन कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिये भी कर्मचारी दे सकती है । अभी तक वे अस्थायी प्रबन्ध के जरिये यह काम कर रहे थे । अब उनके अपने कर्मचारी हैं और भावी विस्तार से सेना के हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेशनल कैडेट कोर में काम करने वाले कुछ प्रशिक्षक अथवा अधिकारी नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द सेना के भूतपूर्व कर्मचारी हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन मामलों पर पृथक रूप से विचार करने का है ?

श्री ब० रा० भगत : उन कर्मचारियों का प्रश्न नहीं उठता, ये लोग तो साफ तौर से जताकर अस्थायी रूप से रखे गये हैं । इस शर्त पर रखे गये सभी कर्मचारियों को बराबर समझा जायेगा ।

Shri Ranjit Singh : At the end of 1966 you were short of 1400 officers in the N.C.C., 1000 officers in J.C.O. rank, 2500 in the cadre of N.C.Os. Since the N.C.C. officers work in place of J.C.Os. and N.C.Os., their strength is being reduced. Is it not a fact that the strength of N.C.C. is being brought down to eight lakhs only from 17 lakhs ?

Shri B. R. Bhagat : The question is about 673 instructors but the strength of the army or instructors is a different question. But as I stated earlier they are not being dispensed with immediately. As and when commissioned officers trained in the army are available they will be dispensed with. If they are not required these persons will continue. Therefore, the question of reduction in the strength of the army or of jeopardizing the defence of the country does not arise.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम उन्हें नियमित सेना में रखना चाहेंगे ।

Shri Ranjit Singh : My question has not been replied.

Shri Prakash Vir Shastri : While reducing the strength of these officers in the N.C.C., have the Defence Minister taken into consideration the suggestion to merge into one scheme the N.C.C., A.C.C. and the National Discipline Scheme started by Late General Bhonsle, an associate of Netaji Subhash Chandra Bose ?

Shri B. R Bhagat : I require notice for it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

*146 **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांक और अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों को राहत देने की दृष्टि से उन्हें अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई): (क) जी हां । जनवरी 1967 का अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 197 था तथा जनवरी 1967 को समाप्त 12 महीनों का औसत सूचकांक 186.50 था ।

(ख) सरकार द्वारा मूल्य-वृद्धि को, तथा उसके कारण जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि को रोकने के लिए अब तक जो उपाय किये गये हैं, उनमें अन्न, खाद, तथा पेट्रोल से बनी वस्तुओं पर उपदान देना, उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना का विस्तार, बड़े-बड़े नगरों में डिपार्टमेन्ट-स्टोर खोलना, कानून द्वारा तथा अन्यथा मूल्य नियमन, बैंकों द्वारा खाद्यान्नों, खाद्य तेलों आदि पर दिये जाने वाले ऋणों पर विशिष्ट उधार नियंत्रण (सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल) लागू करना, वायदे के सौदों का नियमन, लाइसेंस जारी करना तथा जमाखोरी रोकने के आदेश जारी करना, उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात सम्बन्धी उदार-नीति और यदा-तथा-यथा आवश्यक गलत कामों को सुधारने की अनिवार्य वस्तुओं के बारे में कार्यवाही करने के लिए नागरिक संभरण आयुक्त (सिविल सप्लाईज कमिश्नर) की नियुक्ति भी शामिल है ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Employees of Govt. of India Press, Aligarh

*147. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether any memoranda regarding certain difficulties experienced by the employees of Government of India Press, Aligarh have been received recently ;

(b) if so, the action taken thereon by Government ; and

(c) whether a proposal to increase the capacity of this Press is also under consideration ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). In January, 1967, the Rajkiya Press Mazdoor Sangh, Aligarh and the Non-Industrial Workers' Union, Aligarh, as also certain other Union/Associations of the Press Workers elsewhere gave a notice of strike that if their demands numbering 15 were not fulfilled, they would go on token strike. These were examined and suitable replies sent to all concerned.

(c) No expansion of the Press is contemplated at present. But a scheme for augmenting the existing capacity by introduction of a second shift with 80% of the machines running, is already in hand.

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी-नियमों के उल्लंघन के मामले

*148. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के मामले 1965 की तुलना में 1966 में अधिक हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 1965 और 1966 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इकट्ठी की गई सूचना के आधार पर, निदेशालय द्वारा, विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों के अभिकथित उल्लंघनों के बारे में दर्ज किये गये मामलों की संख्या, तथा ली गई तलाशियों और बरामदगियों को दिखाने वाला एक विवरण पत्र सभा की मेज पर रखा जाता है। इन आंकड़ों से, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि 1965 की तुलना में 1966 में विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों के उल्लंघन के मामले बढ़ गये हैं। प्रवर्तन निदेशालय निरंतर सतर्क है और विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों के अभिकथित उल्लंघन के मामलों में उचित कार्यवाही करता रहता है।

विवरण

	1965	1966
1. वर्ष में प्रवेर्तन निदेशालय द्वारा इकट्ठी की गई सूचना के आधार पर विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों के अभिकथित उल्लंघनों के दर्ज किए गए मामलों की संख्या ...	3,420	2,660
2. (क) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्ष में ली गई तलाशियों की संख्या ...	1,088	885
(ख) वर्ष में बरामद की गई भारतीय मुद्रा की रकम (जिस पर अवैध विदेशी विनिमय प्रेषण की विक्री की रकम होने का संदेह था) तथा विदेशी मुद्रा की रकम :		
(i) भारतीय मुद्रा ...	34,99,359 (रुपये)	37,11,818 (रुपये)
(ii) विदेशी मुद्रा ...	3,72,181 (रुपये)	5,15,088 (रुपये)

3. वर्ष में उन मामलों की संख्या जिनमें जांच के बाद (जिसमें तलाशी भी शामिल है) प्राथमिक तौर से उल्लंघन सिद्ध हुआ। ...	817	1,161

"छोटी माता" रोग निवारक टीके

*149 **श्री नि० चं० चटर्जी :**

श्री स० चं० सामन्त :

श्री प्र० कु० घोष :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में "छोटी माता" रोग निवारक टीके लगाने के जोरदार आन्दोलन के बावजूद भी इस वर्ष "छोटी माता" तथा चेचक काफी फैलने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या टीके की प्रभाविकता का पता लगाने के लिये कोई परीक्षण अथवा जांच की गई है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इस रोग के उन्मूलन की कोई सम्भावनायें हैं और यदि हां तो क्या ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष चेचक और "छोटी माता" जो दो अलग-अलग बीमारियां हैं, अधिक नहीं फैली हैं । "छोटी माता" के लिए कोई टीका नहीं बना है ।

(ख) जी हां, प्रभावकारिता जानने के लिए यादृच्छिक रूप में छांटे गये चेचक वैक्सीन के बैंचों के नमूनों की जांच की जाती है ।

(ग) जी हां, नवजात शिशुओं को क्रमबद्ध रूप से सफलतापूर्वक टीका लगाने तथा कुल आबादी के एक तिहाई भाग को जिनमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जिनको पहले टीका नहीं लगा, प्रतिवर्ष दुबारा टीका लगाने से और विशेषतया श्रमिक वर्ग तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को आते जाते रहने वाले लोगों को टीका लगाने से चेचक के उन्मूलन की सम्भावनायें हैं । टीका लगाने का अभियान चल रहा है ।

आय, मजूरी तथा मूल्यों के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक का कर्णधार दल (स्टियरिंग ग्रुप)

*150 **श्री मद्दी सुदर्शनम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय, मजूरी तथा मूल्यों के संबंध में भारत के रिजर्व बैंक के स्टियरिंग ग्रुप ने क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(ख) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) "आय और, मूल्य नीति की रूप रेखा" के बारे में स्टियरिंग ग्रुप (संचालन दल) की रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित कर दी गयी है। रिपोर्ट के अन्तिम अध्याय में दल की रिपोर्ट का सारांश और निष्कर्ष दिये गये हैं। दल ने, और बातों के साथ-साथ, आय-नीति के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त स्थिर किये हैं जिनमें मुद्रा के रूप में होने वाली आमदनी को राष्ट्रीय उत्पादकता और वास्तविक उत्पादन तथा मूल्य-सम्बन्धी नीतियों के अनुरूप बनाये रखने की वांछनीयता की बात भी शामिल है, ताकि आय-नीति कारगर बन सके।

(ख) दल की सिफारिशों और सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

अप्रशिक्षित चिकित्सक

*151 **श्री सूपकार** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन व्यक्तियों की संख्या का पता लगाया गया है, जो समुचित योग्यता प्राप्त किये बिना ही विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों द्वारा चिकित्सा करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अप्रशिक्षित व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय न कर सकें, इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) ऐसी कोई गणना नहीं की गई है।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा पंजी में उल्लिखित चिकित्सक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी भी राज्य में आधुनिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कार्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस उपबन्ध का उल्लंघन करेगा उसे एक साल तक की कैद अथवा एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों सजायें दी जा सकती हैं। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन के लिये कोई केन्द्रीय कानून नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में राज्यों ने कानून बना लिये हैं।

भूमि सुधार

* 152. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वे भूमि सुधार कार्य किये गये हैं जिनके बारे में आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस काम के लिये कितनी-कितनी राशि नियत की गई थी ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-156/67]

Africindo Industrial Development Corporation

*153. **Shri Atal Behari Vajpayee :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has decided to give assistance for the establishment of Africindo Industrial Development Corporation Ltd. ;

(b) if so, the amount of assistance proposed to be given to that Corporation, and

(c) the broad features of the constitution of the Corporation ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No. Sir. The Reserve Bank of India has only promised to give full consideration to any proposal that may be received by it.

(b) Does not arise.

(c) The Africindo Industrial Development Corporation has been established in Kenya with an initial capital of £ 250,000 subscribed mainly by people of Indian origin settled in Kenya. The main aims of the Corporation are ; (a) to help the Kenya Government's programme for accelerating economic growth ; (b) to help in preparing Africans for taking up business and industry ; and (c) to assist Indians from moving into productive economy from the present distributive functions.

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड

* 154. **श्री हेमराज :** क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पुनर्गठन के फलस्वरूप पंजाब राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है और क्या इसे हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्रों ने स्वीकार कर लिया है;

(ग) उपरोक्त चारों एककों में प्रत्येक को इसकी आस्तियों तथा दायित्वों में कितना-कितना भाग मिलता है और मदों तथा मूल्य के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश को कितना भाग मिला है;

(घ) विभिन्न एककों के लिये बोर्ड के कर्मचारियों का आवंटन किस आधार पर किया गया है; और

(ङ) क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) जी, हां । केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है ।

राज्यों में मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े

* 155 **श्री मधु लिमये :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में, विशेषकर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में, मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों का ठीक प्रकार से संकलन करने के बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेश दिये हैं; और

(ग) भुखमरी से हुई मृत्यु आदि के आंकड़ों का संकलन करने के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के भूतपूर्व मंत्रिमण्डलों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) भारत के रजिस्ट्रार जनरल के सामान्य निर्देशन तथा मार्गदर्शन में सभी राज्यों में जन्म और मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन में सुधार करने के प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में अकाल पीड़ित क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष अनुदेश नहीं दिये गये हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता

* 156. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री पी० सी० अदीचन :

श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अनेक राज्यों ने अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ।

(ख) केन्द्र के उपलब्ध साधनों पर विभिन्न अन्य मागों को देखते हुए, सरकार इस बारे में किसी सहायता का आश्वासन नहीं दे पायी है ।

भारत का विदेशी ऋणों का दायित्व

* 157. **श्री ईश्वर रेड्डी**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विदेशी ऋणों के दायित्व की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) ऋण की अदायगी किस प्रकार करने का सरकार का विचार है और क्या इसके लिये कोई समय-अनुसूची तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1 अक्टूबर, 1966 को, भारत की विदेशी ऋणों की देनदारी में से 31 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में चुकाया जाना था, 437 करोड़ रुपये वस्तुओं का निर्यात करके अदा किया जाना था और 962 करोड़ रुपये रुपयों के रूप में अदा किया जाना था जो न तो प्रत्यक्ष रूप से और न निर्यात के द्वारा परिवर्तित किया जाता है ।

(ख) और (ग). पहले प्रकार के ऋणों की वापसी विदेशी मुद्रा की प्राप्तियों में से, दूसरे प्रकार के ऋणों की वापसी वस्तुओं के निर्यात द्वारा और अंतिम प्रकार के ऋणों की वापसी सरकारी रुपया साधनों से की जाती है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋणों की शर्तें 1967-68 के बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध IV में संक्षिप्त रूप से दी गयी हैं और ऋणों की वापसी के लिये निर्धारित समय का ब्योरा करारों में लिखा है जिनकी प्रतिलिपियां संसद्र के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

दिल्ली में ठन्डक के कारण मृत्यु

*158. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिसम्बर, 1966 और जनवरी, 1967 में पटरियों पर सोने वाले बेघर लोगों में से कितने लोग ठंडक के कारण मर गये; और

(ख) बेघर लोगों की समस्या को हल करने तथा उन लोगों को रैन बसेरों में सोने के लिये सहमत कराने के तरीके निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 5.

(ख) 1966-67 की सर्दियों के दौरान दिल्ली में 5065 व्यक्तियों के लिये 22 रैन बसेरों की व्यवस्था थी । इन रैन बसेरों की उपलब्धता के विषय में समुचित प्रचार किया गया था । पटरियों पर सोने वालों को रैन बसेरों में जाने को कहने के लिये नगरपालिका के कर्मचारी तथा पुलिस की टोलियां भी शहर में चारों ओर घूमीं थीं ।

Amending of Gold Control Order

*160. **Shri Onkar Lal Berwa .**
Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Ram Kishan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that proposals to make further amendments in the Gold Control Order are under consideration of Government ;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the time by which the amendments are likely to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant): (a) No Sir. At present no proposal to make further amendments to the Gold Control Rules is under consideration of the Government.

(b) and (c). Do not arise.

उर्वरक उद्योग में अमरीकी पूंजी का विनियोजन

*161. **श्री ई० के० नयानर :**
डा० रानेन सेन :
श्री० जे० एम० विस्वास :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के उर्वरक उद्योग में पूंजी लगाने के लिये अमरीकी पूंजी विनियोजकों को और अधिक रियायत देने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी पूंजी विनियोजकों से प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1967 के बाद तक बढ़ाने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित रियायतों का ब्योरा क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (ग). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है । निर्णय होने पर यथा समय घोषित किये जायेंगे ।

राज्यों की वित्तीय स्थिति

*162. **श्री अब्दुल गनी दर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों की अधिकांश गैर-कांग्रेसी सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से शिकायत की है कि उन राज्यों में सरकारी कोष में धन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन शिकायतों की जांच करने का है और प्रस्तावित कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बिहार में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई

*163. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने राज्य में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार से तत्काल सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-**157/67]

राजनैतिक परिवर्तनों का शेयर मार्केट पर प्रभाव

*164. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयर मार्केट पर भारत में हो रहे राजनैतिक परिवर्तनों के प्रभाव का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार शेयर मार्केट में उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करने की दिशा में क्या सोच रही है; और

(ग) क्या देश की पूंजी विनियोजन क्षमता के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) शेयर बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखायी देने वाला कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सरकार शेयर बाजार के रुख पर बराबर नजर रखे हुए है और पूंजी लगाने के वातावरण को सुधारने के उपाय करती रहती है।

Barauni Oil Refinery

*165. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Barauni Oil Refinery was closed for several days during October-November, 1966 ;

(b) whether it was due to the fact that the entire oil-storing capacity was full and there was no room for storing more oil ;

(c) whether it is also a fact that there was an acute shortage of oil in the villages of Bihar at that time and it was difficult to get one bottle of oil even for Re. 1 ;

(d) whether it is also a fact that the foreign Oil Refinery had suspended its production ; and

(e) if so, whether Government propose to conduct a high-level enquiry into the matter?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government have no knowledge of the alleged situation. Actually, supplies of kerosene to the State during these months were better than in the preceding period.

(d) No, Sir.

(e) In view of the replies given, there is no need for an enquiry.

विवाह की आयु

*166. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनसंख्या की वृद्धि को अधिक प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिये निकट भविष्य में लड़कियों के लिये रजामन्दी व्यक्त करने तथा विवाह की आयु को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : जी हां।

हल्दिया तेल शोधक कारखाना

*167. **श्री च० चु० देसाई :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये किन्हीं विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) . जी नहीं । विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ अभी बातचीत चल रही है ।

गर्भपात को वैध बनाना

*168. **श्री सूपकार :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने देश में जनसंख्या की अन्धाधुन्ध वृद्धि को रोकने के लिये गर्भपात को वैध बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) गर्भपात के वैधीकरण के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति के मोटे-मोटे सुझावों का एक नोट सभा-पटल पर रख दिया गया है । समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-** 158/67]

लूप का निर्माण

175. **श्री बाबूराव पटेल :**

श्री सुरेन्द्र कुमार तापुरिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किस-किस प्रकार की गर्भ-निरोधक सामग्री बनाई जाती है और उनका ब्योरा क्या है तथा उनको बनाने वाली फैक्टरियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन फैक्टरियों की स्थापना में कितनी पूंजी लगी है और उनका आवर्त्ती वार्षिक व्यय कितना है;

(ग) प्रत्येक किस्म की गर्भ-निरोधक सामग्री का वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है;

(घ) प्रत्येक प्रकार के गर्भ-निरोधक सामग्री की उत्पादन लागत कितनी-कितनी है और सरकार ने उनके बिक्री मूल्य क्या निर्धारित किये हैं;

(ङ) गर्भ-निरोधक सामग्री को बेचने या मुफ्त बांटने का क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(च) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये गर्भ-निरोधक सामग्री के प्रयोग की व्यवस्था करने के अतिरिक्त और क्या अन्य कारगर तथा व्यावहारिक उपाय करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) भारत में कौन-कौन से गर्भरोधक कहां-कहां तैयार किये जाते हैं उनके नाम नीचे दिये हैं :

गर्भरोधक	**उनको तैयार करने वाली फैक्टरी का नाम**
कण्डोम	1. लन्दन रबर कम्पनी (भारत) लिमिटेड, मद्रास
	2. बम्बई लेटेक्स डिसपरसन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई।
	3. एस० जी० शाहनी एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
	4. लेटेक्स इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली।
जैली-क्रीम	1. मेसर्स जानसन एण्ड जानसन, बम्बई।
	2. मेसर्स स्मिथ स्टानीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी, कलकत्ता।
	3. मेसर्स ब्रिटिश ड्रग हाउस, बम्बई।
फोम टेबलेट्स	1. मेसर्स स्मिथ स्टानीस्ट्रीट कलकत्ता।
	2. हिन्द केमीकल्स, कानपुर।
	3. गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास।
	4. मेसर्स गेले एण्ड कम्पनी, बम्बई।
गर्भाशयी गर्भरोधक लूप और इन्सरटर्स	आई० यू० सी० डी० फैक्टरी, कानपुर।

(ख) गैरसरकारी क्षेत्र में कण्डोम, जेली, क्रीम तथा झाग वाली गोलियां तैयार करने वाली फैक्टरियों की स्थापना करने में कितनी पूंजी लगी है इस सम्बन्ध में सूचना ज्ञात नहीं है। गर्भाशयी गर्भरोधक फैक्टरी, कानपुर की पूंजीगत लागत लगभग 6 लाख रुपये है।

(ग) प्रत्येक किस्म के गर्भरोधक का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :

कण्डोम	लगभग 3 करोड़
जैलियां तथा क्रीम	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु स्वदेशी उत्पादन से सारी मांग पूरी हो सकती है।

झाग वाली टिकिया	मद्रास स्थिति सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख ट्यूब तैयार करता है जिनमें प्रत्येक में 10 गोलियां होती हैं । गैरसरकारी क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु स्वदेशी उत्पादन देश की सारी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त है ।
लूप	75 लाख
लूप पहनाने वाला यंत्र	3.75 लाख

(घ) और (ङ). गैरसरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत क्या है यह मालूम नहीं। मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास में तैयार होने वाली झाग वाली गोलियों की लागत लगभग 50 पैसे प्रति ट्यूब है । बाजार में इन गर्भरोधकों के विक्रय मूल्य औषध (मूल्य) प्रदर्शन नियंत्रण आदेश 1966 के अधीन नियंत्रित किये जाते हैं ।

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चलाये जाने वाले परिवार नियोजन केन्द्रों, जिनमें परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने वाले क्लिनिक / केन्द्र सम्मिलित हैं, में जाने का कष्ट करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार के गर्भरोधक मुफ्त दिये जाते हैं । इन केन्द्रों में काम करने वाले कर्मचारी अपने राउण्ड पर जाते हुए गर्भरोधक साथ ले जाते हैं और लोगों को मुफ्त बांटते हैं । ऐसे मामलों में पैकेजों पर 'मुफ्त' बिक्री के लिए नहीं लिखा हुआ होता है । डिपो होल्डरों द्वारा काफी सस्ती दरों पर गर्भरोधक देने की एक योजना धीरे-धीरे चालू की जा रही है । ये डिपो होल्डर स्कूल मास्टरों, दाइयों, पोस्टमैनों, परिवार कल्याण सहायकों और सहायिकाओं में से छांटे जाते हैं ।

लूप और लूप लगाने के यंत्रों की उत्पादन लागत क्रमशः दस और पचास पैसे है । किन्तु ये मुफ्त ही दिये जाते हैं ।

(च) गर्भरोधकों की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य ठोस और व्यावहारिक तरीके इस प्रकार हैं :

(1) ब्रह्मचर्य अथवा आत्म संयम

(2) सुरक्षित अवधि

(3) मैथुन व्यवधान

(4) बन्ध्यीकरण

जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार जिन अन्य तरीकों पर विचार कर रही है वे इस प्रकार हैं :

(1) लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाना ।

(2) गर्भपात कानून को उदार करना ।

Kosi Canals Project

176. **Shri Gunanand Thakur:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several canals included in the Kosi Project have not even been built inspite of the Government's assurance that all the canals were to get water by June, 1966;

(b) if so, the steps being taken by Government to complete them and the time by which this work would be completed; and

(c) the time by which water will be supplied in the canals already constructed?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) and (b). No. The construction of the Eastern Kosi Canal, Branch Canals and Distributaries has almost been completed.

(c) Water was released through the Eastern Kosi Canal in July, 1964 and an area of 10,000 acres was irrigated during the year 1964. During the year 1965-66 the canal provided irrigation to about ,1 lakh acres. During the year 1966-67 the programme is to provide irrigation to 5 lakh acres in all.

लूप का प्रयोग

177. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितनी नारियों ने लूप पहने हैं तथा अन्य गर्भ-निरोधक उपकरणों का प्रयोग किया है ;

(ख) जिन नारियों ने लूप पहने थे तथा अन्य गर्भ-निरोधक उपकरणों का प्रयोग किया था, उनमें से कितनी नारियों ने उन्हें हटवा दिया है ;

(ग) चिकित्सुकों की रिपोर्टों के अनुसार गर्भ-निरोधक उपकरण हटवाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) किस-किस आयु-वर्ग की नारियां विभिन्न प्रकार के गर्भ-निरोधक उपकरणों का प्रयोग कर रही हैं और प्रत्येक वर्ग में ऐसी नारियों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ङ) साधारणतः कितने बच्चे होने के बाद नारियां गर्भ-निरोधक उपकरणों का प्रयोग करती हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) 15.17 लाख महिलाओं ने लूप पहने हैं ।

(ख) ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं हैं । इस सम्बन्ध में किये गये कुछ अध्ययनों के आधार पर यह संख्या मोटे तौर पर 6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तक होगी ।

(ग) इनके हटवाये जाने के मुख्य कारण रक्तस्राव, दर्द, पीठ का दर्द; बच्चा होने की इच्छा और अन्य व्यक्तिगत बातें हैं।

(घ) और (ङ). कुछ छुट-पुट अध्ययनों को छोड़ कर कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi

178. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the teachers of Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi had taken leave en masse on the 21st February, 1967 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes,

(b) Delay in payment of the salaries of the teachers.

(c) The Ayurvedic and Unani Tibbia College Board has since paid their salaries upto the month of December, 1966 and will arrange to pay salaries from January onward, shortly.

देश में बाढ़ नियंत्रण कार्य

179. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आरम्भ किये गये विभिन्न बाढ़-नियंत्रण कार्यों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बाढ़ नियंत्रण के विविध तरीकों पर तृतीय योजना के अन्त तक निम्नलिखित रूप से प्रगति हुई है :

1. लगभग 4,500 मील की लम्बाई में तटबन्धों का निर्माण हुआ।

2. लगभग 5,000 मील लम्बी जल निकास नालियों की खुदाई की गई।

3. नगर संरक्षण के लिये लगभग 128 स्कीमों को कार्यान्वित किया गया।

4. लगभग 4,500 गावों को बाढ़ के उच्चतम स्तर से ऊंचा उठाया गया है। जो उपाय किये गये उनसे लगभग 50.6 लाख हैक्टेयर (125 लाख एकड़) भूमि को बचाया गया है।

(ख) समुद्र कटाव-रोध समेत बाढ़-नियंत्रण के लिये चतुर्थ योजना में 93 करोड़ रुपये की अस्थाइं खर्च की परिकल्पना की गई।

चात्र नहर परियोजना

180. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चात्र नहर परियोजना की क्रियान्विति के कार्य की गति को तेज करने की दृष्टि से भारत तथा नेपाल के एक संयुक्त दल ने हाल में वहां चल रहे निर्माण-कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस भारत-नेपाल संयुक्त दल की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन उपपत्तियों पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

पालना (राजस्थान) में तापीय बिजली घर

181. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बीकानेर के निकट पालना में एक तापीय बिजली घर स्थापित करने से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पालना में लिग्नाइट भण्डारों के विस्तृत समन्वेषण तक, राजस्थान सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वे पालना में एक 50 मैगावाट् या प्रत्यावर्ती 30-30 मैगावाट् की दो उत्पादन यूनिटें लगाने के बारे में एक स्कीम रिपोर्ट तैयार करें । स्कीम रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

Action taken against Shri Chiranjit Lal Goenka

182. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature of action taken against Shri Chiranjit Lal Goenka for violation of Gold Control Rules in the light of the verdict given by the Jodhpur High Court ; and

(b) if no action has been taken so far, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Shri Chiranjit Lal Goenka has appealed to the Supreme Court against the order of the Jodhpur High Court. The Supreme Court, while admitting the appeal for hearing, has directed that the departmental adjudication proceedings should continue but that the final orders should not be passed till the disposal of the appeal by the Supreme Court. Departmental adjudication is accordingly in progress.

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय

183. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ होने से लेकर 1 दिसम्बर, 1966 तक इस पर कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : 35.34 करोड़ रुपये।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था

184. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित, अराजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये, वर्गवार, दिल्ली में कितने मकान बनाये हैं ;

(ख) कितने राजपत्रित, अराजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, वर्गवार, अभी तक मकान नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) अराजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्य पूल से रिहायशी वास का आवंटन, पात्र कर्मचारी जिस श्रेणी की सेवा का है, उसके आधार पर नहीं होता बल्कि परिलब्धियों के आधार पर होता है जिससे कि यह निर्धारित होता है कि प्रत्येक कर्मचारी किस टाइप के वास का हकदार है। दिल्ली में तीसरी पंचवर्षीय योजना तथा 1966-67 के दौरान बनाये गये क्वार्टरों की संख्या निम्नांकित है :

टाइप	प्रति माह रुपये लेने वाले कर्मचारियों के लिये आवंटन	दिल्ली में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाये गये निवास-स्थानों की संख्या
I.	110 रुपयें से कम	3192
II.	250 रुपये से कम लेकिन 110 रुपये से कम नहीं	3520
III.	400 रुपये से कम लेकिन 250 रुपये से कम नहीं	620
IV.	700 रुपये से कम लेकिन 400 रुपये से कम नहीं	1664

V.	1,300 रुपये से कम लेकिन 700 रुपये से कम नहीं	...	251
VI.	2,250 रुपये से कम लेकिन 1,300 रुपये से कम नहीं	...	109
VII.	2,250 रुपये और उससे अधिक (केवल उनके लिये जो टाइप VIII के लिये पात्र हैं)	...	24
VIII.	भारत सरकार के सचिव तथा संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी।		—
		कुल...	9,380

टाइप		दिल्ली में 1966-67 (अभी तक) में बनाये गये निवास-स्थानों की संख्या
I.	...	304
II.	...	—
III.	...	—
IV.	...	52
V.	...	19
VI.	...	63
	कुल...	438

(ख) अपने-अपने टाइपों के वास के लिये आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों की संख्या निम्नांकित है :

टाइप	I.	...	11,856
टाइप	II.	...	29,065
टाइप	III.	...	9,078
टाइप	IV.	...	4,453
टाइप	V.	...	2,369
टाइप	VI.	...	662
टाइप	VII.	...	74
टाइप	VIII.	...	49
		कुल...	57,606

(ग) अराजपत्रित तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रायः टाइप I से IV तक के वास के पात्र हैं। उच्च टाइप के क्वार्टरों की तुलना में इस प्रकार के क्वार्टरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को वास देने के हेतु इन टाइपों के 1816 अतिरिक्त रिहायशी यूनिट बनाये जा रहे हैं तथा 1967-68 में यदि निधियां उपलब्ध हुईं तो दिल्ली में इस प्रकार के 2776 यूनिटों को बनाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में राजनैतिक पीड़ित लोगों के लिये भूमि का नियतन

185. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में राजनीतिक पीड़ित लोगों को देने के लिये विकसित रिहायशी भूमि सुरक्षित रखने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में भी ऐसी ही कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये विकासित प्लाटों में से 10 प्रतिशत उन राजनैतिक पीड़ितों के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं जो कि इस प्रकार के आवंटन के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

(ग) जैसा कि संलग्न विवरण में है, 13 राज्यों और 3 संघ क्षेत्रों (यूनियन टैरेटरीज) ने स्वतंत्रता के आन्दोलनों में भाग लेने वालों के लिये, देश के प्रति की गई उनकी सेवा को मान्यता देने के लिये भूमि देने का निर्णय कर लिया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-167/67]

फरक्का बांध

186. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के लागत सम्बन्धी अनुमानों को अन्तिम रूप देने के लिये नियुक्त की गई इन्जीनियरों की समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ये सुझाव मुख्यतः कुछ अभिकल्प पहलुओं और कुछ क्षेत्रीय परीक्षण तथा प्रारूप अध्ययन करने से सम्बन्धित हैं। निर्णय करने से पहले इन सुझावों पर परियोजना सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाना है।

तस्करों का गिरोह जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों का भी हाथ है

187. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर तस्करी करने वाले लोगों के एक गिरोह का जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, बम्बई के अनेक अधिकारियों का भी हाथ है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तारापुर सीमा-शुल्क गृह के कुछ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है। यह मामला इस आशय की एक सूचना के आधार पर दर्ज किया गया है कि 3 मार्च, 1967 को इन अधिकारियों के पास से कुछ चोरी छिपे भारत में लाया गया सामान और 48,800 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद की गयी थी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों पर यह आरोप लगाया गया है कि ले जाये जाते हुये अवैध सामान का कुछ भाग तो उन्होंने पकड़ लिया और बाकी का अवैध सामान उन्होंने चोरी छिपे माल ले जाने वालों को रिश्वत लेकर ले जाने दिया। मामले की जांच-पड़ताल हो रही है।

कानपुर में तपेदिक के रोगी

188. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तपेदिक के रोगियों की सबसे अधिक संख्या कानपुर में बताई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर एक अस्पताल खोलने के लिये उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) कानपुर में क्षय रोग के ठीक-ठीक फैलाव को जानने के लिए वहां कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कानपुर में क्षय रोगियों की संख्या सर्वाधिक है।

(ख) कानपुर में चार क्षय रोग क्लीनिक हैं। उनमें से एक राज्य सरकार चलाती है। दूसरा मेडिकल कालिज से सम्बद्ध है, तीसरा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है और चौथा एक स्वयंसेवी क्षय रोग क्लीनिक है। क्षय रोग के वर्तमान सरकारी क्लीनिक को जिला स्तर का क्लीनिक बनाने का प्रस्ताव है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रारम्भिक व्यवस्था कर लिये जाने के बाद राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

दी जायेगी चूंकि राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों का उनके घरों पर ही इलाज करने पर बल दिया जा रहा है अतः वहां पर अस्पताल खोलने के लिये किसी प्रकार की विशिष्ट वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। साथ ही नियमानुसार केन्द्रीय सरकार अस्पताल खोलने के लिये जो कि राज्य सरकारों का काम है, आर्थिक सहायता नहीं देती।

ब्रिटेन से ऋण

189. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार सामान्य प्रयोजनों के लिए भारत के लिए पहले स्वीकृत अप्रयुक्त मिश्रित परियोजना ऋणों में से कुछ धनराशि देने के लिए हाल में सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). ब्रिटेन की सरकार, हाल ही में, लगभग 20 लाख पौण्ड की बची रकम के (जो ब्रिटेन के 1961 के 300 लाख पौण्ड और 1962 के 100 लाख पौण्ड तथा 130 लाख पौण्ड के प्रायोजना सम्बन्धी ऋणों के अन्तर्गत उपलब्ध है) सामान्य प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में राजी हो गयी है।

[Dam on Budhi Gandak near Motihari in Bihar

190. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the last rainy season he in an aerial survey of Bihar saw Motihari city of Champaran District submerged in water and the land on both the sides of Sikrahna river (Budhi Gandak), Dhaka Thana, Ghora Sahan Thana to the east and west of Motihari Sagauli also inundated as there was no dam on the river ; and

(b) if so, whether Government proposes to construct dams on both the sides of Sikrahna (Budhi Gandak) river ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) The Bihar Government have under consideration a scheme for construction of an embankment on the right bank of the river from Chanpatia to Bankatwa (on the Motihari-Madhubani road near Dhanuti out-fall) at an estimated cost of Rs. 70 lakhs. The State Government have not proposed any embankment on the left bank of the river in this reach as, according to them, the problem is complicated due to large number of streams joining Sikrahna. The matter is being further studied.

विस्मथ साल्ट तथा स्ट्रेप्टोमाइसीन की कमी

191. **श्री सेझियान** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ समय से विस्मथ साल्ट तथा स्ट्रेप्टोमाइसीन सामान्यतः बाजार में नहीं मिल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जनता को ये औषधियां उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). स्ट्रेप्टोमाइसीन की कमी के बारे में सरकार को पता है और देश में अधिक स्ट्रेप्टोमाइसीन उपलब्ध कराने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों क्षेत्रों में सभी वास्तविक उपयोग कर्त्ताओं को जिनमें लघु उद्योग भी सम्मिलित हैं, अप्रैल 1966 से मार्च 1967 तक की अवधि के लिए उन्हें मिले औषधियों और भेषजों के वैध आयात लायसेन्सों के मूल्य तक की स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट आयात करने की अनुमति दे दी गई है ;

(2) देश में दवा की शीशियां भरने का कार्य करने वालों में वितरित किये जाने के लिये 20,000 किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन सरकारी खाते में आयात की जा रही है ;

(3) वर्तमान एककों को अतिरिक्त कच्ची सामग्री आयात करने की अनुमति दी जा रही है ताकि देश में इस दवा का अधिक से अधिक निर्माण हो सके ;

(4) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के पास स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट से बनी शीशी बन्द दवा का काफी भण्डार है और वे किसी भी राज्य की मांग की पूर्ति करने के लिये तैयार हैं। हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड से कहा जा रहा है कि वे शीशियों में बन्द इन दवाओं की उपलब्धि के बारे में सभी राज्य औषध नियंत्रकों को सूचित कर दें।

जहां तक विस्मथ लवणों का प्रश्न है, सरकार को देश में इन लवणों के तथाकथित अभाव की कोई जानकारी नहीं है। 1966-67 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार, देखिये परिशिष्ट-19 की दूसरी सूची, विस्मथ लवणों के आयात पर प्रतिबन्ध है क्योंकि इनके स्वदेशी स्थानापन्न जैसे मैग्नेशियम ट्रिसिलिकेट, काओलिन आदि उपलब्ध हैं और साथ ही गत वर्ष से विस्मथ का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी बहुत बढ़ गया है।

बल्गारिया से ऋण

192. **श्री च० चु० देसाई :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेढ़ करोड़ डालर के ऋण के लिये 1966 में बल्गारिया के साथ करार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्त और निबन्धन क्या थे ; और

(ग) उस ऋण का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). औद्योगिक प्रायोजनाओं के लिये संयंत्र, औद्योगिक मशीनें आदि खरीदने के लिये बल्गारिया की सरकार से 11.25 करोड़ रुपये का ऋण देने का जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था उसे 26 दिसम्बर, 1966 को बल्गारिया की सरकार को एक पत्र भेज कर स्वीकार कर लिया गया था। ऋण की शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

भारत सहायता सार्थ-संघ

193. **श्री च० चु० देसाई :** **श्री सेझियान** :
श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता सार्थ-संघ ने भारत की इस प्रार्थना पर विचार किया है कि वह चालू वर्ष में परियोजनाओं के लिये सहायता दे और कुछ ऋणों की अदायगी की निर्धारित अवधि में परिवर्तन करें ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (दिल्ली) पर सोने का पकड़ा जाना

194. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1065 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (दिल्ली) पर निषिद्ध सोने के पकड़े जाने की घटना के सम्बन्ध में की जा रही जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच पूरी होने में और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मामले में जांच पड़ताल दिल्ली और बम्बई दोनों जगहों पर की जा रही है और जांच पड़ताल को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिये पूरी कोशिश की जा रही है।

जबलपुर में पकड़ा गया सोना

195. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **वित्त** मंत्री 17 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1576 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर में एक यात्री से जो 110 तोले सोना पकड़ा गया था, क्या उस मामले में न्यायिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह कार्यवाही पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिये कोशिश की जा रही है।

मेसर्स जे० पी० एन्ड सन्स

196. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1135 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स जे० पी० एण्ड सन्स द्वारा आय-कर न दिये जाने के मामले में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या मेसर्स ओरियेन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मेसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई के हिसाब किताब की जांच भी पूरी हो चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जांच पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विस्तृत जांच-पड़ताल करना जरूरी होने से जांच-पड़ताल पूरी करने में कुछ और समय लगेगा ।

मेसर्स ओरियन्टल ट्रेडिंग कारपोरेशन

197. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कारपोरेशन, ऊटाकमण्ड, से दो ठेकों में कमाये गये लाभ की राशि का पता लगा लिया गया है और आय-कर निर्धारण के बारे में कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ख) चूंकि विस्तृत जांच-पड़ताल करने की जरूरत है, इसलिए कर-निर्धारण की कार्यवाही को पूरी करने में कुछ और समय लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ अर्जित लाभ शामिल किया जाना है ।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन-मान

198. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अर्थात् चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट और राजपत्रित अधिकारियों के वेतन-मान तथा भत्ते क्या-क्या हैं तथा राज्य सरकारों के उन्हीं वर्गों के कर्मचारियों के वेतन-मान एवं भत्ते क्या-क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सूचना संकलित की जा रही है और संकलित होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

गृह-निर्माण ऋण

199. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, लोअर डिवीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों और असिस्टेंटों को प्लाट देने और मकान बनाने के लिए ऋण देने के लिए पिछले वर्ष में अथवा चालू वर्ष में कोई बड़ी योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों की इस मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार ने भूमि अर्जन तथा विकास की योजना 1959 में तथा मकान बनाने के लिए पेशगी की योजना (हाउस बिल्डिंग एडवान्स) 1956 में आरम्भ की थी।

(ख) और (ग). सामान्य जनता को जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं, मकान के लिए उचित मूल्य पर स्थान देने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर अर्जन करने के लिए आर्थिक सहायता के हेतु भूमि अर्जन तथा विकास योजना में दीर्घकालीन ऋण योजना सहायता परिकल्पित है। मकान बनाने के लिए पेशगी दी जाने की योजना में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का 36 गुना, जो कि 25,000 रुपये से अधिक न हो, मकान बनानें के लिए दीर्घकालीन ऋण देने की व्यवस्था है। कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, उनके वेतन का ध्यान किये बगैर 4,800 रुपये तक की पेशगी देने की भी व्यवस्था है ताकि वे अपने रहने के लिए साधारण-सा मकान बना सकें।

परिवार नियोजन

200. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्ष वार, देश में जनसंख्या किस दर से बढ़ी है;

(ख) परिवार नियोजन योजना के एक भाग के रूप में देश में पिछले पांच वर्षों में, वर्ष वार, परिवार नियोजन से सम्बन्धित कितने आपरेशन किये गये;

(ग) पिछले दो वर्षों में वर्ष वार, कितने लूप लगाये गये; और

(घ) सम्बन्धित स्त्रियों को ठीक न बैठने के कारण कितने लूप हटाने पड़े ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) 1961-65 के दौरान देश की जनसंख्या अनुमानतः 2.38 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ी है। वर्ष वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1962 से 1966 तक किये गये बन्ध्यीकरण आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :

1962	1.6 लाख
1963	1.7 लाख
1964	2.7 लाख
1965	4.6 लाख
+ 1966	6.9 लाख

+(ये आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि अभी तक राज्य सरकारों से पूरी सूचना नहीं मिली है।)

(ग) 1965 (अप्रैल, 1965 जब से यह गर्भाशयी गर्भरोधक कार्यक्रम चलाया गया था) और 1966 में क्रमशः 4.67 लाख और 9.52 लाख लूप लगाये गये । बाद वाले आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि राज्य सरकारों से अभी तक पूरी सूचना नहीं मिली है ।

(घ) इस बारे में ठीक-ठीक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में किये गये कतिपय अध्ययनों के आधार पर यह संख्या मोटे तौर पर 6 प्रतिशत होगी ।

विशाखापतनम से गन्दी बस्ती को हटाने की योजना

201. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथन्** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापतनम से गन्दी बस्ती को हटाने की योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और चालू वर्ष में इसके लिए धन नियत कर दिया है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं । गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए स्वयं राज्य सरकार सक्षम है ।

(ख) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता सम्पूर्ण गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए दी जाती है न कि किसी विशेष परियोजना के लिए । आन्ध्र प्रदेश में 1966-67 के लिए गन्दी बस्ती सफाई योजना के लिए 34 लाख रुपये स्वीकार किये हैं ।

विशाखापतनम तट का समुद्र की लहरों से कटाव

202. **श्री तेन्नेटी विश्वनाथन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री विशाखापतनम तट के समुद्र की लहरों से कटाव के बारे में 25 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न सं० 3384 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचाव-कार्य के लिए कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस बीच मंजूर की गई है; और

(ख) क्या पिछले चालीस वर्षों में इस प्रकार कटे हुए क्षेत्र को ठीक करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि उनके लिए संरक्षण तरीकों पर खर्च वहन करना असम्भव है। किन्तु राज्य

सरकार आवश्यक कार्यों को राज्य के बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रम के भाग के रूप में ले सकती है, जिसमें समुद्र कटाव-रोध का कार्य भी शामिल है, और जिसके लिये ऋण सहायता स्वीकार्य है।

(ख) चूंकि राज्य सरकार ने समुद्र कटाव द्वारा होने वाले नुकसान को भविष्य में रोकने के लिये यह जरूरी समझा कि अस्थाई उपायों को शीघ्र ही हाथ में लेना चाहिये, इसलिये उन्होंने 2 लाख रु० की लागत के तात्कालिक अस्थाई संरक्षण उपायों को हाथ में ले लिया हुआ है। यह व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं हो जाता है।

बम्बई में घड़ियों का पकड़ा जाना

203. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 मार्च, 1967 को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के निवारक तथा समुद्री डिवीजन ने बम्बई में एक कार से 60 लाख रुपये के मूल्य की लगभग 40,000 घड़ियां पकड़ी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 11 मार्च, 1967 की बड़ी सुबह, बम्बई के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के समुद्री तथा निरोधक प्रभाग के अधिकारियों ने बम्बई के कफे परेड क्षेत्र में लगभग 41 लाख रुपये मूल्य की 36,045 घड़ियां पकड़ीं। एक मोटर कार भी पकड़ी गई है।

(ख) जांच-पड़ताल की जा रही है।

बम्बई में पकड़ी गई भारतीय तथा विदेशी मुद्रा

204. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 7 मार्च, 1967 को दक्षिण बम्बई में ली गई तलाशियों में 50,000 रुपये के मूल्य की भारतीय मुद्रा, तथा 3,500 रुपये से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा कुछ आपत्तिजनक कागजात पकड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों ने 7 मार्च, 1967 को बम्बई में, कुछ अपराधारोपक कागजों के अलावा, 50,708 रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा तथा 500 डालर मूल्य के यात्री-चेक पकड़े हैं।

(ख) जिस व्यक्ति के पास से यात्री चेक पकड़े गये थे, उसने इस बात का सबूत पेश कर दिया कि उसके भारत में ठहरने के दौरान इन यात्री चेकों को रखने के लिये उसने भारत के

रिजर्व बैंक की इजाजत ले ली थी। इसलिये उक्त यात्री चेक उसे वापस कर दिये गये। आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

उड़ीसा में उप-आदिम जाति खंड

205. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लोगों की सर्वतोमुखी उन्नति के लिये वर्ष 1967-68 में उस राज्य में कोई उप-आदिम जाति खण्ड स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर ; और

(ग) क्या जिला पुरी का दासपल्ला क्षेत्र ऐसे खण्ड स्थापित करने की दृष्टि से इस कार्य-क्रम में शामिल किया गया है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

चौथी योजना में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

206. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा उप-क्रम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). रूरकेला इस्पात कारखाने का आगे और विस्तार करने का प्रस्ताव, चौथी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल है। तलचूर में औद्योगिक सम्मिश्रण स्थापित करने का मामला भी विचाराधीन है।

उड़ीसा में ग्रामोद्योग परियोजनाएं

207 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 में उड़ीसा के लिए कौन-कौन सी ग्रामोद्योग परियोजनाएं मंजूर की गई हैं,

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर वे परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी और उनका स्वरूप क्या होगा; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1967-68 के वर्ष के दौरान, उड़ीसा के लिए कोई भी नया ग्रामोद्योग परियोजना क्षेत्र मंजूर नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

फ्रांस से सहायता

208 **श्री मद्दी सुदर्शनम : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांस ने अब तक कितनी राशि की ऋण सहायता दी है और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी राशि का ऋण देने की पेशकश की है;

(ख) अब तक कितनी राशि प्रयोग में लाई गई है; और

(ग) क्या फ्रेंच सीनेट के प्रतिनिधिमण्डल के साथ, जो हाल ही में भारत आया था, फ्रांस से और सहायता संबंधी किसी प्रस्ताव पर बातचीत हुई थी ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) फ्रांस ने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में 90 करोड़ रुपये के सम्भरक-ऋण (सप्लायर्स क्रेडिट) दिये हैं, जिनमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को दिया गया 7.5 करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के पहले वर्ष के लिए 12.72 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।

(ख) तीसरी आयोजना के लिए दिये गये ऋणों में से 64.95 करोड़ रुपये तक के पक्के आर्डर दिये जा चुके हैं और कुछ और आर्डरों के बारे में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। अनुमान है कि 1966-67 के लिये दिये गये 12.72 करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में भी 6 करोड़ रुपये तक के आर्डरों को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जायगा।

(ग) जी, नहीं।

किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, दिल्ली

209 **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के किराया नियन्त्रकों के न्यायालयों में डिग्री को क्रियान्वित कराने के मामले प्रति सप्ताह एक निर्धारित दिन में ही लिये जाते हैं, जिससे कि ये मामले दूसरे मामलों में न मिल जायें, और उनका निपटारा शीघ्र हो सके;

(ख) क्या ऐसे मामले में अपील करने के लिये किराया नियन्त्रण न्यायाधिकरण दिल्ली के न्यायालयों में भी ऐसे ही व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्रियान्वित करने की अपीलों के मामले इतने अधिक नहीं है कि एक सप्ताह में पूरे एक दिन को अलग से रख दिया जाये । सुनवाई में उन अपीलों को प्राथमिकता मिलती है जिनकी क्रियान्वित करने की कार्यवाई रोक दी गयी है ।

किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, दिल्ली

210. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1967 को किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) इन मामलों का निपटारा कितने न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है;

(ग) सुनवाई के लिये कितने मामले रखे जाते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण, दिल्ली के न्यायालयों में बहुत अधिक मामले होते हैं; और

(ङ) यदि हां तो क्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) :

(क) 1093.

(ख) 1,

(ग) 15 का औसत है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अट्टापड़ी आदिम जातियों की उन्नति

211. **श्री ई० के० नयानर :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पालघाट जिले में अट्टापड़ी आदिम जातियों की उन्नति के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितना धन निर्धारित किया है;

(ख) इन आदिम जातियों के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितना धन निर्धारित करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ग) इनकी उन्नति के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक अनुमोदित की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) से (ग). राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकान

212. **श्री बलराज मधोक**: क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बनाये गये कुल कितने मकान दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिये जाने के लिये उपलब्ध हैं;

(ख) वास्तव में इन तीनों वर्गों के कर्मचारियों को क्रमशः इनमें से कितने मकान दिये जा चुके हैं;

(ग) दिये जाने के लिये कितने मकान तैयार हैं और जो अब तक दिये नहीं गये हैं उनका वर्गवार तथा कालोनी-वार ब्योरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा बनाये गये मकानों के लिये इन वर्गों के कितने कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) क्या ऐसे कर्मचारियों को मकान देने के लिये प्राथमिकता संबंधी कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) से (ङ). केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्य पूल में रिहायशी वास का आवंटन जिस सेवा में कर्मचारी है उसकी श्रेणी के अनुसार नहीं किया जाता। उसके द्वारा ली गयी परिलब्धियों के आधार पर किसी विशेष टाइप के लिये पात्रता निर्धारित की जाती है। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी प्रायः I से IV टाईप वास के पात्र हैं। इन टाईपों में दिल्ली में रिहायशी मकानों की संख्या तथा पात्र कर्मचारियों के प्रसंग में प्रत्येक टाईप की प्रतीक्षा सूची में जिस सीमा तक कमी है वह नीचे दी जाती है :

टाइप	इस प्रकार के वास के लिये पात्र कर्मचारियों की वेतन श्रेणी	उपलब्ध मकानों की संख्या	कमी (मकानों की संख्या)
I	110 रुपये से नीचे	13,095	11,856
II	110 रुपये से 249 रुपये तक	13,681	29,065
III	250 रुपये से 399 रुपये तक	4,244	9,078
IV	400 रुपये से 699 रुपये तक	4,538	4,453

संपदा निदेशालय में उपलब्ध सभी निवास सिवाय उनके जो कि अस्थाई तौर पर मरम्मत के लिये हैं अथवा पुनः आवंटन की सामान्य प्रक्रिया में खाली रखना है, स्थान पात्र कर्मचारियों को उनकी क्रमशः श्रेणियों में आवंटित किये जा चुके हैं। जब कभी कोई निवास स्थान खाली होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची के आधार पर अग्रता की तारीख के अनुसार नियमाधीन आवंटित कर दिया जाता है।

साहू-जैन समवायों का ग्रुप

213. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से साहू-जैन समवायों के ग्रुप ने उनकी ओर बकाया आयकर का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी ओर कुल कितना आयकर बकाया है; और

(ग) बकाया आयकर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1965-66 में साहू-जैन कम्पनी-समूह ने बकाया आयकर और चालू मांगों का 67 लाख रुपया अदा किया है (इस रकम में से कितनी रकम चालू मांग पेटे हैं और कितनी बकाया मांग पेटे, इसका ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है)। 1966-67 में (21-3-67 तक) इस समूह ने बकाया मांग पेटे 16 लाख रुपये अदा किये हैं।

(ख) 21-3-1967 को कुल बकाया मांग 290 लाख रुपये की थी। लेकिन इस रकम में से लगभग 41 लाख रुपये की कुछ कटौतियां भी हो सकती हैं, जिनके बारे में अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा आदेश दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित बकाया मांग में से 33·27 लाख रुपये की वसूली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गयी है। अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समक्ष चल रही कतिपय कार्यवाही के कारण आयकर अधिकारी ने 144·07 लाख रुपये की अन्य रकम की उगाही स्थगित कर रखी है। बाकी रकम की वसूली के बारे में, प्रत्येक मामलों के गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन

214. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के कुल कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) वे उल्लंघन किस प्रकार के हैं; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 28 फरवरी 1967 तक स्वर्ण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के 15,266 मामलों का पता लगा था और इनमें लगभग 3516 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था ।

(ख) ये उल्लंघन मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं :

(1) जेवरों से भिन्न सोना पास में होने की घोषणा नहीं करना;

(2) व्यापारियों द्वारा 14 कैरट से अधिक शुद्धता वाले जेवरों का 1 नवम्बर 1966 से पहले निर्माण तथा ऐसे जेवरों की बिक्री;

(3) व्यापारियों द्वारा निर्धारित हिसाब नहीं रखे जाना; तथा

(4) प्रमाणित सुनारों द्वारा नये जेवर आदि बनाने के लिये शुद्ध सोना स्वीकार किया जाना ।

(ग) 14,364 मामलों का विभागीय न्याय निर्णय किया जा चुका है । लगभग 1686 किलोग्राम वजन का सोना पूर्णरूप से जब्त कर लिया गया है और इन अपराधों से सम्बन्धित व्यक्तियों पर निजी दण्ड लगाये गये हैं । 245 मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये । 101 मामलों में अपराध सिद्ध हुए, 29 मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति बरी हो गये तथा अन्य मामले अभी विचाराधीन हैं ।

चौथी योजना की परियोजनाओं के लिये पश्चिम जर्मनी से सहायता

215. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की किन परियोजनाओं के लिए पश्चिम जर्मनी की सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सहायता संघ से 1966-67 के लिये अब तक जो सहायता प्राप्त हुई है वह गैर-प्रायोजना कार्यों के लिये है । इसलिये चौथी पंचवर्षीय आयोजना की किसी खास प्रायोजना के लिए पश्चिम जर्मनी से अभी तक सहायता नहीं मांगी गयी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वास्तुविद् (आर्कीटेक्ट्स) राष्ट्रमंडल संस्था का सम्मेलन

217. **श्री नाथ पाई :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तुविद् राष्ट्रमंडल संस्था का सम्मेलन हाल में भारत में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो यह सम्मेलन कितने दिन तक चला;

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(घ) सम्मेलन के विचाराधीन विषय की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हां। भारत में यह सम्मेलन इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट्स के निमंत्रण पर हुआ था। सम्मेलन की मेहमानदारी इसी इन्स्टीट्यूट ने की थी।

(ख) 12 मार्च से 20 मार्च, 1967 तक।

(ग) जिन देशों ने भाग लिया वे हैं आस्ट्रेलिया, कनाडा, सीलोन, फिजी, घाना, हांगकांग, इन्डिया, आयरलैंड, कीन्या, मलेशिया, माल्टा, न्यूजीलैंड, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, दक्षिणी अफ्रीका, ट्रिनिडाड तथा टोबागो, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम तथा जम्बिया।

(घ) यह मालूम हो चुका है कि सम्मेलन ने इस पेशे से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी मामलों पर विचार-विमर्श किया था, जैसे कि वास्तुक का महत्व तथा उसका स्तर, शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक सुविधायें, पेशे का संगठन आदि।

स्वीडिश कागज के सम्बन्ध में करार

218. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को उपहार के रूप में 8000 टन स्वीडिश कागज देने के सम्बन्ध में स्वीडन की सरकार के साथ हाल में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) करार की प्रतियां लोकसभा के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

प्रधानमंत्री का निवास स्थान

219. **श्री वी०चं० शर्मा :**   **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव: **श्री अ० दीपा :**
श्री गु०च० नायक :   **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री के लिए स्थायी निवास स्थान रखने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

220. **श्री पी०सी० अदीचन** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये नियत की गई राशि पूरी खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में नियत धन का पूर्ण उपयोग हो, इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) तृतीय योजना की कालावधि के दौरान वास्तविक खर्च के आंकड़े अब तक सभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र में समाज कल्याण विभाग के सीधे नियन्त्रण में तथा प्रदेशों में राज्य सरकारों के कल्याण विभागों के नियन्त्रण में इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के प्रस्तावों पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

बूढ़ी गंडक नदी पर बांध

221. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बूढ़ी गंडक नदी से हाल में निकाली गई नहर को बचाने के

लिये देवरिया जिला में चितौनी के निकट बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) . उत्तर प्रदेश सरकार का यह विचार है कि गंडक मुख्य पश्चिमी नहर के संरक्षण के लिये चितौनी के निकट एक बांध का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने इस मामले को गंडक नियन्त्रण बोर्ड के सामने गंडक प्राक्कलनों से धन देने के लिये रखा है।

टैरेलीन रेशा

222. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टैरेलीन रेशे का वर्तमान उत्पादन क्या है;

(ख) देश की वर्तमान आवश्यकता क्या है; और

(ग) यदि कोई कमी है तो यह आवश्यकता कैसे तथा कहां तक पूरी की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना और समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) 1966 में 2,500 मीटरी टन।

(ख) यह बताना कठिन है। टैरेलीन रेशे की मांग लचीली है क्योंकि प्राकृतिक रेशों के साथ सम्मिश्रण के लिये इसके स्थान पर दूसरे संश्लेषी रेशों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण टैरेलीन रेशे के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। उद्योग को देशीय उत्पादित मात्रा से ही काम चलाना पड़ता है। फिर भी इसकी वृद्धि के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

छिपाया हुआ धन

223. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में सीमा-शुल्क तथा आयकर अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशी में नकदी तथा सोने के रूप में अब तक छिपाया हुआ कुल कितना धन पकड़ा गया है; और

(ख) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) दिसम्बर 1966 तथा जनवरी और फरवरी 1967 की अवधि में, आयकर अधिकारियों द्वारा पकड़े गए नकदी और सोने के रूप में निकाला गया लेखा-वाह्य धन इस प्रकार है :

नकदी	—	—	9,73,937 रुपये
सोना (जिसमें जवाहिरात शामिल हैं)	—	—	1,33,835 रुपये

इसी अवधि में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने चोरी-छिपे लाये गये के रूप में सोने की नीचे लिखी मात्रा तथा चोरी-छिपे लाये गए माल को बेचने से प्राप्त धन के रूप में निम्नलिखित मुद्रा पकड़ी :

सोना	—	—	लगभग 740 किलोग्राम
मुद्रा	—	—	47,87,459 रुपये

(ख) आयकर के मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। सीमा शुल्क के मामलों में न्याय निर्णय तथा मुकदमों की कार्यवाही चल रही है।

कृष्णा-गोदावरी जल विवाद

224. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र सरकारों के बीच कृष्णा-गोदावरी जल विवाद समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में फ्लू का प्रकोप

225. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1966 से अब तक देश में फ्लू का प्रकोप बहुत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) इन्फ्लूएंजा के एक अधिसूच्य रोग न होने के कारण इसके फैलाव के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार जैसा कि संलग्न विवरण में दी गई है, उन राज्यों में जहां से संबंधित दोनों अवधियों की सूचना प्राप्त हुई है, गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में दिसम्बर 1966 से इन्फ्लूएंजा की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-159/67]

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा आयातित सामान तथा मुद्रा का पकड़ा जाना

226. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन महीनों में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये आयातित सामान तथा मुद्रा का ब्योरा क्या है; और

(ख) पकड़े गये सामान का क्या मूल्य था तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सोने का तस्कर व्यापार

227. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री एस०के० सम्बन्धम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन मास में सरकार ने चोरी-छिपे लाया गया कितना सोना पकड़ा और उन तस्कर व्यापारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) अब तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) 1 दिसम्बर, 1966 से 28 फरवरी, 1967 की अवधि में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने चोरी छिपे लाये गये के रूप में 740 किलोग्राम सोना पकड़ा।

जिन लोगों के पास से सोना पकड़ा गया है, उनके नामों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और इस सूचना का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

(ख) सोना पकड़ने के उपर्युक्त मामलों में से अधिकांश मामलों में जांच पड़ताल की तथा न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है। कुछ मामलों में तो मुकदमे भी दायर किये गये हैं।'

जीवन बीमा निगम के पालिसी-धारियों के साथ धोका

228. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसा कहा जाता है कि हाल ही में दिल्ली में धोखे बाजों के एक गिरोह ने भारतीय जीवन बीमा निगम के कई पालिसी-धारियों को लगभग 50,000 रुपये के पालिसी दावों से वंचित कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम द्वारा दो पालिसी-धारकों के नाम जारी किये कुल 12,123 रुपये के दो चेक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा ले लिये गये थे और उनमें से एक चेक तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति द्वारा भुना लिया गया; जब कि दूसरे चेक का भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा रोक दिया गया था। मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस बीच, जीवन बीमा निगम द्वारा सम्बन्धित पालिसी-धारकों को नए चेक जारी कर दिये गए हैं।

मद्रास में पिछड़े क्षेत्र

229. **श्री उमानाथ :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री सी० के० चक्रपाणि : **श्री के० एम० अब्राहम :**
श्री पत्तीयम गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अनिरुधन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा बताये गये संकेतों के आधार पर अब ब्योरा भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने किन्हीं क्षेत्रों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने, जनवरी, 1967 में, पिछड़े क्षेत्रों की जो अस्थायी सूची प्रस्तुत की थी उसे दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। राज्य सरकार, अध्ययन दल के प्रतिवेदन के आधार पर, अन्तिम रूप से निर्णय करेगी।

विवरण

मद्रास राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की सूची+

जिला	**तालुका**
तिरुचिरापल्ली	अलंगुदी, कोलाथूर, तिरुमायाम, उदयुर-पलायम और पेरम्बलुर।
तिरुनेवेली	नांगनेरी, कोयलपथी, शंकदरन-कोयल, तिरुचेन्दुर और त्रीवेकुंटन।
रामनाथपुरम	तिरुपथूर, तिरुवदानाय, परम्फुडी, रामनाथ-पुरम, मुदुकुलाथूर, अरुपुकोट्टाय, और सत्तूर।
दक्षिण आरकोट	विरद्दाचलम।
मदुरई	तिरुमंगलम।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्र

230. **श्री उमानाथ :**
श्री सी०के० चक्रपाणि :
श्री पत्तीयम गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अनिरुधन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों का पता लगाने के लिये भेजी गई सामग्री की अंतिम रूप से जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) इन प्रत्येक क्षेत्रों में विकास के तरीके निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देर होने के क्या कारण हैं ?

+अस्थायी। अध्ययन दल के प्रतिवेदन उपलब्ध होने के बाद, राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय किया जायेगा।

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). दस राज्य सरकारों द्वारा जिन जिलों/तालुकों/खण्डों को अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया है, उन्हें दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**-168/67] समस्त जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड राज्यों को पहाड़ी राज्यों में गिना जा सकता है। असम राज्य के पहाड़ी जिले बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में (राजस्थान की सीमा पर चिरकाल से सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर) राज्य सरकारों ने किसी अन्य क्षेत्र को उल्लेखनीय पिछड़ा क्षेत्र, विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है। दो राज्यों यानी बिहार और मध्य प्रदेश के विचार अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ग) राज्य सरकारों से सूचना की इन्तजारी की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

इड्डिक्की पन बिजली परियोजना

231. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री पौ० विश्वम्भरन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में इड्डिक्की पन जल परियोजना के निर्माण के लिए कनाडा की एक फर्म के साथ कोई पक्का करार किया गया है; और

(ख) इस परियोजना के लिए चौथी योजना में अस्थायी तौर पर कितनी राशि नियत की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) विदेशी सहायता कार्यालय, कनाडा से पुनरीक्षित ऋण करार हाल ही में प्राप्त हुआ है। इस समय इसकी केरल राज्य बिजली बोर्ड के साथ सलाह करके जांच की जा रही है और आशा है कि इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जायेंगे। उत्पादन यूनिटों इत्यादि को प्राप्त करने के लिए कनाडा की एक फर्म के साथ पक्के करार का प्रश्न केवल ऋण करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् ही उठेगा।

फिर भी इस बीच कनाडा के सलाहकारों के साथ सलाह करके निर्माण अनुसूची बना ली गई है। और प्रारम्भिक औजारों और संयंत्र को प्राप्त करने के लिए कनाडा अनुदान के अन्तर्गत 23 करोड़ डालर (कनाडा) के ऋण के लिए करारनामा हो गया है।

(ख) परियोजना के लिए चौथी योजना में अस्थाई तौर पर 55 करोड़ रुपये का प्रबन्ध है।

गोहाटी तेल शोधन कारखाना

232. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोहाटी तेल शोधन कारखाने के प्रस्तावित विस्तार के बारे में अब तक क्या कार्य-

वाही की गई है; और

(ख) विस्तार-कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया): (क) विस्तार के लिए तकनीकी योजना का आंकन किया गया है किन्तु इसके आर्थिक पहलुओं पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) जब तक विस्तार कार्य की अन्तिम रूप से मंजूरी नहीं होती तब तक पूरे होने की तिथि नहीं बताई जा सकती।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों का कल्याण

233. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री हीरजी भाई :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों के कल्याण पर 1966-67 में वस्तुतः कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को 1967-68 में कितनी राशि देने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) और (ख). यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बस्तियां

234. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री खगपति प्रधानी :** **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री हीरजी भाई :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए बस्तियां बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस अवधि में कुल कितनी राशि मंजूर की गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए बीस-बीस मकानों का निर्माण।

(ग) अनुसूचित जातियां   25,000 रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां   25,000 रुपये

Supply of Electricity from Rana Pratap Sagar

235. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that full supply of electricity would not be available from Rana Pratap Sagar this year also;

(b) if so, the wattage of electricity likely to be supplied to Madhya Pradesh and Rajasthan separately ;

(c) whether it is also a fact that there is a difference in the rate at which electricity is supplied to these States ; and

(d) if so, the reasons for such difference in the rates ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Full supply of electricity would be available from the Rana Pratap Sagar Power Station only after all the 4 units of 43 MW each have been commissioned. The first unit is expected to be commissioned by October, 1967 and the remaining three units at successive intervals of 3 to 4 months thereafter. A forecast of energy generation from the power station during the current year will be possible only after the 1967 monsoon season.

(b) Electricity to be generated at Rana Pratap Sagar is to be shared by Madhya Pradesh and Rajasthan in the ratio of 50 : 50.

(c) No.

(d) Does not arise.

Goods Seized by Customs Officials

236. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the value of goods seized by the Customs officials during 1966-67 ; and

(b) the value of gold included therein ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) . Information in this regard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

राज्यों के परिवार नियोजन अधिकारियों का सम्मेलन

237. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में राज्यों के परिवार नियोजन अधिकारियों

की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या परिणाण निकला है;

(ग) क्या राज्य अधिकारियों ने लूप के प्रचार में हो रही कुछ वास्तविक कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो ये कठिनाइयां क्या हैं; और

(ङ) इनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) जी हां। राज्य परिवार नियोजन अधिकारियों का एक सम्मेलन 8 और 9 मार्च, 1967 को हुआ था जिसके बाद 10 मार्च, 1967 को भारतीय चिकित्सा संघ के साथ एक गोष्ठी की गई।

(ख) परिवार नियोजन के क्षेत्र में हुई प्रगति की पुनरीक्षा की गयी। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में आयी दिक्कतों के बारे में विचार-विमर्श किया गया और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाये गये। 1967-68 के लिए गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) लगाने तथा बन्ध्यीकरण आपरेशन करने और प्रचलित गर्भरोधक प्रयोग करने के लक्ष्य निर्धारित करने का आधार निश्चित किया गया। भारतीय चिकित्सा संघ के साथ हुई गोष्ठी में इस बात पर विचार-विमर्श किया गया कि इस कार्यक्रम में निजी तौर पर चिकित्सा कार्य करने वाले चिकित्सकों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाये।

(ग) जी हां।

(घ) गर्भाशयी गर्भरोधक कार्यक्रम में प्रचार में सबसे बड़ी कठिनाई डाक्टरों और विशेषतया लेडी डाक्टरों की कमी है। अन्य कठिनाइयां कुछ मामलों में रक्त स्राव, पीठ का दर्द, दर्द आदि जैसी छोटी-मोटी शिकायतों का होना और इस कार्यक्रम के विरुद्ध प्रचार है।

(ङ) डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए भारत सरकार ने 200 जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों और 15 विशेषज्ञों की एक केन्द्रीय परिवार नियोजन कोर की मंजूरी दे दी है जिनमें से डाक्टरों की सेवाओं की आवश्यकता वाले राज्यों को डाक्टर दिये जाते हैं। इस कोर में डाक्टरों की भर्ती की जा रही है। यद्यपि इस समय भर्ती कुछ धीमी है। चिकित्सा छात्रों (पुरुष एवं महिला दोनों) को छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं ताकि पंजीकरण के पात्र होने के बाद उनकी सेवायें इस कार्यक्रम के लिये उपलब्ध हो सकें।

छोटी-मोटी शिकायतें अधिकांश मामलों में सामान्यतया क्षणिक होती हैं और विटामिन की गोलियों, लौह गोलियों, एस्पीरिन आदि जैसी साधारण दवाइयों से ठीक कर दी जाती हैं। जहां ये शिकायतें उपचार से दूर न हो सकें वहां लूप हटा दिया जाता है।

विपरीत प्रचार को समाप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षिक अभियान चलाये जाते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में सक्रिय प्रचार किया जाता है। इन कार्यक्रमों को अब सुदृढ़ किया जा रहा है।

जड़ी-बूटी उत्पादन केन्द्र

238. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 300 एकड़ भूमि में मूल्यवान भेषजिक जड़ी-बूटियां उगाने के लिए थाना (महाराष्ट्र) में एक केन्द्र स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की एक योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और वहां कौन-कौन सी जड़ी-बूटियां उगायी जायेंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) और (ख). आयुर्वेदीय (सिद्ध तथा यूनानी सहित) औषधियों के लिए एक औषध मानकीकरण एवं औषध परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की एक योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि थाना में 500 एकड़ भूमि पर एक आयुर्वेदिक ड्रग्स फार्म अच्छी तरह से खोला जा सकता है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

239. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए गोहाटी तेल शोधन कारखाने में वायुयान उड़ान में काम आने वाले तेल का उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) उत्पादन कब आरम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया): (क) और (ख). जी हां। कोकिंग यूनिट के वर्तमान स्टेबीलाइजर कालम (Stabiliser column) को मामूली परिवर्तनों सहित जे० पी०—4 के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जायेगा।

(ग) अप्रैल/मई, 1967 में।

गुजरात में पेट्रोलियम-रसायन उद्योग-समूह

240. **श्री दी० चं० शर्मा** :

श्री इन्दूलाल याज्ञिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पेट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के प्रस्ताव पर अंतिम

रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हां। यह फैसला किया गया है कि ऐरोमेटिक उद्योग-समूह की सरकारी क्षेत्र में स्थापना की जाए, जिसमें आर्थो और पौरा-जाइलीन का निष्कर्षण तथा डी० एम० टी० (D. M. T.) का उत्पादन होगा। सिद्धान्त रूप में यह भी फैसला किया गया है कि सरकारी क्षेत्र में नेफ्था भंजन की स्थापना की जाए और बीच की उपज एवं अनुप्रवाह (downstream) यूनिटों के लिए उचित प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस दिए जाएं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और नेपाल के बीच चिकित्सा सम्बन्धी जानकारी का आदान-प्रदान

241. **श्री बृजराज सिंह:**
श्री ओंकार लाल बेरवा:
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा संस्था तथा नेपाली चिकित्सा संस्था के बीच चिकित्सा संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करने के संबंध में एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चिकित्सा संघ तथा नेपाली चिकित्सा संघ के बीच हुए करार की एक प्रति परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-160/67]

भारतीय रुपये की विनिमय-दर

242. **श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष भारतीय रुपये के अवमूल्यन के समय अमरीका के डालर और इंगलैण्ड के पौण्ड से भारतीय रुपए के विनिमय की सरकारी दर क्या थी;

(ख) इस समय विनिमय-दर क्या है; और

(ग) इन दोनों मुद्राओं से भारतीय रुपए के विनिमय की गैर-सरकारी दर, अवमूल्यन के समय क्या थी और वे अब क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रुपये के अवमूल्यन से पहले, सरकारी विनिमय दर 21 अमरीकी सेंट प्रति रुपया और 1 शिलिंग 6 पेंस प्रति रुपया थी।

(ख) भारतीय रुपये की मौजूदा विनिमय दर 13⅓ अमरीकी सेंट प्रति रुपया और 11.4286 पेंस प्रति रुपया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक पौंड स्टर्लिंग 21 रुपये के बराबर और एक अमरीकी डालर 7.5 रुपये के बराबर है।

(ग) विदेशी मंडियों में भारतीय रुपये की गैर-सरकारी दरें, जो अनधिकृत लेन देन की द्योतक हैं, नीचे दी गयी हैं :

अवमूल्यन से पहले लन्दन के बाजार में रुपये की विनिमय दर 66.7 शिलिंग प्रति 100 रुपया और 1 मार्च 1967 को 65.50 शिलिंग प्रति 100 रुपया थी। न्यूयार्क के खुले बाजार में यह दर 3 जून को 10.99 सेंट प्रति रुपया और 10 मार्च 1967 को 8.33 सेंट प्रति रुपया थी।

कुछ संस्थाओं को अनुदान

243. **श्री अब्दुल गनी दर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में भारतीय सार्वजनिक (पब्लिक) प्रशासन संस्था, भारतीय विधि संस्था और सांवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन की भारतीय संस्था को कितनी राशि के अनुदान दिये गये तथा ये अनुदान किन विशेष प्रयोजनों के लिये दिये गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 1966-67 में उक्त तीन संस्थाओं को क्रमशः 10,43,600 रुपये, 4,00,000 रुपये तथा 2,00,000 रुपये के अनुदानों की मंजूरी दी गई थी। भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था को 10,43,600 रुपये का यह अनुदान अशंतः इस संस्था को सामान्य सहायता के रूप में और अंशतः इस संस्था द्वारा क्रियान्वित की गई सरकारी परियोजनाओं अथवा सरकारी सेवाओं के लिये दिया गया था। भारतीय विधि संस्था को 4 लाख रुपये का अनुदान अध्यापन, अनुसन्धान, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, शिक्षा गोष्ठियां और सम्मेलनों का आयोजन करने, प्रकाशनों, पुस्तकालय, पुस्तकों सम्बन्धी उपकरणों तथा अन्य प्रशासनिक खर्च जुटाने के लिये दिया गया था। संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन की भारतीय संस्था को उसके आवर्ती खर्च को पूरा करने के लिये 2 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था।

आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम पन-बिजली परियोजना

244. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम पन-बिजली परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) परियोजना के चालू किये जाने से अब तक निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या निर्माण-कार्य नियत कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है;

(घ) निर्माण-कार्य को नियत कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने में क्या मुख्य रुकावटें आ रही हैं; और

(ङ) परियोजना के कब तक पूरा होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) श्री सैलम पन-बिजली परियोजना में निम्नलिखित का निर्माण परिकल्पित है :

(1) कृष्णा नदी के ऊपर एक सीधा गुरुत्व बांध—अधिकतम गहरे तल के ऊपर 385 फुट ऊँचा और पूर्ण जलाशय स्तर पर 1685 फुट लम्बा—तथा अन्य आनुषंगिक कार्य ।

(2) 110-110 मैगावाट के चार उत्पादन यूनिटों के लिये बांध के ठीक नीचे एक बिजली घर।

(3) सम्बद्ध पारेषण कार्य ।

(ख) परियोजना की अनुमित लागत 45.76 करोड़ रुपये है जैसाकि नीचे दिया गया है :

उत्पादन कार्य - 38.48 करोड़ रुपये
पारेषण तथा उपकेन्द्र - 7.28 करोड़ रुपये
कुल...45.76 करोड़ रुपये

(ग) अनुस्रोत काफर बांध पर कोल-कंक्रीट और शटर लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है। प्रतिस्रोत काफर बांध के नवीकरण सम्बन्धी कार्य तथा प्रतिस्रोत कोल-कंक्रीट काफर बांध में पतली भराई करने का कार्य और नदी तल आधारों को पक्का करने का कार्य प्रगति कर रहा है । बांध के उस भाग को जो पत्थरों से बनाया जाना है भू-स्तर + 577 तक ऊँचा कर दिया गया है। मोड़ नालियों की खुदाई हो गई है । कंक्रीट-लाइनिंग सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है । कृष्णा नदी के ऊपर पुल के निर्माण के लिये ठेका दे दिया गया है ।

(घ) मुख्य कठिनाई धन की कमी रही है ।

(ङ) परियोजना पांचवी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण होनी अनुसूचित है ।

तुंगभद्रा—उच्च तल योजना

245. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 में तुंगभद्रा उच्च तल योजना के दूसरे चरण के आरम्भ किये जाने से अब तक इसके कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) योजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 1967-68 में इस योजना के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) उच्च स्तरीय नहर की कुछ पहुंचों में पलस्तर करने के लिए टेंडर मंगवाए गये हैं ।

(ख) अनुमित लागत 1456 लाख रुपये है। सिंचाई सम्बन्धी कार्यकारी दल ने

1967-68 के वर्ष के लिए 320 लाख रुपये के प्रबंध की सिफारिश की है ।

(ग) स्कीम के चतुर्थ योजना के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

परिवार नियोजन के लिए प्रचार

246. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के अतिरिक्त कितने नगरों में ऐसे इश्तहार-पट्ट लगाये गए हैं जिन पर एक महिला डाक्टर तथा एक महिला दिखाई गई है और देशी भाषा में 'लूप पहनिये' शब्द लिखे हुए हैं;

(ख) क्या सरकार इन इश्तहार-पट्टों को हटाने तथा इनके स्थान पर चार सदस्यों का छोटा परिवार दिखाने वाले तथा परिवार नियोजन का कोई संयत नारा लिखे इश्तहार पट्ट तथा इस प्रकार के अन्य इश्तहार-पट्ट जो पहले से ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं लगाने की वांछनीयता पर विचार करने के लिये तैयार हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित इश्तहार- पट्टों से अविवाहित युवा तथा किशोर लड़कियों के मस्तिष्क पर होने वाले प्रभाव का सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) लूप और लेडी डाक्टर के साथ एक महिला वाले इश्तहार का डिजाइन सभी राज्यों को उनके सूचनार्थ तथा यथोचित उपयोग के लिए भेजा गया था । प० पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने उस डिजाइन के इश्तहार का उपयोग किया है ।

(ख) सामान्य रूप से इश्तहारों के डिजाइन हर तीसरे से छठे महीने के बाद बदल दिये जाते हैं । महिला डाक्टर तथा लूप वाला इश्तहार दिल्ली में पहले ही बदल दिया गया है ।

(ग) ऐसा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

Reduction in Central Government Staff as an Economy Measure

248. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to reduce the number of Gazetted Officers and Stenographers in the Central Government as a measure of economy; and

(b) if so, to what extent?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (b). There is no proposal for a general or **ad hoc** reduction in the number of gazetted officers and stenographers.

चौथी योजना के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

249. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में विकास के हेतु उत्तर प्रदेश के लिए नियत की गई राशि उस राज्य की आवश्यकता के अनुरूप है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या प्रस्तावित राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना मसौदे पर, अक्तूबर 1966 में राज्य मुख्य मंत्री के साथ विचार विनिमय किया गया था और 926 करोड़ रुपये के परिव्यय पर सहमति प्रकट की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

न्यू एलकालायड्स वर्क्स, नीमच

250. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच (मध्य प्रदेश) में न्यू एलकालायड वर्क्स के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस कारखाने में कब तक वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ होने लगेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कारखाने तथा उसके साज-सामान आदि की योजनाएँ तथा नक्शे तैयार करने का काम अभी भी चल रहा है।

(ख) कारखाना कब से उत्पादन-कार्य शुरू कर देगा, इस सम्बन्ध में तारीख का कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित करना इस समय संभव नहीं है। लेकिन इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक दिन केवल एक ध्यान दिलाने वाली सूचना ली जाती है। उसके महत्व के सम्बन्ध में निर्णय के बाद ही उसे लिया जाता है। जो प्रस्ताव स्वीकार न किया गया हो, उसे सभा में उठाया नहीं जा सकता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) पांडिचेरी में मंत्रि-मंडल के पद-त्याग से उत्पन्न स्थिति

Shri Sheopujan Shastry (Vikramganj) : Mr. Speaker, Sir, I draw the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Situation arising out of the resignation of the cabinet in Pondicherry".

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : 19 मार्च, 1967 को पांडिचेरी के मुख्य मंत्री ने रात्रि के 10.15 बजे अपने मंत्रिमण्डल का त्याग पत्र दे दिया। इसका कारण यह था कि मंत्रिमण्डल में उनके दो साथियों ने त्यागपत्र दे दिया था। वहां की विधान सभा में 20 मार्च को मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय ने 30 मार्च, 1967 तक के लिए सभा को स्थगित कर दिया।

सात सदस्यों ने, जिनमें दो मंत्री भी शामिल हैं, विधान सभा में कांग्रेस दल से त्यागपत्र दे दिया है। उन सात सदस्य और विरोधी दल के आठ सदस्यों ने उपराज्यपाल को लिखा कि उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना लिया है और श्री ए० एस० कंकेयान को अपना नेता चुन लिया है। उन्होंने उक्त दल को सरकार बनाने का अवसर देने के लिए प्रार्थना की। उसी दिन कांग्रेस दल के नेता ने उपराज्यपाल को सूचित किया कि त्यागपत्र देने वाले सदस्यों में से कुछ त्यागपत्र वापिस लेने वाले हैं।

20 मार्च को दोनों पक्ष यह दावा करने लगे कि हमें 15 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इस प्रकार किसी भी पक्ष का बहुमत नहीं था। उनमें से एक सदस्य के अध्यक्ष बन जाने पर वह पक्ष अल्पमत में हो जाता। ऐसी परिस्थिति में उपराज्यपाल ने कुछ प्रतीक्षा करना उचित समझा।

23 मार्च की रात्रि को संयुक्त जनतंत्रीय दल के नेता ने उपराज्यपाल को लिखा कि उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलने की सम्भावना है। उन्होंने मंत्रिमण्डल की सूची बनाने के लिए दो दिन का समय आवश्यक समझा।

26 मार्च को उपराज्यपाल दोनों पक्षों के नेताओं से मिले। उस बैठक में कांग्रेस दल ने दावा किया कि उसे 17 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त जनतन्त्रीय दल के नेता ने यह कहा कि उनके दल की संख्या अभी तक 15 है और कांग्रेस के एक और सदस्य के उनके साथ मिलने की सम्भावना है। 27 मार्च को उन्होंने राज्यपाल को बताया कि सोलहवां सदस्य उनके दल में सम्मिलित नहीं हो रहा।

27 मार्च को कांग्रेस दल का नेता उन दो सदस्यों के साथ, जो पहले कांग्रेस छोड़ गये थे, उपराज्यपाल को मिला। उसने उन्हें सन्तुष्ट कर दिया कि कांग्रेस दल को 17 सदस्यों का

समर्थन प्राप्त है । अब उपराज्यपाल ने सभा में कांग्रेस दल के नेता से अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों की सूची मांगी है ।

Shri Sheopujan Shastry : Whether any pressure has been exerted on any one.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) **:** May I know why Shri Kanheyan was not invited to form the ministry soon after the fall of Congress Government.

Shri Rati Ray (Puri) **:** May I know whether the attention of the Government was drawn to the statement of Mr. A. S. Kanheyan, the dissident Finance Minister regarding the reported attempt by the Government of India to nominate some members of the Pondicherry Legislative Assembly at the present juncture.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह बिलकुल गलत है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) **:** The Lieutenant Governor told press reporters that he was awaiting a communication from New Delhi regarding a new Ministry. Why was the leader of non-congress party not appointed the Chief Minister on the resignation of Congress Government.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुख्य मंत्री के त्यागपत्र देने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बहुमत है। इस बारे में जांच करनी होती है । विरोधी दल का किसी समय भी बहुमत नहीं था ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) **:** On a point of order, Sir. How long will the power to ascertain the majority of a party continue to be vested in the Governors and the Presidents. It is for the Legislative Assembly to do so.

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है और इसका सम्बन्ध समूचे भारत से है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी): डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि विधान सभा तथा इस सभा के बहुत से सदस्य खरीदे-बेचे जाते हैं। ऐसा कहना विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये और सदस्य को इसे वापिस लेने के लिए कहना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia : This matter may be referred to the committee of Privileges. The whole thing will be clear.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : क्या कांग्रेस की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा भविष्य में ऐसा खतरा दूर करने के लिए तीन सदस्यों के नाम निर्देशित किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि पांडेचेरी में राष्ट्रपति का शासन लागू नहीं किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : राष्ट्रपति के शासन का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री ई० के० नयानर (पालघाट) : 23 मार्च को विरोधी दल के नेता ने उपराज्यपाल को लिखा कि उनके पक्ष में 17 सदस्य हैं। परन्तु 5 दिन के अन्दर मद्रास के भूतपूर्व मंत्री श्री वेंकटरामन को कांग्रेस के लिए बहुमत बनाने के लिए भेजा गया।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : विरोधी दल के नेता ने कभी यह दावा नहीं किया कि उनके साथ 17 सदस्य हैं।

श्री आनन्द नम्बियार : (तिरुचेरापल्लि) : मुख्य मंत्री के त्यागपत्र देने के बाद क्या उपराज्यपाल को दूसरे पक्ष को बुलाकर उनसे यह पूछना नहीं चाहिये था कि क्या वह सरकार बना सकते हैं और क्या उन्हें अवसर नहीं देना चाहिये था।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : 20 मार्च को विधान सभा में ही इस मामले पर निर्णय होना चाहिये था। परन्तु अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा को स्थगित कर दिया और अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। किसी पक्ष का बहुमत नहीं था।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में
Re: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATENTION NOTICES

(2) कलकत्ता में स्थिति

अध्यक्ष महोदय : कलकत्ता की स्थिति के बारे में बहुत से स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि आज 5.30 बजे वक्तव्य दें। माननीय सदस्य स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : There has been a convention in the House that the Members are entitled to move an adjournment motion whether the matter is of Urgent Public importance and there has been a failure on the part of the Central Government. All those border disputes, language disputes and inter-state disputes arise due to the failure of the Government to solve food and employment problem.

अध्यक्ष महोदय : विधि तथा व्यवस्था का मामला राज्यों का मामला है। इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वर्ष 1964-65 का प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा योजना तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री रघुरामया) : श्रीमती फूलरेणु गुहा की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 338 (2)

के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के वर्ष 1964-65 के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-**140/67]

दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1964-65 के प्रमाणित लेखे आदि

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1964-65 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-141/67]

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-142/67]।

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जनपथ होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-143/67]।

(4) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।
[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-144/67]।

(5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार (कर्मचारी भविष्य निधि तथा उपदान) नियम, 1966 की एक प्रति

जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1859 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-145/67]

दिल्ली बिक्री-कर (संशोधन) नियम, 1967, **आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम आदि।**

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री कृ० चं० पंत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय-कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय-कर (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1967 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (92)/66-फाइनेंस (ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-146/67]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 10 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 846 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-147/67]

(3) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत डाक-घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1869 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-148/67]

(4) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) राष्ट्रीय बचत पत्र (प्रथम निर्गमन) (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 14 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 41 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक-घर बचत पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 14 जनवरी, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 42 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-149/67]

(5) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक

11 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 304 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-150/67]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) जी० एस० आर० 356 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 357 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 408 जो दिनांक 17 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 409 जो दिनांक 17 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-151/67]

(7) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 14वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 358 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 15वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 359 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 16वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 360 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 17वां संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 18 मार्च, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 361 में प्रकाशित हुए थे ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-152/67] ।

फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड का प्रतिवेदन और प्रमाणित लेखे आदि ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा योजना और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत फर्टेलाइजर्स एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०**-153/67] ।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्योटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी**-154/67]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रासायनी, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**-155/67]

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I rise on a point of order re. relations between States and the Centre.

अध्यक्ष महोदय : वह मामला खत्म हो चुका है। उसके बाद सभा-पटल पर पत्र भी रखे जा चुके हैं । श्री वीरेन्द्र शाह ।

सभा-पटल पर पत्रों के रखे जाने के बारे में

RE: LAYING OF PAPERS ON TABLE

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक विषय उठाना चाहता हूं। कल जब मुंगेर से निर्वाचित माननीय सदस्य सभा में एक पर्चे से कुछ पढ़ रहे थे, तो एक अन्य माननीय सदस्य ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें ये कागजात सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये । बाद में कानपुर के माननीय सदस्य ने नियम 369(1) के अन्तर्गत एक विषय उठा कर आप से निर्णय देने का अनुरोध किया कि यदि माननीय सदस्य उस कागजात को प्रमाणित

करदें तो उन्हें वह सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये। इस बारे में मैं आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है कि यदि किसी सदस्य ने कुछ पढ़ा है तो मैं वह कागज सभा-पटल पर रखने की इजाजत दे दूं। नियम 369 में किसी सदस्य को अपनी इच्छा से पत्र सभा-पटल पर रखने की अनुमति नहीं है। इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि जब अध्यक्ष-पीठ किसी सदस्य को कोई पत्र सभा-पटल पर रखने की अनुमति देता है तो वह उस पत्र को नियम 369 (1) के अन्तर्गत प्रमाणित करेगा। अध्यक्ष को इसकी अनुमति देने में बड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जो भी कागजात सभा-पटल पर रखे जाते हैं, वे सार्वजनिक बन जाते हैं। यदि कोई सदस्य इसको प्रमाणित करने को तैयार है तो इसका यह मतलब नहीं कि अध्यक्ष ने उस कागजात को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे दी है। मैंने कहा कि ये कागजात सभा-पटल पर नहीं रखे जायेंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order.

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय के बाद कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

देश में अनाज की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 29 मार्च, 1967 को श्री जगजीवन राम द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

"कि देश में अनाज की स्थिति के बारे में विचार किया जाये।"

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लकप्पा (तुमकुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सूपकार (सम्बलपुर): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं।

श्री आनन्द नम्बियार (तिरुचेरापल्लि) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वी० मयावन (चिदाम्बरम): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उमानाथ (पुद्दकोट्टै) मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण राव (बोब्बिली): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : खाद्य मंत्रालय पश्चिम बंगाल के मामले पर शीघ्र और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने में असफल रहा है। संविहित राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में दी जा रही राशन की मात्रा तीन दिन के लिये भी पर्याप्त नहीं है। यदि हम कलकत्ता में और पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखना चाहते हैं तो चावल की मात्रा में तत्काल वृद्धि करनी होगी।

खाद्य संकट का सामना करने के लिये मैं एक 11 सूत्री कार्यक्रम रख रहा हूं।

(1) सरकार को खाद्य क्षेत्र फौरन समाप्त कर देने चाहिये। समूचे भारत के लिये केवल एक क्षेत्र होना चाहिये।

(2) पदेदारी की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाने चाहिये। उपजाऊ भूमि का स्वामित्व किसान को मिलना चाहिये।

(3) धान के मूल्य में लाभप्रद स्तर तक वृद्धि कर देनी चाहिये ताकि किसान अधिक उत्पादन कर सकें।

(4) सिंचाई के लिये छोटी सिंचाई योजनाएं युद्ध स्तर पर आरम्भ की जायें और कुएं खोदे जायें और इस प्रयोजन के लिये धन दिया जाये।

(5) खेती वाली कम से कम 60 प्रतिशत भूमि में चावल, गेहूं, बाजरा आदि उगाया जाये और केवल 40 प्रतिशत भूमि में नकदी वाली फसलें उगाई जायें।

(6) जब तक रासायनिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो, प्राकृतिक उर्वरक जैसे गोबर तथा मानव मल-मूत्र का इस्तेमाल किया जाये।

(7) अनाज का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले और छोटे व्यापारियों की सहायता के लिये देश में उचित मूल्य वाली हजारों दुकाने खोली जायें।

(8) देश भर में निर्धनता-पीड़ित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाई जानी चाहिये।

(9) प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुई अनाज की संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये सरकार को हर राज्य में 'बफर स्टाक' बनाने चाहिये।

(10) चौथी पंचवर्षीय योजना कृषि प्रधान होनी चाहिये और छोटी तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिये अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिये।

(11) सरकार को कीटनाशक औषधियों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने के बारे में विचार करना चाहिये।

सरकार को निर्धन किसानों को सिंचाई का पानी निःशुल्क देना चाहिये। पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिये पानी मयूराक्षी और अन्य परियोजनाओं से दिया जाता है लेकिन पानी की लागत इतनी अधिक है कि किसान वह पानी खरीद नहीं सकते।

खाद्य मंत्री को पश्चिम बंगाल और केरल में तुरन्त चावल भेजना चाहिये जिससे वहां लोग इतने क्रुद्ध और दुखी न हो जायें जिससे कानून व व्यवस्था खराब हो जाये ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे म. प. पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

देश में अनाज की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE. FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—Contd.

श्री मनुभाई पटेल (डभोई) : कल आपने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार की थी कि पहले हर राज्य के एक-एक सदस्य को बोलने दिया जायेगा और बाद में अन्य सदस्यों को अवसर दिया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा प्रयत्न यह है कि हर राज्य से कम से कम एक-एक प्रतिनिधि को बोलने दिया जाये । इस बारे में मैं आपका सहयोग चाहता हूं ।

श्री शशि रंजन (पपरी) : सूखा-ग्रस्त और अकाल की स्थिति वाले राज्यों को बोलने का अधिक अवसर दिया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस बात का ध्यान है । हर राज्य में कोई न कोई समस्या है । माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करें ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there cannot be two opinions about the intensity of food problem. Today this food problem has become the problem of independence and security of the country.

The producer is the most important instrument of food production and he has been ignored all through. There are hundreds of thousands of landless tillers in the country engaged in producing food but they have no security of tenure. There is always a fear of being ejected any time in the minds. It is, therefore, absolutely necessary for increasing food production to give the land to the tiller.

Regarding irrigation, proper attention is not paid on irrigation. Western Kosi Canal irrigation project was inaugurated thrice but no results were achieved. Even the land for the project was not acquired and the preliminary work has not been started. In the supplementary budget presented by the Irrigation Department, no provision has been made for that. We want to become self-sufficient in food. For greater food production proper irrigation facilities should be provided. The Hon. Minister should see that work on Kosi project is started at the earliest and for that purpose loan is given to the State Govt.

Bihar should be declared a famine-stricken area. There should be proper and honest distribution of the foodgrains produced in the country or imported.

The food problem cannot be solved by diverting the land for sugarcane production for producing foodgrains as the sugar-cane producer is not given the remunerative price for his produce. While the price of sugar-cane has more or less remained the same during the past 20 years, that of sugar has gone up by more than three times. The producers should be legally made the owner of the land they plough and the fertiliser should be made available to them at cheaper rates. The Government should create an atmosphere so that the tillers think that Government really wish to produce more. The irrigation rates should be reduced to half throughout the country and for this purpose a subsidy should be given to states.

The price of foodgrains is constantly rising. The Government should take over banks and wholesale trade in foodgrains which is controlled by big people. In the present conditions, it is necessary for giving relief to the masses.

In order to have better availability and distribution of foodgrains, it is necessary to nationalise both the wholesale food trade and banks.

As sum of Rs. 75 for digging wells is insufficient. 150-200 drilling rigs should be immediately made available to Bihar for boring tube wells for irrigation purpose.

More foodgrain should immediately be provided for Kerala.

Government should not deny on certain grounds the starvation death. Those who have no food, take other things and develop diseases and die. These are nothing but starvation deaths.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : भारत का अनाज का इतिहास सूखा, अकाल, भुखमरी आदि का इतिहास रहा है। हमने बड़ी-बड़ी योजनायें बनाईं, जिनमें 20,000 करोड़ रुपये से अधिक लग गया और कांग्रेस के 20 साल के निरंतर शासन के बाद भी जनता की मूल आवश्यकतायें पूरी नहीं हुईं। तीन पंचवर्षीय योजनायें पूरी होने के बाद भी हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता की सीढ़ी' से काफी परे हैं। इस बारे में काफी आश्वासन दिये जाते रहे। 1961 में बताया गया था कि 1963 में सब ठीक हो जायेगा और 1963 में श्री एस० के० पाटिल ने बताया था कि 1964 में 950 लाख टन अनाज का उत्पादन होगा। लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिला। 1966 में 9 और 10 अप्रैल को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह आश्वसन दिया गया था कि 1966-67 में 970 लाख टन अनाज का उत्पादन होगा। पता नहीं कि उस आश्वासन का क्या हुआ ? इतना अधिक धन व्यय किया गया और इतनी योजनायें बनाई गईं लेकिन देश अनाज के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हुआ। देश की स्थिति शोचनीय है। प्रति व्यक्ति खपत घटती जा रही है। हम दुनिया भर से अनाज की भीख मांगते हैं। आगामी वर्ष में हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत इतना अनाज आयात नहीं कर सकेंगे जितना हम चाहते हैं।

हम इन सभी कमियों के लिये मौसम को, प्रकृति को दोष देते रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। आयोजकों को इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये था। जिन देशों से हम सहायता

ले रहे हैं वहां भी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। जापान में 4500 पौंड चावल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। आस्ट्रेलिया में 5958 पौंड चावल प्रति एकड़ उत्पादन होता है। भारत में केवल 1342 पौंड प्रति एकड़ उत्पादन होता है।

मंत्री महोदय खाद्य स्थिति का अनुमान लगाते समय विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं का सही अनुमान नहीं लगाते।

राज-सहायता बन्द कर दिये जाने से केरल पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। रुपये के अवमूल्यन के समय तत्कालीन खाद्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अवमूल्यन के कारण मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी। अब खाद्य मंत्रालय ने एक विवरण निकाला है जिसमें राज-सहायता की राशि कम करने की बात कही गई है जो कि अवमूल्यन के फलस्वरूप बढ़ गई थी। अतः इस विवरण के अनुसार अवमूल्यन के फलस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी। मैं इस बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

हमें बहुत से आंकड़े तथा लक्ष्य बताये गये हैं। इन्हीं आंकड़ों के कारण केरल के मुख्य मंत्री को पर्याप्त कठिनाई उठानी पड़ी है क्योंकि जब वह आंध्र, मद्रास और मैसूर गये तो उन्हें पता चला कि आंकड़ों में काफी अन्तर है। जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है मद्रास में बहुत कम अनाज फालतू है। पिछले तीन वर्षों से आंध्र ने अपना कोटा नहीं दिया है जिसके कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है।

यद्यपि केरल खाद्य के सम्बन्ध में एक कमी वाला राज्य है तथापि वह देश के लिये बहुत सी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए अनाज के मामले में केन्द्र को केरल के साथ न्याय करना चाहिए।

मद्रास के मुख्य मंत्री की ओर से दिये गये एक सुझाव की ओर मैं खाद्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि बर्मा से आये लोगों के लिए प्रतिकर के रूप में हमें पर्याप्त धन लेना है। अधिकांश लोग तमिलनाड तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हैं। इसलिए इस प्रश्न पर हम बर्मा सरकार से समझौता कर सकते हैं जिससे कि हम उस देश में संचित निधियों को इस देश के लिए चावल के रूप में बदल सकें।

तंजोर जिले में भी, जिसको मद्रास राज्य में अनाज का घर कहा जाता है, लोगों को अनाज के लिए लम्बी-लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। वहां पर राशन लागू करना पड़ा है क्योंकि वितरण प्रणाली अच्छी नहीं है।

भारत की खाद्य निगम को राज्यों से फालतू अनाज वसूल करने के लिये स्थापित किया गया था परन्तु यह कार्य स्वयं राज्य सरकारें कर रही हैं। हम नहीं जानते कि यह निगम गत तीन चार वर्षों से क्या कार्य कर रहा है। ऐसा लगता है कि खाद्य मंत्री के साथ इस निगम का मुख्यालय भी बदल जाता है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : खाद्य मंत्री का निगम के मुख्यालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे कार्यभार सम्भालने से पहले ही यह प्रस्ताव विचाराधीन था।

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मेरा एक व्यवस्था क ाप्रश्न है कुछ दिन पूर्व श्री सेझियान द्वारा किये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने बताया था कि मुख्यालय का स्थान बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अब मंत्री महोदय इससे कुछ अलग बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो कुछ भी निर्णय किया गया था वह उनके कार्यभार सम्भौलने से पूर्व किया गया था।

श्री सेझियान : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकारों को अधिक धन उपलब्ध किया जाये जिससे कि वे अनाज की वसूली का कार्य कर सकें।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh): Food situation in the country has achieved dangerous proportions and whole country is concerned about it as it was during the Chinese and Pakistani attacks because at that time the security of the country was endangered. If the prevailing food problem is not tackled properly it will not remain an economic problem but it will became a political and social problem and all the democratic institutions will be put in danger for whom we have so much love. We should, therefore, take drastic measures on national basis and people's conscience should also be awakened to solve the present food crisis in the country.

So far as foodgrains are concerned we have been put in such a tight corner that we have to beg from other countries even at the cost of the national integrity and the other countries are putting degrading terms and conditions for the supply of foodgrains. Even after twenty years of independence we have to depend on P. L. 480 and the funds of P.L. 480 are being spent for anti-national activities. Fifteen years back the total shortage was of the order of 4 per cent. but now the shortage of the order of 7 1/2 per cent.

Our total economic planning is in danger now because of this dependence on foreign countries. It is high time when the Government should take strong steps with courage and determination. All the parties should work unitedly and mere raising of slogans should be stopped. It is not merely the responsibility of the Centre but the states should also do their part.

We are told to change our food habits. There is no doubt in it that we will have to change our food habits but I would like to draw the attention of the Government to the fact that even the vegetables, fruits and meat is so costly that the common man working in the factory or farm is unable to buy them. Strikes, demonstrations and also resentment among the police are the result of the widespread helplessness of the common man which has been brought due to the soaring prices.

At present only twenty five percent of the cultivable land is being cultivated. It is, therefore, necessary to provide more irrigation facilities as soon as possible. Arrangement for more wells and tube-wells should be made. Cooperative system should also be brought in for

the purpose. All facilities for installing a tube-well should be provided if ten farmers make a demand unitedly. Modern stores should be constructed to save the foodgrains which is going waste due to bad and defective arrangements in the old stores.

Opposition parties in Bengal, Bihar and Kerala, where they are in power, should bring land reforms immediately if they intend to solve the food problem and they should also compel the Centre to do the same. It is high time for the opposition parties in the states, where they are in power, to do something miracle in the matter by bringing more land under cultivation and by distributing land to the poor and landless farmers.

Centre should take over the procurement of foodgrains itself and ensure proper distribution.

श्री एस० के० तापड़िया (पाली) : पिछले कुछ दिनों से हम यह सुन रहे हैं कि 1970 तक हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएंगे । इससे पूर्व भी ऐसे कई आश्वासन दिये गये हैं । अब समय आ गया है जबकि हमें अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कठोर, सुदृढ़ तथा व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए ।

इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि खाद्यान्नों का बढ़ाना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है । जो लोग स्थिति का अध्ययन करते रहे हैं उन्होंने सदा सरकार को चेतावनी दी है कि हम कठिनाई की ओर बढ़ रहे हैं । जहां तक 1959 में फोर्ड फाउण्डेशन के एक अध्ययन दल ने कहा था कि 1966 तक भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । इस समय 2850 लाख एकड़ भूमि पर कृषि उत्पादन होता है और हमें 1971 तक आत्म निर्भरता के अपने वचन को पूरा करना है तो उत्पादन को 320 पाउण्ड प्रति एकड़ बढ़ाना होगा । इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल किसान द्वारा ही की जा सकती है । इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के बारे में कई बार सुना गया है । चाय बागान तथा काफी बागान तथा फैक्टरी के मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है परन्तु अनाज का उत्पादन करने वाले किसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसका कोई अस्तित्व न हो अत: उसकी निरन्तर उपेक्षा की जा रही है ।

किसानों को इस बात का विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि उनको अपनी उपज के अलाभप्रद मूल्य नहीं मिलेंगे ताकि उनको अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके । उपज के बारे में हमें पूरी जानकारी भी होनी चाहिए ।

जैसे फैक्टरी तथा बागान के मजदूरों को घर बनाने के लिए ऋण दिया जाता है उसी प्रकार किसानों को भी न केवल उर्वरक तथा उपकरणों के लिए अपितु घर बनाने के लिए भी ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

यह वांछनीय समझा जा रहा है कि भू-राजस्व को समाप्त कर दिया जाए । कुछ राज्य इसे समाप्त भी कर रहे हैं । इस मामले पर अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिए और भू-राजस्व को समाप्त किया जाना चाहिए ।

हमने भूमि से शताब्दियों तक उपज ली है हालांकि इसमें अधिक कुछ नहीं डाला। इसलिए इस समय खाद आदि डालने की बहुत आवश्यकता है। सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने के बजाय पानी की व्यवस्था करने पर जोरदार ढंग से कार्य करना चाहिए। अब तक उपलब्ध साधनों के एक तिहाई का ही लाभ उठाया गया है। हमें पम्प सेटों तथा उठाऊ सिंचाई द्वारा इन साधनों का तुरन्त लाभ उठाना चाहिए।

ऐसा सुना गया है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आपातकालीन उपाय किये गये हैं। परन्तु हम जानना चाहते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। इस सम्बन्ध में यदि सरकार यह बताये कि तीसरी योजना में कितने पम्प सेट लगाये गये हैं, उठाऊ सिंचाई के कितने कार्यक्रमों को लागू किया गया है और कि इन योजनाओं से कितनी भूमि को लाभ हुआ है।

[श्री च० का० भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

यह भी सुनने में आया है कि पम्प सेट लगाने के लिए बिजली की बहुत कमी है। परन्तु यह भी सुना जाता है कि भारत के बने डीजल इंजन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगाये गये हैं।

जल-विद्युत योजनाओं को थरमल पावर उपकरणों से संतुलित किया जाए ताकि ऐसा संकट पुनः उत्पन्न न हो जैसा कि गत वर्ष हुआ था। गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पन्न करने सम्बन्धी मशीनरी के उत्पादन के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा। बिजली की मांग उसकी सप्लाई की तुलना में अधिक बढ़ती जा रही है।

सरकार ने यद्यपि विलम्ब से, तथापि उर्वरक के उत्पादन की ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। विदेशी पूंजी तथा जानकारी को आकर्षित करने के लिए नीति बनाई गई है। उर्वरक के अनुचित वितरण के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे उर्वरक का वितरण शीघ्र तथा उचित ढंग से हो।

पिछले वर्षों में अनेक भूमि सुधार किये गये हैं। नये भूमि सुधार लाने के बजाय हमें उन सुधारों को ठीक ढंग से क्रियान्वित करना होगा जो सुधार अब तक लाये जा चुके हैं। हमें यह भी देखना होगा कि उनसे कितना लाभ होता है। हमें भू-स्वामियों तथा काश्तकारों दोनों को ही संतुष्ट करने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा। कुएं खोदने, अल्प-समय की योजनाएं बनाने तथा सिंचाई की मध्यम श्रेणी की योजनाएं बनाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

श्री रामकृष्ण सिन्हा (फैजाबाद): खाद्य समस्या दलगत समस्या न हो करके एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें इस संकट का मुकाबला युद्ध की सी स्थिति मानकार करना होगा। जैसे भारत की प्रगति के लिए समाजवाद आवश्यक है उसी तरह एक मूल सिद्धान्त यह है कि हमें खाद्यान्न में अत्म-निर्भर होना होगा अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः इस प्रश्न पर सभी दलों को मिलकर गम्भीरता से विचार करना होगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूमि का स्वामी काश्तकार ही होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि भूमि सुधारों के मामले में आज भी अनिश्चित नीति अपनाई जा रही है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। हम जितना पी० एल० 480 पर निर्भर करते हैं उतना ही हम किसानों को भूलते जाते हैं।

देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि स्वास्थ्य की उपलब्ध अच्छी सुविधाओं के कारण हो। परन्तु भूखे लोग चीन व पाकिस्तान का सामना नहीं कर सकते। हमें इस तथ्य को महसूस करना है।

प्रत्येक युवक को खेतों में काम पर लगाया जाना चाहिए चाहे उस युवक की कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों न हो। हमें अपने युवकों पर विश्वास करना है वे गैर-जिम्मेदार नहीं हैं।

हमें राज्य व्यापार आरम्भ करना चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र की समाज-विरोधी प्रवृत्तियों को जो कि हमें स्वतन्त्रता के लाभों से वंचित करना चाहती हैं, दूर करना होगा।

विरोधी दलों को भी इस संकट को हल करने में पूरा-पूरा सहयोग देना चाहिए। जिससे कि देश, जहां दूध और घी की नदियां बहती थीं भिखारी के समान देश-देश में भिक्षा न मांगता रहे और अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो सके।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): कांग्रेस सरकार अपनी नीतियों की असफलता का दोष सदा मानसून पर देती रही है। यह शर्म की बात है कि बीस वर्ष की आयोजित अर्थव्यवस्था के बावजूद हमें मोनसून वर्षा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि हम प्रकृति के साधनों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं। हम खेती के लिए नदियों का पानी उपयोग करने में समर्थ नहीं हैं। हमने बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई हैं परन्तु वे सब असफल हुईं क्योंकि हम इमानदार नहीं हैं और मुख्यरूप से हमारे शासक इमानदार नहीं थे।

सरकार भूमि सुधारों को लागू करने तथा किसानों को अन्य प्रकार की सुविधाएं अर्थात् अच्छी किस्म के खाद तथा बीज देने में असफल रही है।

सरकार किसानों को उनकी उपज के अच्छे मूल्य देने में भी असफल रही है। यही सब कारण हैं कि किसानों को अनाज के उत्पादन में वास्तविक रुचि नहीं रही है। देश में अभी तक मूल्य भी स्थिर नहीं हुए हैं। पूरे देश में एक-सी राशन व्यवस्था भी नहीं है। घाटे वाले राज्यों को ही अधिक हानि, उठानी पड़ रही है।

सरकार अनाज के उत्पादन अथवा अनाज के वितरण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति अपनाने में असफल रही है। हाल में केरल में जो भुखमरी पड़ी है उससे लाभ उठाने के लिए सरकार ने जमाखोरी तथा चोर बाजारी करने वाले लोगों को खुली छूट दे रखी है।

गेहूं खाने वाले लोगों की तुलना में चावल खाने वाले लोगों की उपेक्षा की गई है। सरकार गेहूं तो बहुत अधिक मात्रा में विदेशों से मंगवाती है परन्तु वह चावल आयात करने के प्रश्न को तो बिल्कुल भूल गई है।

सरकार ने रुपये का अवमूल्यन भी राज्यों से सलाह किये बिना ही कर दिया था।

केरल में अनाज कम पैदा होता है। केरल को देश के भिन्न-भिन्न भागों से हर महीने 70,000 टन अनाज भेजा जाता है। अधिकतर अनाज आन्ध्र भेजता है। अब आन्ध्र सरकार कहती है वह 45,000 टन अनाज भेज सकती है और वह भी केवल अगामी दो महीनों के लिये। अब समस्या यह है कि केरल को शेष 25,000 टन अनाज कहां से मिलेगा। क्या ऐसे राज्य को चावल देना केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है जो नकदी फसलें पैदा करके देश को बहुत सी विदेशी मुद्रा देता है। इसलिये यदि केरल की जनता को जिसे प्रति दिन केवल 6 औंस राशन मिलता है भरपेट भोजन देने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार नहीं लेती है तो उसे संघ से अलग होने की अनुमति दे दी जानी चाहिये ताकि वह अपने भाग्य की कहीं और परीक्षा कर सके।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय को केरल की समस्याओं पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करना चाहिये। और उस राज्य को उसका उचित भाग मिलना चाहिये। बर्मा को झींगा मछलियों की बहुत आवश्यकता है जो केरल में बहुत पाई जाती हैं। उस देश को उनका निर्यात करके वहां से चावल मंगवा कर केरल को दिया जा सकता है। मुझे आशा है केरल की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया था। तब दूसरी और तीसरी योजना में उद्योगों को महत्व दिया गया। चौथी योजना में भी कृषि को महत्व दिये जाने की सम्भावना है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं हैं कि कृषि की उपेक्षा की गई है और उसे महत्व नहीं दिया गया है। उद्योगों को महत्व देना भी कृषि की दृष्टि से बहुत जरूरी होता है क्योंकि अनाज पैदा करने के लिये भी कृषि औजारों का होना नितान्त आवश्यक होता है।

अनाज की कमी का कारण उसकी उपेक्षा नहीं है। अनाज की कमी तो इसलिये हुई है क्योंकि गत कुछ वर्षों में प्रकृति हमारे प्रतिकूल रही है।

हमें वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिये अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिये तथा अनाज के मामले में आत्म-निर्भर हो जाना चाहिये ताकि हमें दूसरे देशों से सहायता न मांगनी पड़े। कोई भी देश सहायता लेना नहीं चाहता है परन्तु सच्चाई यह है कि हम जो कुछ भी लेते हैं उसका दाम देते हैं। फिर भी मैं इस विचारधारा की हूं कि हमें अनाज के मामले में आत्म-निर्भर अवश्य हो जाना चाहिये।

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हमें उपलब्ध अनाज का वितरण उचित ढंग से करना चाहिये। इस काम के लिये हम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

अब जब हम देख रहे हैं कि केरल में अनाज की कमी पड़ गई है तो हमें उस राज्य की अवश्य सहायता करनी चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करूंगी कि केरल की जनता को अपनी खाने की आदतें बदलने की कोशिश करनी चाहिये। जब देश में चावल की कमी है तो उन्हें चावल खाने की आदत छोड़कर उसकी बजाय और अनाज खाने में रुचि बढ़ानी चाहिये।

मैं एक बार फिर यही कहना चाहूंगी कि हमें जितनी जल्दी हो सके अन्य देशों पर अनाज के मामले में निर्भर करना छोड़ना चाहिये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये सिंचाई परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिये। नागार्जुन सागर परियोजना जैसी बड़ी-बड़ी परियोजनायें यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिये। यदि सरकार आन्ध्र प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद की सप्लाई करने का आश्वासन दे दे और उस राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर दे तो मुझे पूरा यकीन है कि देश की अनाज की पूरी कमी दूर हो जायेगी।

कोचमपाद परियोजना को पूरा करने से भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

हमें गहन खेती पर भी अधिक जोर देना चाहिये। इसके लिये सिंचाई, उर्वरक, पम्पों आदि की सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं।

खाद्य की समस्या राष्ट्रीय समस्या है तथा इसे राजनीतिक समस्या नहीं समझा जाना चाहिये।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) :* अध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी है। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आप मेरी भाषा समझ सकते हैं।

इस समय समूचे देश तथा हमारे समक्ष अनाज की कमी की समस्या है। मैं चाहता हूं कि अनाज की कमी की समस्या की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की जाये जिसको सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त हो।

मैं सरकार का ध्यान मैसूर राज्य के कुछ अकालग्रस्त क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैसूर राज्य में केवल 8 प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई की जाती है जबकि मद्रास, तथा आन्ध्र प्रदेश में इससे दो अथवा तीन गुना अधिक भूमि पर सिंचाई की जाती है। फिर भी मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि मैसूर राज्य को फालतू अनाज वाला राज्य समझा जाता है और कि इसका 'भारत में अनाज की स्थिति तथा कमी का पुनर्विलोकन' पुस्तक में उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अनाज के सम्बन्ध में वह मैसूर राज्य की और विशेषकर बैलारी, गुलबर्ग, बीजापुर आदि जिलों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे। इन जिलों को अकालग्रस्त जिले घोषित किया जाना चाहिये।

---

* मूल कन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

From English translation of speech delivered in Kannada.

गत आठ वर्षों में राज्य सरकार ने राज्य में सिंचाई की सुविधायें देने के प्रश्न की जांच के बारे में अनेक समितियां नियुक्त की हैं। इन सभी समितियों ने राज्य सरकार को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं परन्तु कोई नहीं जानता कि इन पर क्या कार्यवाही की गई है। मेरा सुझाव है कि सरकार सिंचाई की सुविधायें देने सम्बन्धी व्यवस्था का शीघ्र पुनर्गठन करे।

मैसूर सरकार को किसानों को सस्ते दामों पर औजार, कपड़ा, तथा मिट्टी का तेल सप्लाई करना चाहिए।

खाद्य निगम एक मुनाफा कमाने वाला निगम बन गया है जिसका मुनाफा चोर बाजार करने वालों तथा नौकरशाहों में बांटा जाता है। इसलिए इस निगम को बन्द किया जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि वसूली सम्बन्धी नीति को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए तथा क्षेत्रीय प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

संसद् सदस्यों को अपनी भाषाओं में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस समय संसद् में प्रथा यह है कि उत्तर के लोग हिन्दी में तथा दक्षिण के लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। माननीय सदस्यों को अपनी भाषाओं में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए इससे देश में एकता लाने में भी सहायता मिलेगी।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार कोई भी सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में इस सभा में नहीं बोल सकता है। यदि अध्यक्ष या सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे दें तो उस सदस्य को भाषण देने से पहले उसका अनुवाद प्रस्तुत करना होता है।

सभापति महोदय : श्री श्रीकान्तन नायर जी ने जिस नियम का उल्लेख किया है वह सही है। किसी भी सदस्य को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भाषण देने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु उसके लिये उस सदस्यों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उसका अनुवाद पहले प्रस्तुत करना होता है। चूंकि माननीय सदस्य ने ऐसा नहीं किया है इसलिये उन्हें हिन्दी अथवा अंग्रेजी में बोलना चाहिये।

सभापति महोदय : अब मैं समझता हूं कि मुझे किसी अन्य सदस्य को भाषण देने के लिये पुकारना चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : May I submit that according to Article 120 of the constitution a Member can speak in this House in his mother tongue apart from English and Hindi. For that he has to seek your permission—which you can accord in this case also. It was only yesterday that Dr. Ram Manohar Lohia had used Bengali words in his speech when

you, Sir, were on the chair. He too had not sought prior permission. I think the convention set up yesterday is good and you may allow the Hon. Member to speak in his mother tongue.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं श्री मधु-लिमये से जो बोलने की अनुमति लेने के लिये मेरे पास आये थे, प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय सदस्य को बैठने के लिये कहें।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य श्री यादव द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देने की मुझे अनुमति दें।

श्री यादव ने कहा था कि डा० लोहिया बंगला भाषा में बोले थे। मैं हिन्दी और बंगाली दोनों भाषायें जानता हूं। मेरा यह मत है कि जिन शब्दों का डा० लोहिया ने प्रयोग किया था वे उतने ही हिन्दी के शब्द हैं जितने कि बंगाली भाषा के। उन्होंने "अशोबनया" शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द हिन्दी और बंगाली दोनों भाषाओं में प्रयोग होता है। अत: श्री यादव इस दृष्टान्त का उद्धरण नहीं कर सकते हैं। इसलिये जब तक अध्यक्ष इस नियम को नहीं बदलते यह ऐसा ही रहेगा। हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में बोलने के लिये माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेनी होगी।

श्री क० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा था कि कोई भी सदस्य संविधान के अनुच्छेद 120 के अन्तर्गत हिन्दी अथवा अँग्रेजी में ही अपना भाषण दे सकता है। परन्तु इस सदन में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अनुवाद की ही अब तक व्यवस्था हुई है। संविधान में इस बात की गारन्टी की गई है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान किया जायेगा। कन्नड़ भी उस अनुसूची में सम्मिलित है। हमने इस सभा में शपथ भी कन्नड़ भाषा में ही ली थी क्योंकि वह हमारी मातृ भाषा है और हमें उसके प्रति बहुत स्नेह है। ...... (कन्नड़ में बोले)

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री क० लकप्पा : अब मैं खड़ा होकर अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं तो माननीय सदस्य कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मेरा व्यवस्था का प्रश्न अभी निपटाया नहीं गया है। इसलिए दूसरी व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री क० लकप्पा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न न केवल हमारे द्वारा बनाए गए प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से अपितु संविधान से भी उत्पन्न होता है। संविधान के अन्तर्गत आने वाली देश की सभी चौदह भाषाओं को समान समझा जाना चाहिए। क्योंकि उनमें सभी राज्यों की भाषायें आ जाती हैं। मेरे माननीय सदस्य ने इस प्रकार कन्नड़ में अपना भाषण आरम्भ किया था। इस पर एक अन्य माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब तक वह कन्नड़ भाषा का हिन्दी अथवा अँग्रेजी में अनुवाद नहीं दे देता वह वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकते।

मेरा निवेदन यह है कि हमें लोगों ने चुना है। चुनाव अधिकारी के सामने हम किसी भाषा में शपथ ले सकते हैं। हमने अपने निर्वाचन-क्षेत्र में कन्नड़ में शपथ ली है। जब हम चुन-कर यहां आये तो यहां भी हमने कन्नड़ में शपथ ली। अब प्रश्न यह है कि क्या माननीय सदस्य इस सभा में अपनी मातृ भाषा में बोल सकते हैं अथवा नहीं। अब प्रश्न यह भी है कि क्या कन्नड़ भाषा का अन्य भाषाओं की तरह सम्मान किया जायेगा अथवा नहीं तथा क्या संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन तो नहीं किया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम सब ने संविधान की शपथ ली हुई है। अतः हमें संविधान के अनुसार चलना ही होगा। यदि संविधान में इस सभा में भाषा के प्रयोग के बारे में कोई विशिष्ट उपबन्ध है तो उसका प्रत्येक सदस्य को पालन करना ही होगा। यदि सदस्यों की कोई उचित शिकायत है तो मैं उनकी कठिनाई को महसूस करता हूं। यदि कोई सदस्य यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक भाषा का समान आदर नहीं होता है तब उसके लिये अवश्य अन्य तरीके हैं। परन्तु यदि हम संविधान के मूल नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह गलत बात है क्योंकि संविधान सर्वोच्च है।

Shri Ram Sewak Yadav ; Sir I can remove your difficulty. I may be permitted to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संविधान को पढ़े देता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : He may be permitted to speak in Kannada.

श्री सेझियान : यह बात मूल अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आती है बल्कि संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य अपने आपको अंग्रेजी अथवा हिन्दी में व्यक्त करने में असमर्थ है तो उसके लिये इस सभा में भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में एक उपबन्ध है। यदि कोई सदस्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में भाषण दे सकता है तब तो कोई प्रश्न नहीं उठता। निस्सन्देह माननीय सदस्य को प्रश्न उठाने का अधिकार है और उन्होंने उठाया भी है। परन्तु मैं सब सदस्यों को एक सुझाव दूंगा। हमें भाषा के मामले में सह-अस्तित्व से रहना चाहिये। यदि आप झगड़ा करना चाहें तो वह भी उचित ही है। अपने आपको मातृभाषा में व्यक्त करना आसान होता है।

परन्तु फिर भी यदि कोई माननीय सदस्य इन परिस्थितियों में कोई प्रश्न उठाना चाहे तो इसका मेरे पास कोई उपाचर नहीं है।

Shri Madhu Limaye : He may be permitted to speak in Kannada.

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 120 में लिखा है :

"भाग 17 में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायेगा। परन्तु यथास्थिति राज्य परिषद का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में काम करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।"

Shri George Fernandes (Bombay East) : May I also draw your attention towards direction 115 by the Speaker.

Shri Madhu Limaye : The constitution is clear in this respect.

Shri George Fernandes : The constitution is clear in this respect. We can speak in any Indian language. This is wrong to say that the translation of the same has to be presented. This point has not been mentioned in the Directions. This is what Direction 115-B says :

"115ख, लोक सभा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में भाषण देने वाला सदस्य अपने भाषण को हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर प्रदान करेगा और सभा की कार्यवाही के शासकीय वृतान्त में केवल ऐसा रूपान्तर, मूल भाषण किस भाषा में था यह बताने वाले एक वाद-टिप्पण के साथ, छपेगा।"

"परन्तु यदि कोई सदस्य अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर प्रदान नहीं करता तो सभा की कार्यवाही के शासकीय वृत्तान्त में इस बात का उल्लेख कि सदस्य ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में भाषण दिया, इस टिप्पण के साथ कर दिया जायेगा कि सदस्य ने अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर नहीं दिया।"

Mr. Deputy Speaker, I would submit only one point that if Mr. Patel wants to speak in Kannada, he is allowed to do so under the constitution. Under the Directions he can speak in his language, Kannada. In case Hindi translation of his speech is required. I am prepared for it. Let him speak in Kannada. I will render a simultaneous Hindi translation...... **(Interruptions)**.

श्री रणधीर सिंह : इसमें दुगुना समय लगेगा। यह तो वक्त खराब करना है।

Shri Madhu Limaye : There is no waste of time. He may be allowed to speak in Kannada. Mr. Deputy Speaker, it will be good for you, good for the House and good for the country if you also express your views in an Indian language. At least the Hon. Member, who wants to speak in Kannada, should be complemented for it and given full opportunity for it.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसका रूपान्तर देना होगा। यह उपबन्ध है कि आप अपनी मातृ-भाषा में बोल सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Neither you nor we know English. As long as English continues to be in use, the prestige of the country would not be enhanced. Therefore, we want that you discard the use of English.

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सबको यह समझना चाहिए कि भाषा एक भावना की बात है। यदि इस तरह परिवर्तन करना चाहें, तो यह संभव नहीं है। यदि सर्वसम्मत मत हो, तो प्रक्रिया तथा संविधान में परिवर्तन करने के अन्य तरीके हैं, मैं नियम पढ़ देता हूँ :

"लोक-सभा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में भाषण देने वाला सदस्य अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर प्रदान करेगा और सभा की कार्यवाही के शासकीय वृत्तान्त में केवल ऐसा रूपान्तर, मूल भाषण किस भाषा में था यह बताने वाले एक वाद-टिप्पण के साथ, छपेगा :

परन्तु यदि कोई सदस्य अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर प्रदान नहीं करता तो सभा की कार्यवाही के शासकीय वृत्तान्त में इस बात का उल्लेख कि सदस्य ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में भाषण दिया, इस टिप्पण के साथ कर दिया जायेगा कि सदस्य ने अपने भाषण का हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तर नहीं दिया।"

जरा सुनिए। जो भी उनकी मातृ-भाषा हो, मैं उन्हें उसमें अवश्य ही बोलने दूंगा परन्तु······[**अन्तर्बाधा**]···बाद में, जब कार्यवाही का वृत्तान्त पूर्ण हो, स्वाभाविक है कि भाषण का रिकार्ड तो रखना ही होगा, आपको इन नियमों को मानना होगा। [**अन्तर्बाधा**]

जरा सुनिये। जहां तक आपकी मातृ-भाषा के प्रयोग का सम्बन्ध है, यदि आप इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, यदि आपको अपनी मातृ-भाषा में बोलने दिया जाता है, तो कार्यवाही के वृत्तान्त में केवल यह दिखाया जायेगा कि अमुक भाषा में बोले······[**अन्तर्बाधा**]

Shri Madhu Limaye : We will see to it later.

श्री स० मो० बनर्जी : हम आज 5 बजे तक भाषण का रूपान्तर दे देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : एक दफा कार्यवाही का वृत्तान्त पूरा हो जाने पर बाद में उसमें भाषण का रूपान्तर सम्मिलित करने की कोई व्यवस्था यहां नहीं है। [**अन्तर्बाधा**] श्री के० के० नायर।

Shri George Fernandes : I have got a second point of order. As regards the right of a Member to speak under Rule 115-B, I am to submit that I owe responsibility to the entire country and secondly to my constituency and it is our right to voice the feelings of our constituents on the issues facing them. When you point out certain rule asking the Member first to submit a translation of his speech in advance for incorporating in the proceedings......

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बैठ जायें। [**अन्तर्बाधा**]

श्री के० के० नायर (बहराइच): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं अहिन्दी-भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। जो कुछ मैंने सुना है, उससे मैं समझता हूं कि अध्यक्ष द्वारा दिये निदेशों को सर्वोपरि तथा संविधान के उपबन्धों से ऊपर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह गलत है। यदि संविधान के उपबन्ध से किसी को परेशानी होती है अथवा कष्ट-कर है, तो सही तरीका यह है कि संविधान को बदल दो और ऐसा उपबन्ध कर दो। [**अन्तर्बाधा**]

एक माननीय सदस्य : आपने तो हिन्दी में शपथ ली है। [**अन्तर्बाधा**]

श्री के० के० नायर : मैंने तो संस्कृत में शपथ ली है।

यह ठीक है कि अध्यक्ष का पद सम्माननीय है, उसके अपने कृत्य हैं लेकिन मैंने यह कहीं नहीं सुना कि अध्यक्ष संविधान से ऊपर है। अध्यक्ष के अस्तित्व की संविधान के अन्तर्गत गारन्टी है; उनके कृत्य की संविधान द्वारा गारन्टी है और मैं कहता हूँ कि आप कोई ऐसा निर्णय नहीं कर सकते हैं, जो संविधान के विरुद्ध हैं; चाहे वह आपके विवेक के अनुसार हो या न हो, आपको संविधान के आदेश को मानना होगा। केवल इसलिए कि इस पुस्तक में एक निदेश है, जो स्वयं ही अस्पष्ट है, आप संविधान के आदेश की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

श्री जे० एम० बिस्वास (बांकुरा) : **श्रीमान्**, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले ही दिन मैं जब शपथ लेने के लिए संसद में आया, तो मुझे अपनी मातृ-भाषा, बंगाली में शपथ लेने दी गई और उसके लिए मुझे आपको कभी लिखकर देने के लिए नहीं कहा गया और न ही बाद में। यदि आप इस मामले में चाहते हैं—माननीय सदस्य लिखकर भी देने के लिए तैयार हैं—कि यह यहीं और अभी किया जाना चाहिए, तो यह अनियमित है। आपने मुझे मेरी मातृ-भाषा बंगाली में शपथ लेने दी और मुझसे रूपान्तर आदि कुछ नहीं मांगा था।

श्री रणधीर सिंह : हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा संविधान में उल्लिखित किसी अन्य भारतीय भाषा में शपथ लेने का उपबन्ध है।

Shri George Fernandes : We are concerned with the proceedings. If I speak, it must go in the proceedings. I someone points out the some old rule saying that unless you furnish a translation of your speech in any language other than Hindi or English in advance, it will not form part of the proceedings. it will be a great injustice. Because debate on food has been going on in the House since morning ; different members expressed their views in Hindi, some in English ; if I have to reply, contradict or suggest something on the points raised during the course of the debate, this rule of yours will be of no avail as it will amount to sealing my lips.

Therefore, if there is any old rule, it is wrong. You should declare that rule as wrong and we should be given the right to speak in our own language. I will translate it here.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूँ कि क्या सभा खाद्य स्थिति पर चर्चा कर रही है, मौत की काली छाया देश के कोने-कोने में मंडरा रही है, अथवा हम भाषा विवाद पर चर्चा कर रहे हैं ? क्या हम अपने देश की भूखी जनता को खाद्यान्न देंगे अथवा माध्यम देंगे जिसमें हम बोलते हैं ? [**अन्तर्बाधा**]

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : हमें इस तरह से अभित्रस्त नहीं किया जा सकता है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमान्। हम यहां सारी कार्यवाही को रिकार्ड करने की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। सभा में जो कार्यवाही होती है, उसकी एक प्रति हमें दी जाती है। पहले नियम का पालन न करते हुए कि सदस्य को रूपान्तर देना होता है, अब जो अनुमति दी गई है, हमें यह कैसे विश्वास हो कि भाषण का रूपान्तर देने वाला व्यक्ति सभा में दिये गये भाषण का ठीक रूपान्तर ही दे रहा है ? यदि रूपान्तर आपके अधीन हो, तो आप यह निश्चित करने की स्थिति में हो सकते हैं कि रूपान्तर ठीक है। अन्यथा हमें यह कैसे पता लगेगा कि माननीय सदस्य द्वारा दिया रूपान्तर उनके भाषण का ठीक रूपान्तर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूँ। मैं उस पर अपना निर्णय दे रहा हूँ [**अन्तर्बाधा**]। कृपया बैठ जायें। मैंने माननीय सदस्य को, जैसी कि नियमों में व्यवस्था है, अपनी मातृ-भाषा में बोलने की अनुमति दी है। मैंने प्रक्रिया नियमों के सभी उपबन्ध और साथ ही संविधान तथा निदेशों के उपबन्धों का स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब भी संविधान और प्रक्रिया नियमों में थोड़ा सा भी अन्तर हो, तो संविधान सर्वोपरि है। इस सबके साथ मैं यह कहूँगा कि माननीय महिला सदस्य ने एक बात उठाई है और कुछ आरोप लगाये हैं। उन्होंने यह संशय व्यक्त किया कि क्या यहां पर दिया गया भाषण और बाद में दिया गया रूपान्तर समान होगा अथवा कोई अन्तर होगा। केवल इतनी बात है कि यदि माननीय सदस्य यह प्रमाण-पत्र देते हैं कि वह सही रूमान्तर है, चूंकि उन्होंने शपथ ली है, हमें उसे सही समझना चाहिए। इसलिए जो अपनी मातृ-भाषा में बोलने के इच्छुक हैं, जैसा कि मैंने अभी निर्णय दिया है, उन्हें नियमों के अनुसार अनुमति होगी यदि वे ये प्रमाणित करें कि वह सही रूपान्तर है, जो कार्यालय को स्वीकार करना होगा।

एक अन्य बात है। जैसा कि एक अन्य महिला सदस्य ने कहा, हम खाद्य स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, जो गंभीर अवस्था में है। यदि माननीय सदस्य एक ऐसा प्रश्न उठाने का प्रयास करें जिसका इस समय खाद्य समस्या से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, तो यह सभा के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि वे भाषा-विवाद उठाना चाहते हैं, तो इस ढंग से उठायें कि कुछ परिणाम निकले और सभी भाषाओं के लोग सन्तुष्ट हों। [**अन्तर्बाधा**]

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मैं जानना चाहती हूँ······

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। हमें पहले उन्हें सुनना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं बैठने से इन्कार करती हूँ।......[**अन्तर्बाधा**]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है......

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अवसर दूंगा, कृपया बैठ जाइये। आपको अध्यक्ष पीठ का आदेश मानना पड़ेगा। जो माननीय अध्यक्ष पीठ की उपेक्षा कर रहे हैं, मुझे उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी, चाहे वे इस ओर के हों अथवा दूसरी ओर के। [**अन्तर्बाधा**]

मैं माननीय महिला सदस्य को कह रहा हूं। माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। मैंने एक निर्णय दे दिया है। यदि मेरे निर्णय के बारे में उनकी कोई बात है, तो वे इस समय मेरे निर्णय को चुनौती नहीं दे सकतीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपके निर्णय के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपको सुनना होगा......

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अब मैं उन्हें अनुमति नहीं दे सकता। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। जो कुछ वे कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। हमें चाहिए कि उन्हें शान्त होकर सुने। यदि कोई महत्वपूर्ण बात है, तो मैं माननीय महिला सदस्य को बाद में सुनूंगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं यह समझूं कि आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं......

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे आपका नाम लेकर पुकारना पड़ेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से प्रार्थना करूंगा कि वे सभा से चली जायें। वे कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूँ......

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था है। इसको चुनौती मत दीजिए।

श्री रणधीर सिंह : श्रीमान, वे व्यवस्था का दूसरा प्रश्न उठा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस पर बाद में विचार करूंगा। अब उन्हें सभा से जाना पड़ेगा। श्रीमती सिन्हा, मैंने आपको नाम लेकर पुकारा है। आपको सभा से जाना पड़ेगा। कृपया सभा से चली जाइये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ठीक है, मै सभा से जाती हूं । लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए······

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं । कृपया सुनिए । वे सभा से चली जायें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा । कृपया अब निकल जाइये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या आप कारण नहीं बता सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं······ [**अन्तर्बाधा**]

[इसके पश्चात श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा सभा-भवन से बाहर चली गईं ।]
Shrimati Tarkeshwari Sinha then left the House

उपाध्यक्ष महोदय : अब विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य मेरे निर्णय पर ताली बजा रहे हैं । मैं उन सबसे आदेश मानने के और बैठ जाने के लिए कहूंगा······[**अन्तर्बाधा**]

श्री शिव नारायण : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है······[**अन्तर्बाधा**]

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यदि वे इस प्रकार कार्यवाही में बाधा डालेंगे, तो मैं उनके विरुद्ध भी वही कदम उठाऊंगा ।·········[**अन्तर्बाधा**]

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रधान मंत्री बोल रही हैं । कृपया आप सब सुनें ।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय को चुनौती; नहीं देना चाहती, माननीय सदस्य आपके निर्णय के अनुसार बोलें; लेकिन दूसरी ओर के सदस्यों को मेरा सुझाव है कि यदि, संभवतः बाद में, हम बैठ सकें, और साथ-साथ अनुवाद अथवा जो यह कुछ भी है, इस विषय पर चर्चा कर सकें, तो हम कोई तरीका निकाल सकते हैं । कुछ व्यवहारिक तथा तकनीकी कठिनाइयां हैं, हमें जिन्हें दूर करना है । हम इन सब बातों पर विचार करेंगे । इसलिए, मैं सुझाव दूंगी कि यहां सभा में ही गरमागरम बहस करने की अपेक्षा बाद में हम इस पर विचार करें । वास्तव में, कल डी० एम० के० के एक सदस्य ने यह बात उठाई थी और हम आगे विचार करने के बारे में सोच रहे थे ।

श्री सेझियान : हम प्रधान मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करते हैं । मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि बैठक शीघ्र ही बुलायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्री पहाड़िया (हिंडौन): माननीय सदस्य को सभा-भवन से जाने के लिए क्यों कहा गया था ?.........[अन्तर्बाधा]

श्री रणधीर सिंह : श्रीमान्, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था.........[अन्तर्बाधा]

Shri Pahadia : We are dissatisfied with your behaviour. We want to know the reasons for asking her to leave.

श्री शिव नारायण : हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं.........[अन्तर्बाधा]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा अपना भाषण समाप्त किये जाने के बाद मैं अवश्य माननीय महिला सदस्य को सभा में आने और अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दूंगा.........[अन्तर्बाधा]

Shri Pahadia : You favour the opposition. As a protest against your behaviour we walk out.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हम इसे चुपचाप सहन नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि महिला सदस्य से बाहर जाने के लिए क्यों कहा गया ? इसके विरोधस्वरूप हम सदन-त्याग करते हैं।

[इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।]
Some Hon. Members then left the House

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैं यह भाषा समझता हूं, मैं देख सकता हूं यदि कोई गलती हुई। उन्हें बोलने दीजिए।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : श्रीमान्, इससे पहले मैं आपका निर्णय चाहती हूं। माननीय सदस्य किसी विशेष मामले पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती थीं। उपाध्यक्ष महोदय ने उसकी अनुमति नहीं दी और उन्हें नाम लेकर पुकारा। हम सभा के अध्यक्ष के रूप में आपसे यह चाहेंगे कि आप हमें यह बतायेंगे कि हम, इस ओर के सदस्य, इन लोगों के नाजीवादी रवैये के शिकार होने चाहिए।......... [अन्तर्बाधा]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें कार्यवाही आगे चलानी चाहिए।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 120 के अन्तर्गत किसी सदस्य को हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में

बोलने की अनुमति है, यदि वह अपने विचारों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी में पर्याप्त रूप में व्यक्त करने की स्थिति में हो। कृपया माननीय सदस्य से पता कीजिए कि क्या वे अपने विचार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में नहीं रख सकते।......... **[अन्तर्बाधा]** जब माननीय सदस्य ने बोलने की अनुमति के लिए मुझसे कहा, तो वे अंग्रेजी में बोले......... **[अन्तर्बाधा]**

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग): उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें कन्नड़ में बोलने की अनुमति दी, इससे हम सब सहमत हैं। अब निर्णय नहीं बदला जा सकता। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी करने तथा समाप्त करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : उपाध्यक्ष महोदय उन्हें कन्नड़ में भाषण देने की अनुमति दे चुके हैं। जो भी नियम हैं, उनकी पुष्टि बाद में की जा सकती है। हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन हम अनुमान करते हैं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोल सकते........ **[अन्तर्बाधा]**

जब मैं खड़ा होऊं तो मैं किसी को नहीं सुनना चाहता। यह बात हमें स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति दी है। जो कुछ भी है, इस ओर अथवा उस ओर, मैं किसी एक ओर की बात नहीं करता लेकिन मैं सारी सभा की बात कर रहा हूं—उन्होंने अनुमति दे दी है और माननीय सदस्य अपना भाषण जारी कर चुके हैं। इस अवस्था पर मैं इस प्रश्न पर कि क्या वे अंग्रेजी, हिन्दी जानते हैं अथवा किसी अन्य बात पर विचार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री जे० एच० पटेल : कन्नड़ में बोले।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब 4.25 हुए। यदि प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट लें, तो मैं दो तीन सदस्य और सदस्यों को बोलने की अनुमति दे सकता हूं। मैं एक सदस्य इस ओर से और एक सदस्य दूसरी ओर से बुलाऊंगा।

किसी सदस्य को बुलाने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि भाषा का मामला एक कठिन समस्या है। आखिरकार यहां अनेक लोग हैं, जो वास्तव में अंग्रेजी नहीं जानते और केवल अपनी मातृ-भाषा जानते हैं—कन्नड़ अथवा तेलगू अथवा जो भी हैं। यह वास्तव में एक कठिन समस्या है और हमें विचार-विमर्श करना होगा कि इसको किस प्रकार हल करें। हमें सभी भाषाओं को सहन करना होगा। इसलिए, हम सभी पार्टियों, प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों, के साथ विचार-विमर्श करेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : कोई भी.........

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती जी, मैं इस पर बहस आरम्भ नहीं कर रहा हूं । अब मैं दो तीन सदस्यों को खाद्य स्थिति पर बोलने के लिए कहूंगा । श्री शिव नारायण ।

श्री क० ना० तिवारी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Just now an Hon. Member, Shrimati Tarkeshwari Sinha wanted to raise a point of order and she was asked......

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): उपाध्यक्ष महोदय ने अपनी बुद्धिमानी के अनुसार श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से सभा से चले जाने के लिए कहा था मैं उनके निर्णय को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन मुझे आपसे यह प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए कि अब उन्हें वापस बुला लिया जाए ।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने अध्यक्ष की आज्ञा का पालन किया था ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो मुझे कोई अपत्ति नहीं ।

श्री खाडिलकर (खेड): मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस भाषण के समाप्त हो जाने के पश्चात् वह सभा में प्रवेश कर सकती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह अब सभा में आ सकती हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): We have no objection. She may be called in the House.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah): In connection with my point of order, the other thing that I want to say is that if the Parliament has to work in spite of the present attitude of the opposition, the same attitude would be adopted by the ruling party. Therefore, it is requested that some such means should be adopted, so that the same incident may not happen again.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): When we were asked to leave the House at that time you have never raised the point that we should be asked to return.

Shri Madhu Limaye: We have taken a liberal view. You should also take the similar view in our case.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : (खम्मम) उनके किसी भी भाषा में बोलने के बारे में किसी को आपत्ति नहीं है। हमें उस दिन सबसे अधिक प्रसन्नता होगी जिस दिन इंगलिश समाप्त हो जाएगी और दूसरी भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । इसका कोई विरोध नहीं करता । परन्तु जब माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो क्या उन्हें सभा से बाहर भेज दिया जाना चाहिए था ?

अध्यक्ष महोदय : अब उस विषय पर कोई प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए । वह समाप्त हो चुका है। उनको वापिस सभा में बुलाने को कह दिया गया है । उन्हें सभा में आने की आज्ञा है । अब इस विषय पर हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए ।

श्री शशि रंजन (पपरी): मेरे विचार से उन्हें बुलाने के लिए किसी चपरासी को भेजना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस विषय पर अब और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। श्री शिव नारायण।

Shri Sheo Narain (Basti): Mr. Speaker, I am thankful to you for permitting me to speak for five to seven minutes. The opposition have no worry for the hunger of the people. They do not think for the country. They are only worried for their chairs and in changing the Government. They are not worried about the starvation. I represent the farmers here who feed the country.

I plough the farm and feed all. There has been a great hue and cry for food in the country. I thank the Food Minister for taking this port folio. Today, a farmer has become the food minister. I want to beware you from black marketeers. The very day he took his charge, foodgrains were caught in U. P. and Bihar. Mr. Speaker, there is starvation deaths in the eastern part of U. P. There should be proper check at the Nepal border. The rice is being sent to China by Kerala and Bengal through Nepal. This must be stopped.

Besides that I request the Government to start some small irrigation plans. There are seven rivers in my district. There has been big losses due to flood in those rivers. I want that the water of these rivers should be controlled. When there is flood in Ghagra river it had caused havoc. The major portion of its water is being wasted and fall into the ocean. If it had been stopped there would have not been water shortage in Delhi. It is a suggestion from me. Mr. Speaker, I am very thankful to you for providing an opportunity to speak.

अध्यक्ष महोदय: अभी ही एक माननीय सदस्य कन्नड़ भाषा में बोले हैं। मेरे विचार से वह मैसूर से हैं। हमें इस विषय पर प्रादेशिक आधार पर नहीं सोचना चाहिये। मेरे लिये सब सदस्यों को अवसर देना कठिन है। कभी मान्य सदस्य दल के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर और कभी राज्य के आधार पर बोलने के लिये कहते हैं। मैं इसमें कैसे सहायता कर सकता हूं। यह जो मेरे पास सूची है उसमें नाम हैं······

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यहां प्रादेशिक आधार का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो अवसर चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मै श्री लकप्पा को जानता हूं। मैं उनको बिना किसी बात के बोलने का अवसर दे सकता था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: आप उनको लगभग पांच मिनट बोलने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग देखें। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मैं यह व्यवस्था का प्रश्न नियम 353 के अन्तर्गत उठा रहा हूं। माननीय महिला सदस्य जिन्हें उपाध्यक्ष महोदय ने सदन से

जाने को कहा था, ने यह कह कर कि कल जो अनुवाद होगा वह यथार्थ भाषण का होगा या नहीं, उपाध्यक्ष पर आक्षेप किया है। जो कि उन्होंने कहा है वह वास्तव में आक्षेप है।

उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये मैं यह कहूंगा कि भाषण का टेप रिकार्ड पहले ही कर लिया गया है इसलिये इस विषय पर चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के सब वर्गों से निवेदन करूंगा कि हम भाषा समस्या पर विचार करेंगे। हमें भावावेश में काम नहीं करना है क्योंकि वह खतरनाक होगा। हम इस विषय पर सभा के बाहर बाद में चर्चा करें। हम इस विषय में सब दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। अब हम अपनी बहस जारी करें। प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय न लें ताकि मैं दो या तीन और सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकूं।

अब श्री चिट्टी बाबू बोलें

श्री चिट्टी बाबू (चिंगलपट): तामिल में बोले

Shri Mani Bhai J. Patel (Damoh): Mr. Speaker, I have to raise a point of order. You should also listen to me.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही एक भाषण कन्नड़ में करने की अनुमति दे चुका हूं। मैं विवश हूं। अब तामिल में भाषण दिया जाना है। माननीय सदस्य इस विषय में शोर क्यों कर रहे हैं।

Shri Mani Bhai J. Patel : There are 1400 languages in India. Would there be speeches in 1400 languages?

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य का अवसर आये तो वह हिन्दी में बोल सकते हैं। उन्हें इस प्रकार शोर नहीं करना चाहिये।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कडुलूर) : हम भी आखिर सदस्य हैं।

Shri Randhir Singh (Rohtak): We will also speak in Haryana from tomorrow onwards.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके बैठ जायें। इससे समस्या को सुलझाने में सहायता नहीं मिलेगी। बल्कि इससे समस्या और जटिल होगी। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय सदस्य को इसको मजाक में नहीं लेना चाहिये। ऐसा करने से यह मामला और खतरनाक हो जायेगा। कृपया इस प्रकार शोर मत करें। उन्हें अपनी भाषा में बोलने का अवसर दें। यदि माननीय सदस्य समझते हैं तो समझें। जो लोग हिन्दी नहीं समझते हैं वे भी हिन्दी में बोलने वाले वक्ता को सहन कर रहे हैं। आखिर सबको इस सभा में

मिलकर कार्य करना है। कृपया भाषा का प्रश्न न उठाइये। हम इस प्रश्न पर सभी दलों के नेताओं से सभा में तथा सभा के बाहर भी चर्चा करेंगे और तभी किसी परिणाम पर पहुंचेंगे।

इस समस्या को सुलझाने का यह कोई तरीका नहीं है। कृपया समस्या को और जटिल नहीं बनाइये। माननीय सदस्यों को सुनिये। मैं सभा के सभी वर्गों से निवेदन करूंगा कि वह माननीय सदस्य श्री चिट्टी बाबू को बोलने दें। मैं तामिल जानता हूं और यदि माननीय सदस्य के भाषण में कोई बात गलत या असंसदीय होगी तो मैं उसको ठीक कर सकता हूं।

***श्री चिट्टी बाबू** (चिंगलपट): अध्यक्ष महोदय आपने मुझे तामिल भाषा में जो बोलने की अनुमति दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस समय देश के सामने अनाज की समस्या है। लोग भूख से पीड़ित हैं। इस तथ्य को कोई व्यक्ति छिपा नहीं सकता।

किसान को केवल ऋण देना ही आवश्यक नहीं है। अपितु यह भी देखना है कि ऋण प्राप्त करने के लिये उसको कितनी घूस देनी पड़ती है। उदाहरणतया यदि कोई किसान एक हजार रुपये का ऋण लेने का प्रयास करता है उसको वास्तव में पांच सौ रुपये ही मिलते हैं सरकार को कुएं खोदने का कार्य स्वयं करना चाहिए और पानी की सप्लाई भी स्वयं सरकार को करनी चाहिए इस प्रकार पानी की सप्लाई की समस्या हल की जा सकती है।

कीटाणु आदि नष्ट करने की औषधियों के अभाव के कारण बहुत सी फसल नष्ट हो जाती है। प्राप्त आंकड़ों से पता लगता है कि देश के कुल अनाज का एक चौथाई चूहे नष्ट कर देते हैं। यदि यह सच है तो इसका कार्य यह है कि कीटाणुनाशक औषधियां तथा चूहे मारने के लिये बनाई गई योजनाएं सभी असफल रही हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह किसानों को कीटाणु मारने की औषधियां मुफ्त सप्लाई करे।

सरकार किसानों से बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिये पन्द्रह पैसे लेती है जबकि बड़े-बड़े कारखानादारों से केवल दो पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है। इस स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिये। किसानों से बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिये दो पैसे ही लिये जाने चाहिए।

सभी यह कह रहे हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं परन्तु सरकार ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तथ्य यह है कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई है। अंग्रेजों के काल में किसान एक रुपये में आठ मन धान उगाते थे परन्तु आज एक रुपये में कठिनाई से डेढ़ मन धान का उत्पादन होता है।

*मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

*English translation of speech delivered in Tamil.

यदि सत्ताधारी दल के सदस्यों ने हमारे विचारों तथा भावनाओं का आदर नहीं किया तो लोग उनके स्थान पर हमें बिठा देंगे और उन्हें विरोधी दलों के स्थान पर, पहले ही ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रणधीर सिंह : कृपया हम पर कृपा कीजिये। माननीय सदस्य ने जो भी कहा वह हम नहीं समझ सके।

अध्यक्ष महोदय : वह सिंचाई के लिये बिजली की दरों के विषय में बोल रहे थे। सिंचाई के लिये इसकी दर 15 पैसे प्रति यूनिट है जबकि औद्योगिक कार्यों के लिये 2 पैसे प्रति यूनिट है। माननीय खाद्य मंत्री कृपया नोट करें (**बाधाएं**)। मैंने सदस्यों के खड़ा रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया है, जब मैं बोल रहा था उन्हें इस प्रकार नहीं करना चाहिये।

श्री लकप्पा (तुमकुर) : मैं अध्यक्ष महोदय का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे खाद्य समस्या पर बोलने का अवसर दिया जो कि सरकार की नीति के कारण उत्पन्न हुई। कांग्रेस सरकार के बीस साल के राज्य में जनता ने अकथित मुसीबतें सही हैं। यह कागजी पंचवर्षीय योजनाएं देश में सर्वत्र भुखमरी, अनाज की कमी सूखे की स्थितियों में परिवर्तित हुई हैं।

यह चर्चा बिहार में लोगों की भुखमरी से हुई मृत्यु, पशुओं की अन्न तथा चारे की कमी और बीमारी से हुई मृत्यु के कारण हुई है—यह सब हमारी पंचवर्षीय योजना का परिणाम है। हमारे योजना मंत्री श्री अशोक मेहता जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, ने हाल ही में कहा है कि नेतृत्व की कमी के कारण ही योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। यह निष्कर्ष सत्तारूढ़ दल का है। उनका राज्य, उनका प्रशासन और उनकी योजनाएं सभी असफल रही हैं। लोगों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है। केन्द्र का मैसूर राज्य से सौतेली माँ का सा व्यवहार अब सहन नहीं होगा। केन्द्र की मैसूर सरकार को पिछले सालों में दी जाने वाली सहायता नहीं के बराबर है। सिंचाई परियोजनाओं के लिये भी, जिनके लिये सहायता की सम्भावना थी, केन्द्र द्वारा पर्याप्त सहायता नहीं दी गई। उदाहरणार्थ अपर कृष्णा, हेमावती, कम्पाकोडा और दूसरी परियोजनाओं को ही लीजिये। इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। इसी कारण मैसूर राज्य में खाद्यान्न की कमी हुई। आज मैसूर राज्य में खाद्यान्न का वितरण सरकार के हाथ में है परन्तु 1967 के साल में वहाँ कोई सरकार न थी। श्री निजलिंगप्पा जो कि मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें जनता ने नहीं चुना है। उन्होंने संविधानिक धोखा धड़ी से शक्ति ग्रहण की है।

अब वह कहते हैं कि यह लोक प्रिय सरकार है। मैं यहां हाल ही में 'इन्डियन एक्सप्रेस' में दिये विवरण बताऊंगा जिसमें कहा है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों में मतभेद है। राज्य सरकार कहती है कि राज्य में 4 लाख टन गेहूं की कमी है परन्तु केन्द्र सरकार कहती है कि यह कमी केवल 2 लाख टन की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्या है? मैसूर राज्य के लोग, विशेष कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर, जो अनन्त पुर के पास का जिला है, जहां से हमारे माननीय

अध्यक्ष आते हैं—बहुत संकट में है। वहाँ पर कोई स्थायी प्रबन्ध होना चाहिये। हम स्थायी प्रबन्ध के लिये उपाय कर रहे हैं। केन्द्र को ऐसी स्थायी प्रबन्ध के लिये सहायता देनी होगी। मेरे विचार में खाद्य की मांग बहुत आवश्यक है। मगर दुर्भाग्य से मैसूर राज्य को मान्यता नहीं दी गई है और वह केन्द्र की अच्छी नजरों में नहीं है। मुझे आशा है केन्द्र सरकार इसको मान्यता देगी चाहे वहां विरोधी लोग सत्ता में क्यों न आ जायें। मुझे आशा है और मैं इस बात की शर्त भी लगा सकता हूं कि ऐसा कुछ ही महीने में हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो या तीन मिनट दे सकता हूं। माननीय मंत्री 40 से 45 मिनट तक मांगते हैं। मैं अब अन्तिम वक्ता श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा को बोलने के लिये कहता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। कल सभा में खाद्य स्थिति पर चर्चा हुई और बहुत से लाभदायक सुझाव दिये गये। मैं भी माननीय मंत्री के सामने कुछ बातें लाना चाहती हूं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर कुछ कहूं मैं माननीय मंत्री को उनके द्वारा दिये गये दो विवरणों के लिये मुबारिक देती हूं। यद्यपि स्थिति शोचनीय है फिर भी मंत्री महोदय ने सभा को बहुत ईमानदारी से स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने सभा का विश्वास प्राप्त किया और यह बताया कि यथार्थ स्थिति क्या है; तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुये हमें इस मामले में क्या करना है।

खाद्य की समस्या केवल शारीरिक नहीं है परन्तु यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी है। यदि कोई भी खाद्य मंत्री खाद्य की समस्या को हल करना चाहेंगे तो उन्हें इस समस्या को न केवल शारीरिक अपितु मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक ढंग से हल करना होगा। लोगों में यह धारणा विश्वास कर गयी है कि हमारे देश में अन्न की कमी है।

यदि आप अंकों में हिसाब लगायें तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे—यदि एक परिवार द्वारा एक सेर गेहूं भी जमा की जाती है— 50 करोड़ जनसंख्या को हम 8 करोड़ से दस करोड़ परिवारों में बांट सकते हैं। प्रत्येक परिवार में पांच सदस्यों की औसत कल्पना करते हुए—इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम लगभग 10 करोड़ सेर अन्न इकट्ठा कर सकते हैं जो लाखों और करोड़ों मनों के बराबर है। यह जमा करने की प्रवृति क्यों है। प्रत्येक गृह स्त्री को कल का भय है। वह यह सोचती है कि आज इतना है पता नहीं कल कुछ मिल सके या नहीं। औसतन गृह स्त्रियां राशन या उसके बाहर से कुछ न कुछ बचाने में समर्थ हैं और वह इसे कठिन आने वाले दिनों के लिये रखना चाहती हैं। माननीय मंत्री के इस मंत्रालय में आ जाने के बाद लोगों में कुछ विश्वास उत्पन्न हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिये स्थायी मनोवैज्ञानिक चेतना देश के लोगों में उत्पन्न करनी होगी इसके अतिरिक्त अन्न की समस्या भी है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ सालों से अन्न प्रयोग की समस्याओं में से एक रही है।

खाद्य तथा शिक्षा के मामलों में हम सदा प्रयोग ही करते रहे हैं। कभी अनाज को स्वतंत्र रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य तक आने जाने दिया जाता है, परन्तु कभी क्षेत्र बना दिए जाते हैं और अनाज के लाने ले जाने पर पाबन्दी लगा दी जाती है। जिसका परिणाम यह हुआ कि एक जिले से दूसरे जिले तक भी अनाज के लाने ले जाने पर पाबन्दी लगा दी गई है। इस क्षेत्र पद्धति के बारे में फिर से सोचने की आवश्यकता है। इस विषय में सारे देश को एक मानना चाहिए। जिन राज्यों में अनाज का उत्पादन कम होता है वे केन्द्र सरकार से अनाज की मांग करते हैं परन्तु केन्द्र भी कहां से अनाज दे। केन्द्र की अपनी विवशता है। यही विवशता प्रत्येक मुख्य मंत्री व्यक्त करता है। देश में एकता की भावना जागृत करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को वितरण पर पूरा अधिकार होना चाहिए ताकि सब राज्यों को बराबर अनाज मिल सके। सरकार को किसान को दो रुपये कम देकर और इस कम मूल्य के स्थान पर उसे खाद सप्लाई करके अनाज खरीदना चाहिए। आज मध्य वर्ग की निन्दा की जाती है और सरकार पर जनता का विश्वास नहीं रहा। मेरा विश्वास है कि यदि सरकार किसान को लाभप्रद मूल्य दे और खाद भी दे तो वह निश्चय ही सरकार को अनाज देगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं खाद्य समस्या पर सामान्य चर्चा का स्वागत करता हूं। आज देश के कुछ भागों में अभूतपूर्व खाद्य संकट है। इस चर्चा के दौरान वसूली वितरण, उत्पादन तथा मूल्य–इन चार पहलुओं पर सभी वक्ताओं ने बल दिया है। सभा को जो खाद्य स्थिति पर प्रतिवेदन दिया गया है उसमें कृषि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। परन्तु इससे कृषि का महत्व कम नहीं हो जाता। हमें कृषि के विकास पर आवश्यक ध्यान देना है क्योंकि इसी पर अनाज का उत्पादन निर्भर करता है।

केरल में चावल की कमी है। केरल को 70,000 टन चावल प्रति मास भेजा जाता रहा है और इस मात्रा को देने वालों में आन्ध्र का मुख्य स्थान है। शेष कमी आयातित चावल से पूरी की जाती है। बंगाल में भी चावल की कमी रहती है। वास्तव में गेहूं की अपेक्षा चावल की स्थिति और भी खराब है। दो वर्ष के निरंतर सूखे के कारण यह स्थिति और भी शोचनीय हो गई है।

मैंने यह पहले ही कह दिया है कि खाद्य समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ कर समाधान किया जाना चाहिये। अनाज का मामला कोई दलगत मामला नहीं है। जब तक हम इस बात का ध्यान छोड़ नहीं देते कि एक राज्य में अनाज कम उत्पन्न होता और दूसरे में अधिक — तब तक यह समस्या हमारे लिये एक चुनौती के रूप में बनी रहेगी। इसलिये इसके समाधान के लिये संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।

वसूली से कुछ सहायता मिल सकती है। यह भी सत्य है कि खाद्यान्न के भण्डार कुछ व्यापारियों ने छिपा रखे हैं। मैं उन किसानों तथा व्यापारियों से अपील करता हूं कि वे देश की खाद्य स्थिति को समझें और अपने इन भण्डारों को बाजार में ले आयें।

राज्य सरकारों के अनाज की वसूली के अपने-अपने तरीके हैं। अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार किसी राज्य में कर-पद्धति को अपनाया जाता है तो किसी राज्य में सीधे किसानों से अनाज वसूल कर लिया जाता है। किसी-किसी राज्य की वसूली से सम्बन्धित नीतियां सफल भी हुई हैं। इसलिये सभी राज्यों में एक सी नीति नहीं अपनाई जा सकती। परन्तु वसूली का तरीका ऐसा होना चाहिये जिससे अधिक उत्पादन वाला राज्य कम उत्पादन वाले राज्य को अनाज दे सके।

खाद्य निगम राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। यह देखना सम्बन्धित राज्य का काम है कि वह किसी राज्य को कितना अनाज दे सकता है और कितना केन्द्र को देता है। कुछ राज्यों में खाद्य निगम ने सराहनीय कार्य किया है। धीरे धीरे सभी राज्य खाद्य निगम को अनाज खरीदने का काम सौंप रहे हैं।

मुझे बताया गया था कि खाद्य निगम का खर्च बहुत है परन्तु यह बात ठीक नहीं है। हां, यह ठीक है कि खाद्य निगम को मितव्ययिता तथा कुशलतापूर्ण ढंग से अपने काम को करना चाहिये।

खाद्य और कृषि समस्या पर विचार करते हुये हमें संवैधानिक उपबन्धों का भी ध्यान रखना चाहिये। खाद्य और कृषि राज्य के विषय हैं। राज्यों की सहमति से ही केन्द्र कोई कार्य-वाही कर सकता है। आज हमारे समक्ष समस्या उत्पादन की है। कुछ सदस्यों ने क्षेत्रीय पद्धति को समाप्त करने का सुझाव दिया है। कुछ सदस्य कर लगाने के पक्ष में हैं और कुछ इसके विरुद्ध हैं। विरोधी दल में भी सबके अपने-अपने विचार हैं।

वसूली की तरह वितरण का भी सब राज्यों में अलग-अलग तरीका है। कहीं सांविधिक राशन लागू है और कहीं सस्ते दामों वाली दूकानें खोल कर ही काम चलाया जा रहा है। वितरण करने वाले अधिकारियों को चाहिये कि वे वितरण के काम में जो त्रुटियां हों उन्हें दूर करें ताकि सबको समान रूप से अनाज मिल सके।

क्षेत्रीय पद्धति के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों का आठ और नौ अप्रैल को सम्मेलन हो रहा है और इन समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत होगी। परन्तु मेरे विचार में वसूली अथवा वितरण की किसी भी पद्धति में नियं-त्रण कम से कम होने चाहिये।

केरल की खाद्य स्थिति के विषय पर मैंने पहले प्रकाश डाला है। अभी वहां के मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा हुई थी। कभी-कभी केरल में अनाज पहुंचने में देरी हो जाती है, हालांकि हम सदा यही प्रयत्न करते हैं कि निर्धारित समय पर वहां अनाज पहुंच जाय। परन्तु कभी-कभी विदेशों से ही जहाज देर से पहुंचते हैं। ऐसी दशा में हम एक राज्य से अनाज उधार लेकर आवश्यकता वाले राज्य को देते हैं। (**व्यवधान**)

इस काम में कोई भेदभाव नहीं और राज्य सहायता का सबके लिये एक सा ही तरीका है। 90 रुपये प्रति क्विन्टल वाले चावल लेकर हम केरल को 80 रुपया प्रति क्विन्टल पर देते रहे हैं। ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल की है। वहां के मुख्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारी कठिनाइयों को समझा है।

मैं इस समस्या का समाधान केवल उत्पादन वृद्धि में मानता हूं और वह उत्पादन कम से कम समय में होना चाहिये। यह समय रबी की फसल काटने और खरीफ की फसल बोने के बीच का होता है। इस बीच के समय के उपयोग के लिये हमने कई कार्यक्रम बनाये हैं। इस समय में मक्की जैसी फसलों को बोया जायेगा जो 60-70 दिन तक तैयार हो जाती हैं। इस काम में मैं सभी दलों से सहयोग की आशा करता हूं। हम यह चाहते हैं कि सिंचाई के जो साधन उपलब्ध हों उनसे उपलब्ध भूमि को सींच कर उसका सदुपयोग किया जाय ताकि हम जुलाई या अगस्त मास तक पर्याप्त अनाज उगा सकें।

जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में सूखे का प्रश्न है हम सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से इस समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। इन राज्यों में भूमिगत जल की कमी के कारण पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है। हमने बिहार राज्य को एक सौ रिग दिये हैं और उनमें से 72 काम में लाये जा रहे हैं और शेष भी शीघ्र ही काम में लाये जायेंगे। बिहार की चारे की समस्या को हल करने के लिये भी हमने अन्य राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। इस सम्बन्ध में और भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। ढोर के लिये कुछ केन्द्र भी खोले गये हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिये धन के साथ साथ शारीरिक परिश्रम की भी आवश्यकता है। हमने राज्य सरकारों को कुछ लोगों को धन देने के लिये भी कहा है ताकि वे अनाज आदि सस्ते मूल्य की दुकानों से खरीद सकें। हम सिंचाई के सभी साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ कुयें खोदना, नदियों के बांध बांधना, पक्के कुयें बनाना, आदि ताकि हम पर्याप्त मात्रा में अनाज उगा सकें।

यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो तो किसान को लाभप्रद मूल्य भी देने होंगे। मेरे विचार में वस्तुओं के उत्पादन की लागत को देख कर उनकी बिक्री दर निश्चित कर देनी चाहिये। इस दिशा में हमने कार्यवाही आरम्भ कर दी है। जहां तक फसलों के बीमे का सम्बन्ध है हमने इस उद्देश्य से एक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है।

हमें किसान को सिंचाई की सुविधाएं, बीज और खाद उपलब्ध कराना है और साथ ही उनको उधार देने का भी प्रबन्ध करना है। मैं जानता हूं कि सरकार अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ छोटे किसानों तक नहीं पहुंचता परन्तु मैं सभा के सभी सदस्यों के सहयोग से यह प्रयत्न करूंगा कि ये सुविधायें छोटे किसानों को मिल सकें।

जिन मित्र देशों ने हमारी इस कठिन खाद्य स्थिति में सहायता की है मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री समर गुह (कंटाई) : यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया तो पश्चिम बंगाल में इसका अच्छा प्रभाव नही पड़ेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को, जब वहां कांग्रेस दल का शासन था, कितना चावल और गेहूं प्रति मास दिया जाता था। और उस समय तत्कालीन सरकार की कितनी मांग थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा में स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि यदि मुझे एक प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा है तो और भी कई सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। यह प्रस्ताव श्री रामसेवक यादव का है। इसकी संख्या 7 है और यह निर्नुमोदन प्रस्ताव है। मैं पहले इसे मतदान के लिए रखूंगा क्योंकि श्री यादव मूल प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Substitute motion No. 7 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब सभी प्रस्ताव इकट्ठे मतदान के लिए रख दिये जायं। मैं प्रस्ताव संख्या 1 से 15 तक, जिनमें प्रस्ताव संख्या 7 नहीं है, सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 से 6 तथा 8 से 15 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Substitute motion Nos. 1 to 6 and 8 to 15 were put and negatived

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—contd

(२) कलकत्ता की स्थिति

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"कलकत्ता में कल की घटनाएं"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कलकत्ता में बागमारी सड़क पर स्थित एक गुरद्वारे के अहाते के अन्दर एक प्राचीन शिव मन्दिर है। बहुत पहले से उस मन्दिर में पूजा आदि के लिए लोग नहीं जाते थे। परन्तु 19 मार्च को शिवरात्रि के दिन कुछ स्थानीय लोग उस मन्दिर में पूजा करना चाहते थे। गुरद्वारे के मालिक सिक्खों ने पहले तो इस पर आपत्ति की परन्तु बाद में पूजा करने के बारे में सहमत हो गए।

मुख्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार 27 मार्च सांयकाल मंदिर में प्रवेश करने के प्रश्न पर फिर विवाद खड़ा हुआ। कुछ लोग जब मंदिर में गये तो कुछ सिक्खों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनको बाहर भगा दिया। जिसके फलस्वरूप दो दलों के बीच झगड़ा हो गया।

उत्तेजित जनसमूह बलपूर्वक अहाते में घुस गया और गुरद्वारे में आग लगा दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और उत्तेजित जनसमूह को वहां से हटाने के लिए लाठी-चार्ज

किया परन्तु उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। उपायुक्त के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कठिनाई के साथ दो दलों के बीच होने वाले गम्भीर झगड़े को समाप्त कर दिया।

मुख्य मंत्री ने बताया है कि उपायुक्त सिक्खों के बचाव के लिए कुछ पुलिस के साथ गुरद्वारे के अन्दर चला गया परन्तु सिक्खों ने उस दल पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप कई पुलिस के सिपाही और अधिकारी आहत हो गए। पुलिस की सुरक्षा के लिए उपायुक्त ने गोली चलाने का आदेश दिया। समस्त जनसमूह वहां से तत्काल हट गया। गोली चलाने से दो व्यक्ति आहत हुए।

इसी बीच गुरद्वारे में लगी आग को बुझाने के लिए दमकलों को बुलाया गया परन्तु जनसमूह ने उन्हें आग बुझाने नहीं दी। जब अश्रु गैस के चार गोले छोड़े गए तो जनसमूह वहां से हट गया और आग बुझा दी गई।

28 मार्च की सन्ध्या को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री सिक्खों के एक शिष्टमंडल से मिले। सिक्खों ने कहा कि वे अगले दिन एक अहिंसात्मक मातमी जलूस निकालेंगे जिसमें वे हथियार आदि नहीं ले जायेंगे। इस आश्वासन के बावजूद वे सभी प्रकार के हथियार जलूस में ले गये। जलूस के साथ पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था थी। जब जलूस हैरिसन रोड और कालेज स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा तो जलूस में शामिल लोगों ने ईटें पत्थर फेंकना और दुकानों आदि को लूटना आरम्भ कर दिया। इस चौराहे पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अन्त में मानिकतला मेन रोड पर जलूस को रोक दिया गया और बागमारी तक पहुंचने की आज्ञा नहीं दी गई। उस दिन 11 बजे से 2-30 बजे तक अग्निकांड और पुलिस पर आक्रमण आदि होते रहे। आस-पास के निवासियों ने भी जलूस पर पत्थर फेंके। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सेना को बुलाया गया। उस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई और 8 बजे रात से प्रातः 5 बजे तक का कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार अश्रु गैस के गोले छोड़े गये, दो बार गोली चलाई गई; छै व्यक्ति मारे गये और 98 व्यक्ति आहत हो गये। आहत लोगों में 21 व्यक्ति पुलिस के थे जिनमें एक पुलिस का इन्सपेक्टर भी है।

बाद में बागमारी गुरद्वारे तक पहुंचने में उप मुख्य मंत्री ने कुछ लोगों की सहायता की। इसके बाद सभी समुदायों के प्रतिनिधि मुख्य मंत्री से मिले और उनका परस्पर समझौता हो गया। एक 'शान्ति समिति' बनाई गई। अब स्थिति नियन्त्रण में है। मेरे विचार में अब इस विषय पर और अधिक प्रश्न न पूछे जायं तो ठीक रहेगा क्योंकि यह विवाद दो समुदायों की धार्मिक भावनाओं का मामला है।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 31 मार्च, 1967/10 चैत्र, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March, 31 1967/Chaitra 10, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 9-6-68—600.